

**Motion for consideration of (i) The Bharatya Nyaya (Second) Sanhita Bill, 2023
(ii) The Bharatiya Nagarik Suraksha (Second) Sanhita, 2023 and (iii) The
Bharatiya Sakshya (Second) Bill, 2023 (Discussion not concluded)**

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 33, भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, आइटम नम्बर 34, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और आइटम नम्बर 35, भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 ? माननीय मंत्री जी ।

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

?कि अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबद्ध या उससे आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

और

?कि दण्ड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

और

?कि निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उनका उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

?कि अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबद्ध या उससे आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

और

?कि दण्ड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

और

?कि निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उनका उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

DR. TALARI RANGAIAH (ANANTAPUR): Sir, given that existing criminal laws were historically used to enable India's colonisation, the primary step in revitalising and modernising our criminal justice system is critical. At that time, these laws were

used to terrorise people and stifle the dissenting voices, but they no longer represent the current dynamics and aspirations of the Indian society. The adoption of the Bharatiya Nyaya Sanhita represents a significant shift from the Indian Penal Code (IPC) 1860 to create a more unified, equitable, responsive legal framework that aligns the current concerns and growing societal standards. The Bill is a progressive and cohesive replacement for the outdated Indian Penal Code, harmonising with modern context and addressing newer challenges. It is sensitive to today's serious challenges: the likes of terrorism, mob lynching and cybercrimes, the areas that have remained underserved by the IPC's outmoded provisions. Additionally, it is expanding the ambit of 'terrorist acts' to the offences committed against the State and its citizens perpetrated outside of India to provide the Government with legal mechanisms it needs to combat the situations like Khalistani vandalism at Indian High Commission in London last year, strengthening India's defence system against the activities that jeopardise its core interests and citizen's well-being. Seeking to fill in the legal loopholes while strengthening the legal system against these rising threats, the Bill ensures that it stays unified and relevant in the face of changing criminal dynamics. This legislative change is a key and cohesive step towards establishing a judicial system that is adaptable, just, and capable of protecting every citizen's rights and security.

Sir, justice delayed is justice denied but justice hasty is justice miscarried. I recall the words of jurist Domitius Ulpian, who emphasised that justice is the perpetual will to allocate to every individual his or her due. This legislation, heralding a new era of legal system, stands as a testament of our commitment to uphold the justice while embracing the necessary reforms.

This transformative Bill includes several pivotal reforms crucial for the modernization of our criminal justice framework. Its provisions echo a collective desire to ensure fairness, expediency, and the safeguarding of individual rights. From the expansion of electronic modes in legal proceedings to the emphasis on forensic investigation for severe offences, the Bill resonates with the ethos of progress. However, as we aim for a more equitable and efficient justice system, it is crucial to consider the diverse socio-cultural dynamics across our nation. The Government of Andhra Pradesh urges for provisions addressing regional nuances. Flexibility in implementation could better accommodate the unique challenges faced by different States, ensuring effective and equitable application across diverse landscapes. While acknowledging the positive strides made in this Bill, it is essential to advocate for measures ensuring compensation and redressal for

individuals wrongfully detained or accused. The inclusion of such provisions would safeguard against potential injustice and reaffirm our commitment to a fair and just legal system. With regard to improved witness protection measures, the provision for audio-video recording of witness testimonies potentially enhances witness protection and augments the accuracy of recorded statements. The option of recording witness testimonies by audio-video electronic means at designated locations introduces modern methods for maintaining accurate legal records.

Setting of specific timelines for crucial legal procedures, such as submitting medical reports in rape cases within seven days under clause 184, delivering judgments within 30 days to 60 days after completing arguments, and informing victims of investigation progress within 90 days, ensures expeditious justice delivery. The Bill expands the scope of medical examinations for accused individuals by allowing any police officer to request such examinations. This ensures timely and appropriate medical attention, especially in cases involving sensitive issues like rape.

The coexistence of the old and new legal frameworks may lead to confusion and inconsistency in legal application. Ambiguity in some clauses like shifting the burden of proof in specific cases requires further clarification to avoid misinterpretations and their potential misuse. Judges and lawyers need adequate training to effectively implement the new procedures and interpret the law accurately. The Government should make provisions for holistic support services to victims of crime, including counselling, financial assistance, and access to medical care more effective and introduce various other measures to protect witnesses from intimidation and retaliation, including physical security, witness anonymity programs, and relocation support. Provide avenues for victims to participate in the legal process and advocate for their rights and interests. The Bharatiya Sakshya (Second) Bill makes some essential changes to the original Act and successfully fulfils many of the Ministry's objectives. Most notably, it widens the ambit of electronic records admissible as evidence and removes certain colonial references from the initial Act.

There is a high rate of case dismissals due to lack of evidence. In 2021, Government data brought to light alarming statistics, revealing that 7.5 lakh police cases are closed annually in India due to lack of evidence. This concerning trend is observed nationwide and has consistently increased since 2016 when the National Crime Records Bureau began documenting such cases under the category of "True, but Insufficient Evidence" or "Untraced" or "No Clue" in its crime records in India. Given

the Home Ministry's expressed commitment to achieving an enhanced conviction rate of up to 90 per cent and fostering a citizen-friendly and efficient criminal justice system, the issue of case dismissals due to insufficient evidence demands urgent attention and intervention.

It is imperative to address this challenge. The report of the Bureau of Police Research and Development indicates widespread vacancies across all ranks including specialised investigation units like Crime Branch and a small pool of forensic investigation and resources over the years. To enhance the effectiveness of police investigation and expedite case resolution, police stations require additional forensic resources, well-trained personnel and increased staffing in dedicated investigation wings. The Ministry must also confront the long-standing issues of under-staffing within the premier intelligence and investigation agencies. The chronic shortage of personnel in the Central Bureau of Investigation has significantly hampered the agency's work, as, in October, 2023, there were 42 Superintendent of Police level vacant positions out of 73 sanctioned posts marking the highest vacancy rate among all the 17 police organisations. The Intelligence Bureau closely follows with 32 vacancies of the same SP level. The SP level officers play a crucial role in investigations as they supervise and are directly engaged with cases. Studies indicate that high caseloads correlate not to just low conviction rates and court delays but also the sub-standard evidence collection and analysis. Therefore, addressing these staffing gaps and resource shortages is crucial for enhancing the overall efficiency of law enforcement agencies.

The use of forensic techniques in evidence collection is crucial in building strong cases specially in serious crimes like homicide, sexual assault and burglary. Forensic science goes beyond the analysis of finger prints and, as such, it actually provides the necessary tool for examining documents, mobile phones, computers and audio, video footages. However, the challenges of high case load, outdated equipment, shortage of experts, deficiency in police training and implementation translate to rare uses of forensic analysis as per several reports. The scarcity of evidence is a major reason for India's low conviction rates for offences against human body including murder, sexual assault, kidnapping and human trafficking. Even for crimes against women, our national average conviction rate remains 25.3 per cent according to the NCRB data. Currently, only 10 to 12 cases are referred to forensic science labs. These labs are already overburdened with pending cases. A study indicates that if cognisable offences are referred to the forensic science laboratories, backlog of cases would increase eight-fold. The hon. Home Minister

recently announced that forensic investigation will be mandatory for all offences with a punishment of over six years. There is, however, a lack of resources in this regard. We are lagging behind global standards in adopting modern forensic techniques in criminal investigation. Developed countries have 20 to 50 forensic scientists for one lakh people, while India has only one person for every three-lakh people. Approximately, only 5000 forensic professionals are working across the country. Moreover, the report claims that many police stations lack access to forensic technology. This highlights the need of significant improvement by adopting the advanced forensic methods to align with international standards. There is a significant deficiency in specialised training. Although police undergo training academically covering various subjects such as policing, criminal law, weapons training, media etiquette and physical training, there is a notable gap when it comes to forensic technology. Research indicates that one-third of civil police personnel in India have never received training in forensic technology. Experts have stressed on the importance of having personnel with expertise in forensic science involved in every step of criminal investigation. With these suggestions, we support these three Bills. Thank you very much.

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक बिल पर अपने विचार रखने का अवसर दिया है। मैं अपनी सरकार, माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूंगा कि भारत की क्रिमिनल न्याय प्रक्रिया में आज का दिन मील का पत्थर है, जब हम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक पर चर्चा और इनको पारित करने वाले हैं।

महोदय, भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पीनल कोड के स्थान पर आ रही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड के स्थान पर आ रही है और भारतीय साक्ष्य विधेयक, इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर आ रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, इस पूरे प्रस्तावित कानून का कुछ दर्शन है। इंडियन पीनल कोड में पेनल्टी पर एम्फसिस था कि आपको दंडित करना है। भारतीय न्याय संहिता में न्याय पर एम्फसिस है कि हमें लोगों को न्याय देना है। यह बहुत बड़ी सोच का अंतर है, जिसे हमें समझना जरूरी है। दूसरी बात, जो नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसमें क्या था कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर, एक प्रोसिजर प्रस्तावित करता था कि कैसे लोगों को पेनल्टी देनी है और अपील करना है। उसकी जगह पर जो कानून आ रहा है, वह सुरक्षा संहिता है कि कोई अपराधी भी हो, तो उसकी प्रक्रिया में, उसकी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए। यह बात भी कही गई है। साक्ष्य अधिनियम के बारे में तो बातें हैं ही कि कैसे सबूत हों, उनको कैसे प्राप्त किया जाए और कैसे कार्रवाई हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपकी कृपापूर्वक अनुमति से सदन के सामने इंडियन पीनल कोड, 1860 की थोड़ी पृष्ठभूमि देना चाहूंगा। अगर आप इन तीनों कानूनों को देखेंगे तो सन् 1860 में इंडियन पीनल कोड आया। एविडेंस एक्ट सन् 1872 में आया और सीआरपीसी सन् 1882 में आया। इन तीनों के पहले एक छोटा कानून था।

अध्यक्ष जी, आपको याद होगा कि सन् 1857 में भारत की आज़ादी का पहला आंदोलन हुआ था, जिसमें भारत के महान क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बहादुर के लोगों को बहुत छकाया था। उन क्रांतिकारियों में रानी लक्ष्मीबाई थीं। हमारे बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह जी थे और तात्या टोपे जी थे। हम सभी का नाम जानते हैं। उसके बाद कंपनी बहादुर का राज खत्म हुआ और विक्टोरिया महारानी का राज शुरू हुआ। मतलब कि अंग्रेज़ों ने भारत के साम्राज्य को सीधा अपने कंट्रोल में लिया। यह बात जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब भारत पर शासन करना है, तो मैं अंग्रेज़ों की एक बात की तारीफ़ करूंगा कि कोई भी काम करेंगे, अन्याय की पराकाष्ठा भी करेंगे तो कानून का दिखावा दे कर करेंगे। जितना मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ, उतना ज्यादा पता चलता है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां आज़ादी के आंदोलन में एक कच्ची फांसी हुआ करती थी। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ये कानून कितने सालों बाद परिवर्तित हो रहे हैं?

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, यह 151 सालों बाद हो रहा है और आज़ादी के 75 वर्षों के बाद हो रहा है। महोदय, मैं आपको अपने यहां की कच्ची फांसी के बारे में बता रहा था। हमने पता किया कि यह कच्ची फांसी क्या होती है, तब मालूम हुआ कि कोई कैप्टन स्कॉट घूम रहे हैं, उन्होंने किसी क्रांतिकारी को पकड़ा और पेड़ पर लटका दिया कि ?I, Captain Scott, in exercise of power so-and-so, hereby give you capital punishment?. महोदय, अगर आज आप भी देश में घूमें तो आपको ऐसे बहुत से पुराने पेड़ दिखाई पड़ेंगे, जहाँ क्रांतिकारियों को कच्ची फांसी दी गई थी। इसलिए अंग्रेज जो भी करते थे कानून के दायरे में करते थे। हमें मूल रूप से उनकी दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने यह किया कि कानून बनाना है दंड देने के लिए और दंड देना है तो उसके लिए कानून की एक प्रक्रिया हो, तो सीआरपीसी ले आए। फिर उसके लिए एविडेंस चाहिए तो एविडेंस एक्ट ले आए।

माननीय अध्यक्ष जी, एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, जिसको मैं सदन के सामने बड़ी विनम्रता के साथ रखना चाहूंगा। उनको हिन्दुस्तान पर राज करना था, तो ऐसे हिन्दुस्तानी भी चाहिए, जिनका चेहरा हिन्दुस्तानी था, लेकिन दिमाग अंग्रेज था और दिल में अंग्रेजों के लिए सम्मान था। Their skin may be Indian but their mind must be British. उसके लिए यूनिवर्सिटी खोलनी थी, पढ़ाई करना था। जब मैंने इस पर थोड़ा शोध किया तो मुझे एक बहुत रोचक बात मालूम हुई। भारत में जितने पुराने विश्वविद्यालय हैं, उन सब की स्थापना का कालखंड लगभग वही है, जब ये तीनों कानून बन रहे थे। चाहे वह कोलकाता यूनिवर्सिटी हो या बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो या बाकी यूनिवर्सिटीज़ हों, कुछ पहले खुली होंगी, लेकिन बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के खुलने का समय भी इन कानूनों के साथ-साथ है।

अध्यक्ष महोदय, इसकी पृष्ठभूमि समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने आरंभ में ही कहा कि यह न्याय संहिता है। यह पीनल कोड नहीं है। यह इसका दर्शन है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन, हाँ, एक चिंता की बात होती है कि इतना लंबा समय क्यों लगा और क्यों लगनी चाहिए? वर्ष 1973 में सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ, पहले भी कुछ हुआ था, लेकिन भारत की आवश्यकताओं के अनुसार जो एक सुविचारित तीनों कोड्स को बदलने का प्रयास था, वह क्यों नहीं हुआ? डिसकवरी ऑफ इंडिया को लिखने वाले लोग, जब भारत को डिसकवर कर रहे थे, इस औपनिवेशिक दासता को क्यों भूल गए? ये बड़े सवाल हैं, ये उठने चाहिए और मैं उठाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई। उन्होंने 15 अगस्त को लालकिले से कहा कि हम किसी औपनिवेशिक प्रतीक को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, आज इसी संदर्भ में मुझे एक और बात कहने की इच्छा हो रही है। आज़ादी आई, तो जगह-जगह जॉर्ज पंचम की मूर्तियाँ थीं, विक्टोरिया की मूर्तियाँ थीं, बगल में राजपथ था, जहां आज कर्तव्य पथ है। उनको हटाया गया, ठीक हटाया गया। लेकिन, हमारे जो महान नेता थे, उनको सम्मान देने में इतना विलंब क्यों किया गया? सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी पहले क्यों नहीं बन सकती थी? उसके लिए क्यों नरेन्द्र मोदी को ही आना पड़ा, ये बड़े सवाल हैं और यहां उठने चाहिए। यह उसी मानसिकता से लिंकड है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दिल्ली में तभी क्यों लगी, जब नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। यह जो पूरी सोच है, उसको समझना बहुत जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष जी, आज चूंकि आपने मुझे कृपापूर्वक अनुमति दी है। अंग्रेजों के इस कानून के समापन और भारतीय प्रयास पर अपनी बात रखने का मुझे अवसर मिला है। अगर माननीय गृह मंत्री जी के इस बिल पर अपनी बात रखने का अवसर मिला है तो मेरे मन में जो उदगार हैं, उनको मैं रखने की कोशिश करूंगा।

अध्यक्ष जी, मुझे गुलामी मानसिकता के बारे में कुछ और कहने की इच्छा है और कृपा करके आप मुझे अनुमति दीजिए। यह विषय इससे सीधा नहीं जुड़ा है, लेकिन विषय जुड़ा है। प्रभु राम के मंदिर को बनने में 500 साल क्यों लगे? यह मुझे जानने की इच्छा है। मेरा परम सौभाग्य था कि इस मामले में एक वकील के रूप में इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश होने का मुझे सौभाग्य मिला था। लेकिन, 500 साल क्यों लगे? आज जो कृष्ण जन्मभूमि है, आज जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसके लिए संघर्ष क्यों करना पड़ता है? जब आजाद भारत बनता है तो आजाद भारत की जो आजाद आस्था है, उसका भी सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये बड़े सवाल हैं और यहां उठने चाहिए। आज मैं इस सदन को बताना चाहूंगा, पहले भी चर्चा हुई है कि अंग्रेजों के समय के 1500 पुराने कानून जो अनुपयोगी थे, उनको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन, हाँ, ये जो तीनो पीनल न्याय संहिताएं हैं, क्षमा करेंगे, पुरानी आदत को जाते-जाते समय लगेगा। न्याय संहिता और बाकी संहिताएं हैं, इनमें एक बहुत बड़ी बात है। पहले भी कई कमीशन आए थे, जस्टिस मलिमथ कमीशन था, जस्टिस वर्मा कमीशन था, जस्टिस माधवन कमीशन था। लेकिन, यह पहला कानून में बदलाव है, जिसमें इतना सघन संवाद हुआ है। इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी का विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा कि मैंने किसी कानून में इतना वाइड लेवल ऑफ कंसल्टेशन नहीं देखा है। सारे एमपीज़ को चिट्ठी लिखी गई। एक बड़ी लॉ यूनिवर्सिटी को इसका नोडल प्वाइंट बनाया गया।

एकैडमीशियन्स से बात हुई, जजेज़ से बात हुई, रिटायर्ड जजेज़ से बात हुई, वकीलों से बात हुई, कानून के प्रोफेसर्स से बात और 158 कंसल्टेशन्स में माननीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित थे। यह कंसल्टेशन कितने वाइडर लेवल का होता है, यह इस बात से बहुत ही स्पष्ट है। आज जब 15 सौ कानूनों के निरस्त होने की हम बात कर रहे हैं और इस पर आ रहे हैं तो मन में एक और विचार आ रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैंने दो-तीन बार सभापति जी बोला, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। ये जो भारत की नौसेना वगैरह में बहुत से ब्रिटिश इनसिग्निया थे, इनका बदलाव भी कब हुआ, माननीय प्रधान मंत्री के आह्वान पर हुआ। महाराज शिवाजी की जो नौसेना थी, उसका जो सिम्बल था, उसको आज भारतीय नौसेना का प्रतीक बनाया गया है, यह कितनी बड़ी बात है। यह पहले क्यों नहीं हो सकता था?

अध्यक्ष जी, तीनों विधेयक की कुछ प्रमुख बातें मैं यहां रखना चाहता हूं, फिर मैं इसके पॉइंटेड तथ्यों पर आऊंगा। पुराने पीनल कोर्ट में 511 प्रावधान थे, सैक्शन्स थे, नये में 356 होंगे। 175 सैक्शन्स बिल्कुल बदल दिए गए हैं, 8 नये जोड़े गए हैं और 22 सैक्शन्स को निरस्त किया गया है। भारतीय साक्ष्य विधेयक में 167 की जगह

170 प्रावधान होंगे, 23 प्रावधान बदल दिए गए हैं। भारतीय सुरक्षा संहिता के सीआरपीसी में 533 प्रावधान होंगे, जिनमें 107 बदल दिए गए हैं। 9 नये सैक्शन्स जोड़े गए हैं और 9 प्रावधानों को बदला गया है। ब्रिटानिया संसद के द्वारा पारित इन कानूनों के सारे औपनिवेशिक प्रतीकों को भी समाप्त कर दिया गया है। हर मैजेस्टी, हिज मैजेस्टी, दी काउंसिल, दी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उनको नमस्ते किया गया है। अब भारतीय संसद सर्वोपरि है। वह इस कानून का सार है, यह मैं कहना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विचार में इन कानूनों का सबसे प्रमुख विशिष्ट यह है कि यह युग टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी ताकत है। यह युग सूचना का है और सूचना ताकत है। This is the age of technology; technology is power. This is the age of communication; communication is power. आज इस पूरे मामले में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इसका सदुपयोग करें। इसीलिए, डॉक्यूमेंट की परिभाषा को बदला गया है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकार्ड, ईमेल, सर्वर लॉक, कंप्यूटर, स्मार्ट फोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल इलेक्ट्रॉनिक एवीडेंस, मॉल्स मैसेज ऑन डिवाइस, आदि के उपयोग से कागजी दस्तावेज के पहाड़ का भार कम होगा।

इसमें दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है? अभी तक सिर्फ कुछ कामों के लिए आप वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से कोर्ट में जुड़ते थे, अब आपका पूरा ट्रॉयल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से हो जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा, कंप्लेंट का एग्जामिनेशन हो जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है। आप देखते हैं कि उनको जेल से कोर्ट में लाना पड़ता है। रास्ते में क्या-क्या होता है, आप सुनते ही रहते हैं। इससे बहुत बड़ी सुरक्षा का दबाव भी इसके माध्यम से कम होगा। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट से जजमेंट तक, सभी को डिजिटाइज करने का प्रावधान है, यह एक बहुत बड़ी बात है। सर्च और सीजन के दौरान वीडियोग्राफी होनी जरूरी है, ताकि लोग ये न कहें कि पुलिस ने यह किया और यह नहीं किया। यह पारदर्शिता को स्थापित करता है। यह इस पूरे नये प्रस्तावित अधिनियम की बहुत बड़ी विशेषता है। बिना वीडियो रिकार्डिंग के कोई भी चार्जशीट को वैधानिक नहीं माना जाएगा।

फॉरेंसिक साइंस को आगे बढ़ाना जरूरी है। जब इतनी बड़ी संख्या में हम टेक्नोलॉजी को आगे ला रहे हैं तो मुझे भारत के प्रधान मंत्री जी का अभिनन्दन करना है कि उन्होंने गुजरात में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी स्थापित की है और कुछ ही वर्षों में 33 हजार साइंस एक्सपर्ट्स उपलब्ध होंगे। यह एक नया नौकरी का, एंपॉवरमेंट का अवसर मिलने वाला है। यह अच्छी बात है, होना चाहिए।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि एक बार अपने स्तर पर जरूर स्टेट्स का फर्क देखना चाहिए, उनके थानों के कितने थाना इंचार्ज लोग डिजिटली ट्रेड हैं, यह एक चिंता का सवाल है। आज हम सभी के पास मोबाइल जरूर है लेकिन उनकी ट्रेनिंग कितनी है, इस बारे में हमें थोड़ा देखने की जरूरत है। मैंने इसे दूसरे रूप में देखा है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की उपलब्धता के बारे में भी ट्रेनिंग देखने की जरूरत है।

मैं यहां एक विषय उठाना चाहता हूँ जिस पर बहुत चर्चा हुई है - राइट ऑफ प्राइवेसी। आप हमेशा टेक्नोलॉजी लाएंगे तो प्राइवेसी का क्या होगा? ऐसे लोगों से मुझे एक बात कहनी है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बहुत ही स्पष्ट हैं, A criminal has no Right to Privacy or a corrupt person has no Right to Privacy. उनको पुलिस कभी गिरफ्तार ही नहीं कर सकती है। रांची में एक सांसद जी के यहां साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये मिलेंगे तो इनकम टैक्स तो वहां जा ही नहीं सकती है, क्योंकि this is my Right to Privacy. इस पर दुनिया का कानून बहुत ही स्पष्ट है। कुछ लोग टेक्नोलॉजी के संबंध में बार-बार राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं। मेरे ख्याल में उन लोगों को थोड़ा कानून पढ़ने की जरूरत है। पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, this

Right to Privacy, which is a Fundamental Right, does not extend to condone corruption and to condone crime. ये बात समझना जरूरी है, मुझे लगा कि इस विषय को मुझे रखना चाहिए ।

इस अधिनियम की एक चीज को समझना जरूरी है । चूंकि इंडियन पीनल कोड दंड पर था, इसलिए कई प्रमुख अपराध पहले नीचे थे और अंग्रेजी साम्राज्य को मजबूत करने वाले प्रावधान ऊपर थे । इस पूरी सोच को भारतीय न्याय अधिनियम में बदला गया है । इसका मतलब महिला संबंधित कानून सबसे ऊपर है । आप इस बात को समझिए । जब मैं यह बिल पढ़ रहा था तो मुझे यह सोच बहुत ही अच्छी लगी कि किस प्रकार से अंग्रेजों के बनाए कानून और हमारी सोच में अंतर है ।

महिला और बच्चे का बहुत विस्तार से प्रावधान रखा गया है, माननीय गृह मंत्री जी उसके बारे में बताएंगे । पहले जो मानव संबंधित ऑफेंसेज थे, जैसे धारा 302 में मर्डर, अटैम्प्ट टू मर्डर, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को लेकर मर्डर, बलात्कार, ये सब चैप्टर रोमन xvi में थे, धारा 302 में हत्या का पूरा विश्लेषण था, अब यह सीधे ऊपर आ गया है । बलात्कार का प्रावधान न्याय संहिता की धारा 363 से 364 में है । एक बात और कही गई है, मुझे दो प्रावधानों ने बहुत ही प्रभावित किया है । मैं माननीय गृह मंत्री जी का विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा । एक होता है समरी ट्रॉयल और एक होता है वारंट ट्रॉयल । समरी ट्रॉयल पुराने कानून में होता है, दो साल या उससे कम की सजा है तो आपका तेज ट्रायल होगा ।

माननीय गृह मंत्री जी ने इस बिल में एक और काम किया, अब समरी ट्रॉयल के सजा वाले को दो से तीन साल तक की सजा होगी, उसका समरी ट्रॉयल होगा । उसके कारण क्या हुआ? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में हजारों केसेज पड़े हुए हैं, वे सीधे नीचे कोर्ट में चले जाएंगे और समरी ट्रॉयल होगा और पेंडेंसी खत्म होगी, इसे कहते हैं इनोवेटिव सोच । मुझे एक बात और बड़ी अच्छी लगी, जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा । मान लीजिए, कोर्ट में बहस हो गई, जज साहब बैठे हुए हैं कि निर्णय आएगा, लेकिन तारीख पर तारीख होती रहेगी । उसके बाद बहस, बहस के बाद जब माई लॉर्ड का मूड होगा, तब निर्णय देंगे ।

अध्यक्ष महोदय, इसमें इस बात का प्रावधान है कि निश्चित समय अवधि पर चार्ज फ्रेम होने के बाद मामले की सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद 30 दिनों के अंदर निर्णय देना होगा और सात दिनों में उसे अपलोड करना होगा ताकि अगर आपको अपेक्षा है तो आप जयपुर में बटन दबाकर देख सकें और मैं पटना से बटन दबाकर देख सकूं कि निर्णय क्या आया है । अध्यक्ष जी, मैं बहुत सम्मान से कहता हूं, जबकि यह बहुत पीड़ादायक है कि बड़े-बड़े ट्रायल्स पेंडिंग हैं । मैं माननीय गृह मंत्री जी से बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा क्योंकि इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता है । बड़े हाई कोर्ट्स में क्रिमिनल अपील 7, 8 और 15 साल से पेंडिंग हैं, सिविल अपील 15 पेंडिंग हैं, वह भी गलत है । कई बार हम अखबार में पढ़ते हैं कि किसी को 20 साल पहले आजीवन कारावास की सजा हुई, उसे रिवर्स कर दिया गया और वह दस साल जेल में रह गया । किसी की 20 साल पहले रिहाई की गई थी और 22 साल बाद उसे कन्विक्ट कर दिया गया । क्या ऐसा होना चाहिए? अगर हम लोकतंत्र हैं तो इसका कोई रास्ता निकलना चाहिए । मुझे उम्मीद है कि माननीय गृह मंत्री जी इसका कोन्सिडर लेंगे । हमारे लोकतंत्र की एक समस्या है कि कोर्ट की सुनवाई कैसे हो, यह माईलॉर्ड का काम है, न्यायपालिका का काम है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन काम तो उन्हें ही करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, जजमेंट लिखनी पड़ेगी । एक और बात है, आजकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही मजबूत किया गया है । आपने देखा होगा कि भारत सरकार कोर्ट सिस्टम, टेक्नोलॉजी के लिए बहुत पैसे देती है ।

अध्यक्ष जी, कुछ नए ऑफेंसेज़ पैदा हुए हैं। मोबाइल स्नैचिंग का कोई प्रावधान नहीं था। चेन स्नैचिंग का कोई प्रावधान नहीं था, जबकि यह रोज होता है। अब इन सबको अलग से ऑफेंस बनाया गया है। मैं माननीय गृह मंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने चैलेंजेज़ के बारे में सोचा है और इसके लिए अलग से प्रावधान किया है।

अध्यक्ष जी, आतंकवाद को लेकर बहुत चर्चा होती है, लेकिन इसकी कोई डेफिनिशन नहीं है। इस कानून में आतंकवाद की डेफिनिशन रखी गई है और बहुत विस्तार से रखी गई है। इस सदन में बार-बार ह्यूमन राइट्स की चर्चा होती है। इस सदन में बार-बार बातें होती हैं, जैसे राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ़ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं उन लोगों से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि धारा 19 में जहाँ फ्रीडम ऑफ़ स्पीच है, उसी में 19(2) भी है, which says that in the interest of the sovereignty, integrity and security of India, your freedom of speech can be reasonably restricted. इसे हमने नहीं बनाया है, यह तब से है जब धारा 19 का जन्म हुआ था यानी जब उनकी सरकार थी। इसे बनाने वाले कौन लोग थे? डॉ. अम्बेडकर, सरदार पटेल, जवाहर लाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, ये बिल्कुल गांधी जी के अनुयायी थे, लेकिन फिर भी उनको लगा कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता बहुत आवश्यक है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आज आतंकवाद से खतरा है या नहीं? क्या आज आतंकवादी देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं या नहीं? इसलिए आतंकवाद को अपराध मानने की जरूरत है।

अध्यक्ष जी, इस सदन में कुछ दिनों पहले दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपने हम लोगों को पत्र लिखा और विस्तार से बताया, जो कि बहुत ही भावुक था। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं? इस सदन में जो घटना हुई, उसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग यह कर रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कर्नाटक में समस्या है या नहीं? केरल में समस्या है या नहीं? बंगाल में समस्या है या नहीं? अगर विपक्ष की विधान सभाओं में कुछ लोग कूदकर आग लगाने की कोशिश करें, पाउडर गिराने की कोशिश करें, तो क्या उनको उचित लगेगा? लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, लोकतंत्र नियमों से चलता है, लोकतंत्र संयम से चलता है।

मैं उन लोगों की टिप्पणी देख रहा हूँ, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए मुझे लगा कि उनको रखूँ। इस पूरे प्रावधान में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अपराधी अपराध करके भाग जाते थे, तो उनका क्या किया जाए? तो उनके लिए एक शब्द था- absconder.

पहली बार इन नियमों में, इन कानूनों में इस बात की चिंता की गई है। पहले क्या करते थे कि आपका ट्रॉयल सेपरेट कर दिया और बाकी का ट्रॉयल होगा। बाकी के लोग कहते थे कि कॉस्पिरेसी करने वाले तो मेन लोग लंदन, दुबई, अमेरिका, कनाडा और अफ्रीका में बैठे हैं, तो ट्रॉयल कैसे करेंगे? इस वजह से लटक जाया करता था। अब उनका ट्रॉयल सेपरेट नहीं होगा। उनका भी ट्रॉयल होगा। Trial in absentia - उनको सजा मिलेगी। वे चाहें तो अपील कर सकते हैं। अगर अपील करनी है, तो हिंदुस्तान वापस आना पड़ेगा। अगर सजा हो गयी, तो आप सजायाफ़्ता हैं। उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी और बाकी कुछ भी होगा। उसी प्रकार से यदि कोई विदेश में अपराध की प्रॉपर्टी लेता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। जीरो एफआईआर- मान लीजिए कि असम में कोई घटना हो गयी, लेकिन आप दिल्ली या मुंबई में रहते हैं, तो क्या करें? आप अपने क्षेत्र में उसकी एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो सिस्टम से वहां चली जाएगी। समाज की जो व्यावहारिक चुनौतियां थीं, उनके निराकरण के लिए आपने बहुत ही प्रभावी काम किया है। मैं पुनः अभिनन्दन करना चाहूंगा। मैं थोड़ा

लम्बा बोल चुका हूं, इसलिए अब समाप्त कर रहा हूं। यह मेरा बड़ा प्रिय विषय था, इसलिए मैं 35 मिनट तक बोल गया। इसलिए अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक बात मुझे और कहनी है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): अध्यक्ष जी, मुझे एक प्रश्न पूछना है।

माननीय अध्यक्ष : इसमें प्रश्न नहीं पूछते, वह मंत्री नहीं हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : जो नया कानून आ रहा है, उसमें आपका रोजगार घटेगा या बढ़ेगा?

श्री रवि शंकर प्रसाद : इस पर मैं आपसे बाहर बैठकर बात करूंगा, क्योंकि यह मामला केवल मेरा नहीं है, बल्कि इस हाउस के कई सदस्यों का है। ? (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मुझे एक और बात कहनी थी कि इसमें एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है -कम्यूनिटी सर्विस। यदि आपने कोई अपराध किया, petty offence किया, तो जाइए थोड़ी समाज सेवा आप करिए। यह अच्छी बात है और यह होना चाहिए। इससे बहुत लोगों को सुधारने का अच्छा अवसर मिलेगा। कम्यूनिटी सर्विस में डिफेंडेशन भी आता है। उस साइड के जो मेंबर्स हैं, जो बार-बार कई बातें कहते हैं, तो शायद वह कम्यूनिटी सर्विस करेंगे, तो कुछ सुधार होगा। क्या मैंने ठीक बोला?

अध्यक्ष जी, मैं इस बिल का पूर्ण समर्थन करता हूं। यह एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है। माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी का अभिनन्दन। प्रणाम।

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH-WEST): Hon. Speaker, Sir, I am grateful to you for giving me this opportunity. At the outset, I express my wholehearted support to the Bills under consideration on behalf of Shiv Sena party.

Sir, it has been a priority of the Government to curb the crimes, which are increasing day by day all over India. The crime-mongers are not afraid of police action or law courts since they know well that they would not be punished soon for their crimes or unlawful activities. There are a total of 806 districts in 28 States and eight Union Territories. To deal with crime and civil cases, 672 district courts and 25 higher courts have been established, which are working effectively.

Sir, though the total sanctioned strength of judges in the country is 1443, only 785 judges have been appointed. Thus, 658 posts of judges are lying vacant.

17.00 hrs

This has resulted in a large number of pending cases, say, approximately five lakh plus all over India. The total number of cases pending for more than 30 years is 1,69,000, and 4.3 crore in High Courts throughout India. Considering the large number of pending cases in the courts, top priority should be given to fill up the

vacancies of judges. Not only this, it is also necessary to increase the number of courts and judges. This only can have a deterrent effect on the crimes and criminals. The citizens who are awaiting justice in their years-long cases will be happy to get final verdict in the court within a reasonable time.

The Bharatiya Nagarik Suraksha (Second) Sanhita, 2023 now includes a new section 530(ii) as part of our commitment to creating a digital India. As per this section, trial and proceedings under this Code may be held in an electronic mode by use of electronic communication or use of audio-video electronic means.

An FIR plays a vital role in initiating criminal proceedings and taking the guilty party to the court. Despite multiple attempts to streamline the process, a hurdle still persists in the form of delay in lodging an FIR. The Code of Criminal Procedure, CrPC's Section 154 is set to undergo an important modification through the Bharatiya Nagarik Suraksha (Second) Sanhita. The modification would add Section 173 which states that an FIR for a cognizable offence can be filed through electronic means irrespective of the area where the offence occurs. Also, this is different from the process of uploading the FIR online by police which pertains to making a traditionally filed FIR available in digital form. Under this section, the police officer is mandated to electronically record the information on being signed within three days by the person giving it.

The Bharatiya Nyaya (Second) Sanhita also mandates promptly delivering free of cost a copy of the recorded information to the informant or to the victim as per clause 173(2) of the Bill. This approach enables citizens to report crimes or provide information *via* electronic means rather than resorting to in person visit to police station which might not be feasible due to security reasons or any other issue. Additionally, this may also reduce the hesitation shown by the police officer to lodge an FIR because of its highly transparent nature. Now, the Bill proposes the use of digital technology in eliminating human errors or mischief, and reduces the risk of corruption within the Police Force.

These collective efforts aim to modernise and streamline the FIR registration process.

With these words, I conclude. I really express my thanks. At this stage it is very much necessary. We have completed 75 years of our Independence. So, it was very much necessary. I express my thanks to Amit Shah ji. Thank you.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, you had asked a very pertinent question how much time has flown after the IPC, CrPC and the Indian Evidence Act came into existence. I was just making a calculation. The IPC is 163 years old. The Indian Evidence Act is 130 years old. If we calculate and consider 1972 when the promulgation of CrPC was done, though it was there earlier, it is already 51 years old. All these three Acts which are going to be repealed today are the Acts of 19th century and 20th century. We are in the 21st century.

I would say, four months ago after the first introduction of three new pieces of legislation to overhaul the criminal justice system, the hon. Minister for Home Affairs placed it before us, he revised it last week. The new criminal code makes some crucial changes. The Bills for the first time bring terrorism, corruption, and organised crime under the ambit of ordinary criminal law. There were special laws earlier but now it has come into the ordinary criminal law. These aspects were reserved for stringent special legislation since they upend the general protection by reversing the burden of proof on the accused as per French jurisprudence to restrict bail. At the time of introduction, the Government had told us that three provisions of IPC, that is, sedition, criminalisation of homosexuality, and adultery had been repealed. Fine print shows rajdroh has been changed to deshdroh. The narrative has been doing the rounds for quite some time that the Indian criminal justice system is not delivering. Victims of crime are often helpless. The cases are dragging endlessly and courts are getting choked. These are the four major issues which actually were perturbing us for quite some time. All this is being caused, it is said, because of colonial laws that somehow do not fit with Indian traditions, Indian customs.

The magnificent edifice of the democratic structure today in India rests on the rule of law. As it is always said, as the civilisation progressed, the society formed a ruler or created a *raja* but the *raja* has to perform his duty through law. It is not actually the *raja* who protects the subjects. It is the law which protects the subjects. That is the reason why we look up to our Constitution with great hope and admiration because it is not the Prime Ministers or the Chief Justices who give justice. They do not give us justice. It is the law which protects every citizen of this country. It may be said the State does not protect the citizens. It is the law that protects the citizens. The law is supreme. The three Bills that are before us today are replacing laws of 19th and 20th century. The question is whether they reflect current norms of criminal jurisprudence.

Numerous facets of the Indian criminal justice system predate our independence from the British.

The IPC was modelled after the Irish Penal Code made by English rulers that came into effect in 1860 though the Commission was formulated in 1838 and took 20 years to frame the provisions of the Penal Code. Subsequently, it got implemented in Ireland, but in India it got implemented in 1860. The CrPC was enacted in 1861 and revised in 1973, which establishes the rules for criminal proceedings. In 1872, the Indian Evidence Act modelled as per the British jurisprudence was passed. Since 1872 this has not undergone any significant changes. Now, it is going to be changed with the approval of this House.

Invariably, there had been some talk in media and also outside that how can we pronounce these Hindi versions of the law -- Bharatiya Nyaya Sanhita. As Indians are very innovative, they have already found a way out. Instead of saying Bharatiya Nyaya Sanhita the lawyers are also saying BNS. So, in that respect, that is not an issue in some quarters where they have a tendency not to utter Hindi names or Indian names.

BNS is primarily going to be a primary legislation governing criminal offences. This Bill preserves several sections of IPC. Additional changes include the implementation of new laws targeting organised crime and terrorism; strengthening of punishment for certain existing offences is made and it introduces community service as a form of punishment for some minor offences. Importantly, excluded from consideration are specific violations under IPC that have been invalidated or modified by judicial rulings. These include acts of adultery and same-sex intercourse that is stipulated in section 377. BNS will have 365 sections instead of 511 sections. 175 sections have been changed, eight new sections have been added and 27 sections have been repealed.

Now, I would come to three or four specific sections of Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS). Now, IPC section 124A, that is sedition, says: ?? words, either spoken or written, or by signs attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards the Government established by law ?? be punished. This is the sum total as sedition has been described, and a large number of freedom fighters including my parents were all imprisoned because of this section and went behind bars for months and years together.

But section 150 of the BNS, 2023 says and I quote: ?? or by electronic communication or by use of financial means, excites or attempts to excite secession or armed rebellion or subversive activities, or encourages feelings of separatist activities or endangers sovereignty or unity and integrity of India be punished?. Instead of Government, as I said earlier, established by law, the new section says ?endangers sovereignty or unity and integrity of India?. This is a very welcome step.

But I still find some loopholes, which need to be plugged. Instead of making incitement to violence or disruption to public order a condition precedent to invoke the charges, the proposed section 150 continues to criminalise any act that excites or attempts to excite secessionist activities or encourages feelings of separatist activities. Furthermore, it penalises a person who indulges in or commits any such act thereby giving the law enforcement agencies a greater discretion to decide what can be brought within the fold of an ?act? endangering sovereignty, unity and integrity of India for slapping the charges.

This discrimination needs to be looked into. This bill gives a wide spectrum of discretion to the enforcing agencies.

Thirdly, the term ?separatist activities? can be interpreted in several ways and can be used as a political tool to curb opposition parties to organise protests against any of the policies tabled by the Government.

Section 153 (b) of IPC has been recast as clause 195 of BNS with an addition where 195 (1) sub-clause (b) criminalises the making or publication of false and misleading information jeopardising the sovereignty, unity, integrity or security of India. The phrasing of clause 195 (1)(d) raises three potential causes for concern. ?False and misleading? and ?jeopardising? are the two words that render the clause very vague. There needs to be clarity. It leads to multiple interpretation. Similarly, the word ?jeopardises? can cover a wide unforeseeable range of consequences. Why do you leave all this in the hands of decision makers? It should be noted that the criminal law does indeed deal with the matter of determining what constitutes false information. It also does in other situations such as making a false statement under oath or providing fraudulent evidence, but in this clause, due to subjective nature of determining truth or falsehood, despite the need to control the mass dissemination of misleading information, it will become very challenging.

Another issue which has been incorporated in BNS is the 'organised crime'. Clauses 109 and 110 have been introduced effectively to deal with organised crime. Clause 109 borrows heavily from the existing State legislations in organised crime, especially from Gujarat and Maharashtra. That is also necessary. Clause 110 creates a separate category of 'petty organised crime' from 'organised crime' for the first time. IPC section 120 (a) deals with criminal conspiracy where two or more persons agree to commit a crime. There are two things, 'gang criminality' and 'racketeering', that have not been defined, so are 'anchor points'. There is a word 'anchor points' that I fail to understand. There is no distinction between the commission of an offence and its attempt. It has to be looked into.

Then the concept of community service is not there in IPC. This is a welcome step but BNS does not define what community service will entail and how it will be administered. On mob lynching, clause 101, sub-clause (2) and clause 115, sub-clause (4) introduce a new provision against the heinous crime of mob lynching without specifically using the term. Section 302 of IPC is applied for murder. It says, 'whoever commits murder shall be punished with death'. In BNS, there is a phrase, 'personal belief or any other ground which is without any definitional clarity'. Therefore, it is quite dangerous. On abortion, section 302 of IPC is there. Unfortunately, except for moving the provision from section 302 up to 306 and from clause 86 to 90, no significant changes have been made. BNS does not even bother to change arcane terms such as 'quick with child' with an appropriate word.

There are certain other words also relating to a cart and relating to a horse. All these things have been there that need to be removed because those were the ideas of 19th century, and most of them have crept in here. It repeats the language that was there in the 19th century. Medical and ethical understanding of pregnancy and abortion has gone tremendous change in today's world. That could have been brought in this BNS.

Now, coming to BNSS, this will replace CrPC 1973. The major issue here is that audio-video recordings are now made in line with the increasing use of technology, and for ensuring greater accountability and transparency in police investigation. Courts have time and again emphasized the need for utilization of audio-video recording. Clause 105 in BNSS is new which aims to record search and seizures through 'audio-video electronic' means, preferably by cell phone. Instead of Section 157 of CrPC, it is Clause 176 relating to procedure for investigation. A proviso is added in the BNSS which was absent in CrPC. However, Section 161 and

Section 154 have been retained in Clause 180 and Clause 173 of BNSS. Sub-clause (3) mandates for videography of the process of forensic evidence on mobile phone or any other electronic device which is a safeguard against manipulation and irregularities. This is a crucial safeguard to prevent torture and coercion of the accused during questioning in custody but a significant drawback is that this is not a mandatory requirement.

It is not certain whether subsequent recovery evidence audio/video-wise need to be recorded or not which is not mentioned. There is no mention of audio-video recording during investigation like spot inspection. Instead of Section 164 of CrPC under Clause 183 of BNSS, recording of confessions and statements before a magistrate is crucial safeguard to preserve the rights of witnesses. Confession be recorded in the presence of a lawyer is an all important safeguard against false confession, but this should have been made mandatory. The provision under Section 321 of CrPC has a gap in terms of allowing the prosecutor to withdraw from the prosecution of a case with the consent of the court without giving the victim a chance to be heard. But this is addressed in Clause 360 allowing that that the victim must be heard before such withdrawal is allowed. This is a significant step. The right to information for the victim has been expanded in BNSS. So, in that respect, I believe that BNSS has expanded the scope in protecting the victim in a very great way.

One issue is relating to handcuffing. It falls short of well-settled constitutional threshold established to protect a person's right to dignity under Article 21. Only thing which has come is in economic offences, offenders are now being exempted from handcuffing.

Clause 398 is an entirely new addition which provides that every State Government shall prepare and notify a witness protection scheme for the State with a view to ensuring protection of witnesses. This is a welcome step, no doubt, but it merely reiterates the direction under Mahendra Chawla case, nothing more than that.

Clause 173(3) introduces a mandate for collection of forensic evidence by the forensic experts in all offences punishable by imprisonment of seven or more years.

This clause broadens the scope of forensic experts which could include private experts without any regulatory body to ensure their proficiency or compliance with professional and ethical standards. That could lead to problems as we have

institutes now in our country where boys and girls are studying forensic science. I think, this scope is going to expand in a very great way. But we need a regulatory body also to look into that.

Article 22 of the Constitution requires a person in police custody to be produced before a Judicial Magistrate within 24 hours. The CrPC provides for this. The BNSS retains this provision. There is a phrase 'occasion is past'. This was not defined. But subsequently, after the Standing Committee gave its report, there has been a change in that. BNSS specifies that in petty cases, a person be released as soon as possible within 24 hours but leaves a lot of things for the enforcing agency to their discretion. Suppose I have participated in a demonstration, the police catch hold of me and take me to a certain place 25 kilometres away in a jungle and leave me there, what can I say? I can only travel by foot and come back and say, 'Yes, I have come back within 24 hours'. But that is not the case. It happens. It happens with political demonstrations.

Now, I come to the last Bill, that is the Bharatiya Sakshya Bill (BSB). The Indian Evidence Act, 1872 provides two kinds of evidences: documentary and oral evidence. The Bill provides that electronic or digital records will have the same legal effect as a paper record. There is a need to reset the justice dispensation system. Appellate courts are overburdened with appeals. Victims are waiting for years and undertrial prisoners are languishing in jail beyond their presumed conviction time.

The policing system has not embraced the advancement of 21st Century technology that has transformed investigation and criminology in other countries. The Indian Evidence Act, 1872 is a relic of the past. We have discussed this aspect a number of times in this House earlier. The Bill exhibits modern modifications, linguistic adjustments for gender, inclusivity, and replacement of outdated terms such as 'insanity' with 'mental illness'. In the Bill, the definition of 'document' has been expanded to include electronic or digital records on emails, server logs, documents on computers, laptop or smartphone, messages, websites, locational evidences and voice mail messages stored on digital devices. The definition of 'evidence' has been expanded to include any information given electronically which will enable the appearance of witnesses, accused, experts, and victims through electronic means.

The BSB has incorporated most of the recommendations made by the Standing Committee on Home Affairs. Several drafting errors that were highlighted have been also addressed. Under the Indian Evidence Act, information received from an

accused in police custody is admissible if it relates to a fact discovered whereas similar information is not admissible if it was received from an accused outside police custody. The BSB retains this distinction.

I am coming to the point regarding why I am mentioning it. In 1960, the constitutionality of this provision was challenged on the ground that it creates an unjustifiable discrimination between persons in and outside custody.

The Law Commission, in 2003, suggested redrafting the provision to ensure that information relating to facts should be relevant, whether the statement was given in or outside police custody. The Law Commission has made several recommendations which are not being incorporated but overall, the BSB is in tune with time. This is also being discussed outside. I think some Members may also be speaking on that aspect. If I give a statement before police, I may be under duress and it has been pronounced by the court that it is not admissible. If it is given before a Magistrate, one thing has happened that before a lawyer also, it can be recorded as it is happening in some modern or advanced countries.

To a certain extent, the accused needs protection especially from the law enforcing agency. In conclusion, I may say, laws introduced during the colonial era were enacted to keep the subjects -- *Praja*, as we say -- the Indians in line. Therefore, it is imperative that the outlook must be changed, and law and order must be viewed outside the colonial lens. Since the drafting of a new criminal law is in discussion, it is imperative that justice prevails as drafting criminal law of a nation is not a regular practice.

Hon. Speaker, Sir, this reminds me of one thing that we are missing here in this House. It is for your consideration, Sir. In the old House, the present Samvidhan Sadan, there was a line on top of your Chair in Sanskrit which read, 'Dharma Chakra Pravartanaya'. That means, 'Wheel of Righteousness shall prevail'. What we do here, what we discuss here, ultimately, it is to keep the Dharma Chakra turning. So, you can find a suitable place for that here also because that is something unique to our culture and civilisation. That can be considered.

And here, history is in the making today with a new law for our Indian criminal jurisprudence being enacted. That is a great thing which is happening. I personally thank our hon. Home Minister and also the hon. Prime Minister for taking the initiative. Others could have done it but they did not. You have taken that challenge

upon yourself and the Government has taken that challenge. It goes to our credit that we are a witness to this history in making.

Thank you, Sir.

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): अध्यक्ष जी, आज एक ऐतिहासिक दिन है। सदन में बैठे हम सभी साथीगण इतिहास बनते देख रहे हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के लिए आज जिन तीन विधेयकों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उनमें भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 हैं। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप तो डायरेक्टर जनरल, पुलिस भी रहे हैं न?

श्री विष्णु दयाल राम : जी सर।

जो इंडियन पीनल कोड (आईपीसी), 1860, सीआरपीसी, 1878 और 1973 तथा इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 को रिप्लेस करेगा। इसके लिए मैं तहेदिल से आदरणीय प्रधान मंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ तथा उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करने के लिए वर्षों से कोशिश हो रही थी, ढेर सारी कमेटीज बनी थीं। उदाहरण के तौर पर, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने के लिए बेज़बरुआ कमेटी, मलिमथ कमेटी, विश्वनाथन कमेटी और समय-समय पर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एवं स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने भी बहुत सारे सुझाव दिये थे। लेकिन वर्ष 2019 के पहले इसमें कोई सार्थक पहल नहीं की गई थी। पहली बार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के दिशा-निर्देश में आदरणीय गृह मंत्री जी और गृह मंत्रालय ने इस दिशा में सार्थक प्रयास शुरू किया। यह चार वर्षों के परिश्रम का फल है कि आज तीन विधेयक सदन के समक्ष लाये गये हैं। इन विधेयकों को लाने के पहले वाइड रेंजिंग कंसल्टेशन हुई थी। उसमें 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट्स, 22 विधि विश्वविद्यालयों, 142 सांसदों और 270 विधायकों से सुझाव प्राप्त हुए थे। स्वयं गृह मंत्री जी ऐसे कंसल्टेशन के दौरान 158 अवसरों पर उपलब्ध रहे हैं।

जब इन तीनों विधेयकों को लोक सभा में उपस्थापित किया गया, तो इनमें कुछ त्रुटियाँ पाई गई थीं, जिसके बाद इनको स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स को रेफर कर दिया गया। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स की रेक्मेंडेशंस और सुझावों में संशोधन लाते हुए, पुनः इसको सदन के समक्ष उपस्थापित किया गया।

मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस एक्ट अंग्रेजों की हुकूमत को सुदृढ़ करने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। ये दण्ड देने के लिए बनाये गये थे, ये न्याय देने के लिए नहीं बनाये गये थे। आज सरकार जो विधेयक लेकर आई है, उसकी जड़ में न्याय देने की भावना है, दण्ड देने की भावना नहीं है। अब मैं विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा करूँगा, लेकिन मैं उन बातों को कतई दोहराने की कोशिश नहीं करूँगा, जो पूर्व के माननीय सांसदों ने अपनी-अपनी बातें रखने के क्रम में कही हैं।

17.38 hrs

इसमें ज़ीरो एफआईआर की बात हुई है, यह पहले से ही प्रचलन में था, लेकिन इसको कानूनी अमलीजामा पहनाने का काम इस विधेयक के माध्यम से हुआ है। निश्चित रूप से, ज़ीरो एफआईआर नागरिकों को सुविधा प्रदान करेगी। यदि किसी भी थाना क्षेत्र में अपराध हुआ हो और हमें उसे दूसरे थाना क्षेत्र में रजिस्टर कराना है, तो हम उसे रजिस्टर करा सकते हैं। जिस थाने के जूरिस्डिक्शन में वह आता है, उस थाने में वह चला जाएगा और रेगुलर एफआईआर रजिस्टर हो जाएगा। इस प्रक्रिया को 15 दिनों के अन्दर समाप्त कर लेना है। इसी प्रकार से, इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर की बात है, आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से अपना कम्प्लेंट दायर कर सकते हैं। तीन दिनों के अन्दर उस कम्प्लेंट पर हस्ताक्षर करना होगा और एफआईआर दायर हो जाएगा। नागरिकों को इस प्रकार के एफआईआर दायर करने की जो सुविधा दी गई है, निश्चित रूप से, उस सुविधा को बहुत अच्छे ढंग से और बारीकी से संचालित करने की आवश्यकता है, नहीं तो मल्टीपल एफआईआरज़ की समस्या इकट्ठा हो जाएगी और इन्वेस्टिगेशन में अनावश्यक रूप से विलम्ब होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(1) के अनुसार, यौन शोषण के मामले में पीड़िता का जो बयान दर्ज करना है, तो उसकी विडियो रेकॉर्डिंग करनी होगी।

यह कम्प्लसरी कर दिया गया है। पहले भी अनुसंधानकर्ता अपनी-अपनी इच्छा, अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार विडियो रेकॉर्डिंग करने का कार्य करते थे, लेकिन पहली बार इसको मैन्डेट्री कर दिया गया है। जो सात वर्ष से अधिक सजा वाले मुकदमें हैं, उन मुकदमों के place of occurrence पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री की टीम को जाना आवश्यक है।

अब यह सवाल उठता है कि इतने सारे एक्सपर्ट्स कहां से आएंगे? निश्चित रूप से इसको ध्यान में रखते हुए फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। जैसी कि सूचना है, हर तीन साल में 33,000 फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स अवेलेबल होंगे। पांच साल के भीतर इस तरह की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। निश्चित रूप से यदि इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाती है, तो कनविकशन रेट में बढ़ोत्तरी होगी। कनविकशन रेट को 90 प्रतिशत से ऊपर ले जाने की सरकार की मंशा है।

एक और बात है, जो निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगी, वह यह है कि यदि किसी भी व्यक्ति की थाने में गिरफ्तारी होती है, तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए एक एसआई रैंक का ऑफिसर पुलिस स्टेशन और जिले में नामित होगा। यह गिरफ्तारी की सूचना डी. के. बसु का जो केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, उसमें थी। इसको गिरफ्तारी की सूचना देनी थी, लेकिन थाने से किसी प्रकार की गिरफ्तारी की सूचना, जो व्यक्ति पकड़ा जाता था, उसके माता-पिता या उसके नियर-रिलेटिव्स को नहीं दी जाती थी। इस प्रावधान के चलते अब उनको कम्प्लसरी हो गया है, मैन्डेट्री हो गया है कि वे उसकी सूचना देंगे ही देंगे। सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी दी जा सकती है और टेलिफोन या मोबाइल के माध्यम से भी दी जा सकती है।

बीएनएस के इन प्रावधानों से पॉक्सो पीड़ितों को और बलात्कार के पीड़ितों को प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराना सुनिश्चित होगा। ? (व्यवधान) इस प्रकार की कोई सुविधा पहले नहीं थी। ? (व्यवधान) इस प्रकार की सुविधा निश्चित रूप से इस एक्ट के अनुसार दी गई है। पीड़िता का बयान बंद कमरे में मजिस्ट्रेट के सामने उसकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए जरूरी किया गया है। इस तरह की कार्यवाही को सुनिश्चित करने की बात कही गई है।

इसी प्रकार बीएनएस की धारा 193 के अनुसार बच्चों के खिलाफ जो अपराध दर्ज किए जाते हैं, उन अपराधों का अनुसंधान दो महीनों के अंतर्गत समाप्त किया जाना है। अनुसंधान में हुई प्रगति की जानकारी भी 90 दिनों के भीतर देनी है और उसके बाद हर 15 दिन, जो इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस होगी, उसकी भी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मोड से दी जानी है।

एफआईआर, केस डायरी और चार्जशीट से लेकर जजमेंट तक की जितनी भी कार्यवाही है, सबको डिजिटलाइज करने की बात कही गई है। आरोप पत्र को दाखिल करने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है। विशेष परिस्थिति में कोर्ट की अनुमति से और 90 दिनों का समय लिया जा सकता है, यानी 180 दिनों के अंतर्गत, छः महीनों के अंतर्गत आपको उस केस का अनुसंधान समाप्त करना है।

जो व्यवहारिक स्थिति है और जो आज देखने को मिलता है, वह यह है कि 90 दिनों की बात कौन कहे, दो-तीन सालों तक या उससे भी ज्यादा अवधि तक मामले अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत लंबित रहते हैं। इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूँ कि धाराओं में जो प्रोविजन्स किए गए हैं, धाराओं में जो प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए अकाउंटिबिलिटी फिक्स करना जरूरी है। मॉनिटरिंग क्लोज होनी चाहिए और जो लोग भी इन प्रावधानों को नहीं मानते हैं या उन प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध डेटरेंट पनिशमेंट का प्रावधान होना चाहिए। सारे कदमों पर, सारे स्टेजेज पर टाइम लाइन की व्यवस्था की गई है। अनुसंधान 90 दिनों के अंतर्गत समर्पित कर देना है। यदि 90 दिन से ज्यादा की आवश्यकता है तो कोर्ट की परमीशन चाहिए। इसी तरह से जब केस कोर्ट में कमिट हो जाता है, 60 दिनों के भीतर जो पुलिस पेपर्स उसको मिलने हैं, वे मिल जाते हैं तो 60 दिनों के अंतर्गत डिस्चार्ज पिटिशन डाल देनी है। अगर आप 60 दिनों के अंतर्गत डिस्चार्ज पिटिशन नहीं डालते हैं तो उस पर आप अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं। एक बार ट्रायल समाप्त हो जाने के बाद 30 दिनों के अंतर्गत जजमेंट डिलीवर करना है। उनके बाद 60 दिनों के अंतर्गत उस जजमेंट को अपलोड कर देना है। ये सारी व्यवस्थाएं जो की गई हैं, उसमें टाइम लाइन सुनिश्चित की गई है और इस टाइम लाइन को सुनिश्चित कराना अत्यंत आवश्यक है। एक और व्यवस्था की गई है, राज्य सरकारों के स्तरों पर सिविल सर्वेंट या पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध यदि किसी प्रकार का आरोप पाया जाता है और उनको उस केस को कमिट करने की आवश्यकता होती है तो सैंक्शन देना पड़ता है। अब सैंक्शन की स्थिति यह होती है कि राज्य सरकारें उसे लेकर बैठी रहती हैं। उसमें अब 120 दिनों की बाध्यता बना दी गई है कि 120 दिनों के अंतर्गत राज्य सरकार को सैंक्शन देना होगा। यदि राज्य सरकार सैंक्शन नहीं देती है तो वह डीमड सैंक्शन माना जाएगा। इसी तरह से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है, हालाँकि उसकी चर्चा पहले हो चुकी है कि ट्रायल इन एब्सेंशिया का प्रोविजन किया गया है। उसको ज्वाइंट ट्रायल माना जाएगा और ज्वाइंट ट्रायल मानकर उसकी सुनवाई होगी। जो भी पनिशमेंट देय होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा और उसके लिए उसको आकर कोर्ट के सामने अपने पनिशमेंट के अगेंस्ट अपील करनी पड़ेगी। प्रोक्लेमड अफेन्डर का जहाँ तक प्रश्न है, वे प्रोक्लेमड अफेन्डर सैंशंस कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर होते हैं। उसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी प्रोक्लेमड अफेन्डर डिक्लेयर हो गया, उसकी सम्पत्ति की कुर्की-जब्ती की जा सकती है। यह प्रावधान इसमें किया गया है। जो महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है, वह समरी ट्रायल का है। समरी ट्रायल में जो पहले प्रोविजन था, उसमें जिस केस का पनिशमेंट दो साल होता था, उसी को समरी ट्रायल के अंतर्गत रखा जाता था, लेकिन आज उसको बढ़ाकर तीन साल पनिशमेंट वाले केसेज को समरी ट्रायल के अंतर्गत रखा जाएगा। ऐसे केसेज की संख्या काफी है, जो निश्चित रूप से लंबित कांड हैं और लंबित केसेज हैं, उनकी संख्या में कमी आएगी। हैंडकफिंग के बारे में एक बीच में मामला काफी पेचीदा हो गया था, अब इस प्रावधान के अंतर्गत शुरू में अरेस्ट करने के टाइम में और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के टाइम में हैंडकफिंग सर्टेन मामलों में की जा सकती है। उन सारे मामलों का विस्तृत विवरण किया गया है, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात कही

गई है कि केन्द्र सरकार द्वारा दया याचिका प्राप्त होने पर, राज्य सरकार से कमेंट प्राप्त होने पर 60 दिनों के भीतर यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र अपने मंतव्य के साथ राष्ट्रपति जी को भेज देने की आवश्यकता है ।

सभापति जी, किसी भी केस का विड्राल तब तक नहीं हो सकता है, जब तक कि शिकायतकर्ता की राय न ले ली जाए । पहले ऐसा होता था कि जो दोषी पाए जाते थे, उनको मनमाने तरीके से सजा की अवधि तक जमानत देने का काम होता था । इस बिल में जिन्हें आजीवन कारावास दिया गया है या मौत की सजा सुनाई गई है, उन लोगों की रिहाई का कोई प्रावधान नहीं है । नए प्रावधान के अनुसार मंत्री और राष्ट्रपति जी के बीच में यदि किसी प्रकार का कोई पत्राचार हुआ है, तो उस पत्राचार को कोर्ट नहीं मंगा सकता है, उसका अवलोकन नहीं कर सकता है । आईपीसी की चार-पांच मुख्य बातें हैं, जिनके बारे में सभी सदस्यों ने अपने वक्तव्य में कहा है जैसे sedition, mob lynching, trial in absentia या इलेक्शन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, इन्हें आईपीसी में लाया गया है । इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स पर चर्चा की जा सकती है और इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा है । यह चर्चा का विषय था कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में इलेक्शन से रिलेटेड जो केसेज हैं, उनके बारे में ऑलरेडी प्रावधान किया गया है, इसलिए इसे आईपीसी में लाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन इसे आईपीसी के अंतर्गत लाया गया है । कम्युनिटी सर्विस का जो प्रावधान किया गया है, उससे केसेज की संख्या में काफी कमी आएगी और जिस प्रकार का प्रावधान दूसरे देशों में है खास कर अमरीका वगैरह में, इसका प्रावधान पहले से ही है ।

सभापति जी, मैं दो-चार बातें अपनी तरफ से कहना चाहूंगा । नए भारतीय न्याय संहिता के क्लाज 20 में है कि:

?Nothing is an offence which is done by a child under seven years of age.?

और क्लाज 21 में है कि:

?Nothing is an offence which is done by a child above seven years of age and under twelve, who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion.?

Nothing has been said about a child who is of seven years of age. What about a child who is seven years of age? He is neither less than seven years nor less than 12 years.

सभापति जी, धारा 377 और 483, सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आलोक में इसे डिलीट कर दिया गया है लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि भारतीय समाज के नार्म्स के अनुसार न तो धारा 377 समाप्त होनी चाहिए और न धारा 483 समाप्त होनी चाहिए और ये दोनों धाराएं रहनी चाहिए । मेंटल इल्नेस की जगह पुनः अनसाउंडनेस ऑफ माइंड स्थापित कर दिया गया है इसलिए इसमें कोई विवाद की बात नहीं है । बहुत सारे जो एरर्स या स्पेलिंग मिस्टेक्स थे, प्रोसेस सेंसेस थे, उन सारी चीजों को दूर कर दिया गया है । डाक्यूमेंट्स की परिभाषा को काफी विस्तारित कर दिया गया है । इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकार्ड्स को इसमें सम्मिलित कर दिया गया है । एविडेंस को भी काफी विस्तारित कर दिया गया है । उसमें भी एक्ज्यूज्ड, विटनेसेस, एक्सपर्ट्स और विक्टेम्स के मीनिंग्स को काफी विस्तारित किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से इंफोर्मेशन इकट्ठा की जा सकती है ।

सभापति महोदय, अन्त में यह बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि अभी भी कुछ एक प्रावधान ऐसे हैं, जिनके बारे में मेरी व्यक्तिगत राय है कि उनमें सजा का जो प्रावधान है, वह कम है, जैसे फूड

एडल्ट्रेशन एक्ट के तहत जो सजा है, वह आईपीसी की सजा से ज्यादा है। इसके बावजूद भी इसमें सजा अपर्याप्त लगती है। इसी तरह से, यदि कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेन्ट को इम्पर्सोनेट करता है, तो उसके लिए तीन माह के कारावास की सजा या पाँच हजार रुपये जुर्माने का जो प्रावधान किया गया है, यह सजा भी कुछ कम लगती है।

महोदय, जब हम कोलोनियल एरा की बात करते हैं और यह बात कहते हैं कि यह कानून ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था और यह कानून एक खास उद्देश्य से बनाया गया था, जो व्यक्ति उनकी खिलाफत करते थे, उन्हें दंडित करने के लिए बनाया गया था, तो एक पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहूंगा कि पुलिस को ब्रिटिशर्स ने कभी भी अच्छी निगाह से नहीं देखा, कभी उन पर विश्वास नहीं किया। उनकी बातों पर विश्वास न करने का उनका कारण था। पर, आज जब हम नया कानून लेकर आ रहे हैं, हालांकि इसके दोनों पहलू हैं, पक्ष में भी हैं, विरोध में भी हैं। However, the statement before a police officer is not admissible before the court of law. इस पर विचार किया जाना चाहिए। जो भी स्वतंत्र देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें उन्होंने विभिन्न माध्यमों से इसको सर्कमवेंट करके यह सुनिश्चित करने का कार्य किया है कि उनके समक्ष जो एविडेंस आता है, वह किस प्रकार से सही तरीके से प्राप्त किया जा सकता है और यदि वे किसी प्रकार की गड़बड़ी करते हैं तो किस प्रकार से उन्हें दंडित करने का प्रावधान किया जा सकता है, ताकि उनके समक्ष जो भी बयान आए, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। यदि गड़बड़ी पाई भी जाती है तो उसके आधार पर उसे सबूत के तौर पर उतना महत्व देने की जरूरत नहीं है।

महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे तरीके से इस तरह की चीजों को समाप्त किया जा सकता है। आप कितने सालों तक पुलिस पर अविश्वास करते रहेंगे? इन्वेस्टीगेशन तो उन्हें ही करना है, केस डायरी तो उन्हें ही लिखनी है, तो केवल उनके समक्ष जो स्टेटमेंट आएगा, अगर उसके आधार पर आप कहेंगे कि यह इन-एडमिसिबल है, कोर्ट में इसकी मान्यता नहीं है, तो इस पर विचार किया जा सकता है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : अगर हाउस सहमत है तो सदन का समय आठ बजे तक बढ़ाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य : हाँ।

माननीय सभापति : धन्यवाद।

श्री प्रिंस राज।

18.00 hrs

श्री प्रिंस राज (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, आज मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से अंग्रेजों द्वारा बनाए गए तीन कानूनों को समाप्त कर नए कानून लाने के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरगामी प्रयास के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, यहां हमने अपने सहयोगियों को सुना। यहां वरिष्ठ सांसदों ने अपनी-अपनी बातों को रखा। श्री रवि शंकर प्रसाद जी ने अपनी बात रखी।

सर, आपने स्वयं भी अच्छी तरह से विस्तार में अपनी बातों को रखा। श्री विष्णु दयाल राम जी ने अपनी बातों को रखा। उन्होंने बहुत-सी चीज़ों को अच्छी तरह से समझाया कि इस बिल में क्या-क्या चीज़ें नहीं हैं और क्या-क्या चीज़ें हटाई गई हैं।

सर, हम अपना अनुभव यहाँ पर बताना चाहेंगे। आज से करीब 10 साल पहले, जब हम अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए थे, जब हम वहाँ पर लोकल नागरिकों से बात करते थे, तब एक जगह यह बात उठी, वहाँ हमसे यह पूछा गया कि क्या आप अभी भी उसी सदन में जाते हैं, जो हम लोगों ने बनाया था। सर, आप समझ सकते हैं कि हमें उस वक्त कैसा लगा होगा और आज हमें कैसा महसूस हो रहा है, जब हम यहाँ खड़े हो कर अपनी बात अपने स्वदेशी सदन में रख रहे हैं और इस अंग्रेज़ी कानून को बदल कर अपने स्वदेशी कानून के लिए बोल रहे हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि हमें आज के दिन कितना फ़ख़्र हो रहा होगा।

सर, ये जो तीन अंग्रेज़ी कानून हैं? पहला, इंडियन पीनल कोड, 1860 जो अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 होने जा रहा है। दूसरा, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, 1898 जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 होने जा रहा है और तीसरा, इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 जो अब भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 के रूप में स्थापित होने जा रहा है।

सर, ये जो तीनों अंग्रेज़ी कानून थे, जब ये बनाए गए थे, तब इनका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो उस वक्त के शासक थे, जो शासन कर रहे थे, उनको किस तरीके से बचाया जाए और आम लोगों को किस तरीके से दंडित किया जाए। लेकिन ये जो तीन नए कानून आ रहे हैं, उनका उद्देश्य है कि भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की सुरक्षा करते हुए न्याय दिलाया जाए। इनमें यह प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया में सजा को केवल अपराध को रोकने की भावना से किया गया है और आवश्यकता अनुसार सजा दी जाएगी। सर, इससे हमारे क्रिमिनल ज्यूडिशरी सिस्टम में बड़े पैमाने पर परिवर्तन आएगा। सर, जब ये कानून बनाए गए, अभी हमने अपने सीनियर्स को सुना, इन कानूनों पर तरीबन चार वर्षों से काम किया जा रहा था। करीब 18 राज्यों, 6 केंद्र प्रशासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट्स, 5 ज्यूडिशरी अकेडमी, 22 लॉ यूनिवर्सिटीज़, करीब 142 एमपीज़ के सुझाव, 270 एमएलएज़ के सुझाव और जनता में से बहुत से लोगों ने जो सुझाव दिए हैं, उन सुझावों को मद्देनज़र रखते हुए, इनकी रचना की गई है।

सर, कानून में दस्तावेज़ों की परिभाषा को भी विस्तार दिया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एवं डिजिटल एविडेंस को भी कानूनी वैधता दी गई है और अत्याधुनिक तकनीकों को भी समाहित किया गया है। सर्च और ज़ब्त के वक्त वीडियोग्राफी को भी अनिवार्य किया गया है। दोष सिद्ध करने के परिणाम को बढ़ाने के लिए फॉरेंसिक साइंस को भी बढ़ावा दिया गया है, जिसके लिए हम अपने आदरणीय प्रधान मंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया।

सर, यहाँ पर जब कई बिल आते हैं, तब बहुत सी चीज़ें उसमें होती हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा हरेक चीज़ का होता है, जैसे मान लीजिए हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, जब रेल बजट आता है, तब लोगों के कान बस एक जगह टिके होते हैं कि हमें किराया कितना देना है, वैसे ही जब आम बजट आता है, तब लोगों को एक ही बात की दिलचस्पी होती है कि हमारी पॉकेट से कितना रुपया टैक्स के रूप में जाएगा। उसी तरीके से जो यह नए तीन कानून आ रहे हैं, इनके अंदर और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि पूरा देश टीवी देख रहा है और सभी को बस एक बात का इंतज़ार है कि हम जो केस दायर करते हैं और जो सुनने को आता है? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, वह कितनी कम हो जाएगी। हमें लगता है कि देश की जनता इसकी ओर देख रही होगी। हम आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देते हैं, आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र

मोदी जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से लिया है। इसमें जो आरोप पत्र दाखिल करने की समय सीमा है, उसके लिए 90 दिन तय किए गए हैं। अगर किसी तरह की कोई परिस्थिति आ गई तो उसको 90 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है, अनुमति दी जा सकती है। कुल 180 दिनों में जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना होगा। चार्जशीट मिलने के 7 दिनों में आरोप तय करने का प्रावधान है। बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर अदालत को सज़ा सुनानी होगी।

जो केसेज सालों साल तक लटके होते हैं, उनका जल्द से जल्द निष्पादन करने में आसानी होगी।

सर, हमारा देश भारत सदियों से आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहा है। आज पूरा विश्व इस चीज़ को मानने के लिए राजी हो गया है। पहले इसे कोई नहीं मानता था। आज आतंकवाद, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध को भारतीय कानून के तहत लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इन कानूनों में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रावधान किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि अपराधियों को सजा मिले एवं पुलिस अपने अधिकारों का कम से कम दुरुपयोग न करें।

सर, ये तीनों बिल्स ऐतिहासिक हैं। इंडियन क्रिमिनल ट्रायल प्रॉसिक्यूशन की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजी का समावेश करने और कोर्ट में केसों को जल्द से जल्द निष्पादन करने के लिए इसकी आवश्यकता है।

सर, हम बिहार से आते हैं। जब भी हम अपने घर पर होते हैं, हमारे समक्ष कई समस्याएं आती हैं। कई लोग अपने-अपने ग्रीवान्स को लेकर आते हैं। उसमें सबसे बड़ा ग्रीवान्स यह होता है कि लोगों के ऊपर अत्याचार होता है। गरीब लोग चाहे वे अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जनजाति के हों, पिछड़ा वर्ग के हों, या गरीब लोग हों, जब उन पर अत्याचार होता है तो उनके समाज के लोग कहते हैं कि भाई, केस मत कीजिए। अगर आप केस करेंगे तो लटक जाओगे, सालों साल केस चलेगा। तुम्हारा पैसा, जमीन और घर बिक जाएगा, लेकिन तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा।

सर, हमें लगता है कि इन तीनों कानूनों के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उससे सबसे ज्यादा फायदा हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और गरीब लोगों को मिलेगा। उनमें एक भरोसा जगेगा कि अगर उनके साथ अन्याय होता है तो वे न्याय की मांग कर सकते हैं।

सर, मैं पुनः इन तीनों बिल्स को लाने के लिए अपने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ।

सभापति जी, आज आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से इन तीनों विधेयकों का पुरजोर समर्थन करता हूँ।

श्री तेजस्वी सूर्या (बंगलौर दक्षिण): सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे इस ऐतिहासिक अवसर पर अपना विषय रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ।

This august House is today a witness to history in the making in the true sense because what we are enacting today is a historic reform that will touch the lives of

140 crore Indians not just for today but for centuries to come. While doing so, we are ridding ourselves of a 162-year-old colonial baggage and are moving towards a *swadeshi vyavastha* at the time when Bharat is entering the Amrit Kaal of its glorious period of history. I want to thank and congratulate, hon. Prime Minister, Narendra Modi ji and our very visionary Home Minister, Amit Shah ji for piloting this historic reform of India's criminal justice law.

Chairman Sir, if you will spend a minute to understand the context in which our criminal justice system came to be introduced by the British, it comes to light that all the three criminal justice legislations, the IPC, the CrPC, as well as the Indian Evidence Act were enacted right after the first war of India's Independence in 1857. The objective of the then British Government while introducing these three legislations was to subject the natives, subject the Indians to such a criminal justice system that will obliterate, annihilate all kinds of possibilities of rebellion.

So, all the three laws, namely the Indian Penal Code, the CrPC and the Evidence Act were enacted with this intention of subjecting the native population to humiliation and making sure that their self-confidence was always subjected to insights. The British understood that there are two important aspects of a society that need to be controlled to completely colonise and destabilise a native population. One was education and the other was the criminal justice system.

Lord Macaulay in his prophesied 'Education Minute' exhaustively mentions how the British tried their very best to remove from the civilizational memory of this country, our educational as well as criminal justice system that had been in practise for so long in the country. I must say today that when the country is on the threshold of *Amrit Kaal* under the leadership of hon. Prime Minister, Narendra Modi ji, we have implemented the National Education Policy, 2020 and today we are enacting these three Sanhitas, which are going to replace the colonial codes and in the true sense we are moving away from colonisation of education and colonisation of our criminal jurisprudence.

Today marks an important day also because for about 160 long years and almost seven decades after Independence the country's criminal justice system followed legislations, which were made by the British, made for the welfare of the British, and made in Britain. Today, in those places we are enacting a law that is made by Bharat, made in Bharat and made by Bharatiyas for the welfare of Bharatiyas. This marks a very important step in our decolonisation journey.

While we are here, I would want to draw the attention of this House to another important aspect of the British criminal jurisprudence of how vicious the intent of the British was while bringing and enacting these legislations. One of the biggest examples of this intent of the British is the example of the Criminal Tribes Act of 1871. In 1871, the British Raj enacted a legislation called the Criminal Tribes Act under which large communities, large tribes were declared as criminals by birth and they were subjected to multiple humiliations and restrictions. There were police manuals that were drafted enumerating long lists of how these criminal tribes must be dealt with, how they must be punished, how they must be abused, and for a long time, even after Independence, many of our jail manuals contained these very provisions, and many tribes that were enumerated in the Criminal Tribes Act faced severe humiliation both legally and socially.

Many of the major castes of Hindu society like ? like this, these were the words that were used by the British. ? (*Interruptions*) Yes, it is unparliamentary. These were the words that were used by the British. Many of these communities or 140 of them were declared as criminals by birth. By 1947, at the time of our Independence, more than two crore people existed in this country who were, by definition, criminals by birth.

This was the intent behind the criminal justice system of the British. This is just to explain the monumental difference that we are today making by moving out of the dark shadow of the British?s criminal justice system and moving towards a completely Indian and *Swadesi* justice system.

HON. CHAIRPERSON: I suggest that the names that have been uttered should be removed. Only the numerical, i.e. two crore, should be there.

SHRI TEJASVI SURYA : With respect to the changes that have been made in these three legislations, I want to take a few minutes to highlight some very important changes. Under the BNS, precedence has now been given to crimes against women and children. Some of the most important changes that have been made have been made keeping in mind the protection, empowerment, and justice delivery for our sisters in the country. Not only the precedence in numbering reflects this intent of the Government but also providing death penalty for gangrape of a minor girl is introduced for the first time. Most importantly, we have been witnessing for the last few years that a concerted attempt by a certain vested interest group of suppressing their identity and luring young women under the false pretext of marriage. Even this has been declared an offence and stringent provisions have

been made to punish such attempts. We also keep observing that there are multiple instances of hit and run cases; what we refer in a collectible term. In most of these hit and run cases, it is always the rich who hit and run, and the poor who do not have access to justice, and power are left fighting for justice without any support. For a long time, this offence of hit and run was not codified and not declared as an offence. That has now been brought into the law and, as also, offences like chain snatching and mobile snatching. If you go to any police station today, you will see a board. Most of the cases that are reported in urban areas, at least, in our country are the chain snatching and mobile snatching cases but, unfortunately, we did not have a penal provision to deal with this. This has been added now.

We have also seen that whenever there are protests in the name of displaying outrage, certain antisocial elements use that opportunity to damage public property amounting to crores of rupees. For the first time, under mischief, by expanding the provision, 'damage to public property' has also been made an offence. Hereafter, any antisocial elements who indulge in any such activity will be facing the music of the law. There were many provisions which were reflective of the colonial and Victorian morality of that era. Both sections 377 and 497 which dealt with adultery were a reflection of this Victorian morality. Both of them have been omitted and we have now truly moved away from a pre-colonial legislation system to a post-colonial legal system.

There is another aspect that gives us a great amount of joy. For a long time, the Indian Penal Code was not fully applicable to the whole of India, it was applicable to the whole of India except in the State of Jammu & Kashmir and in Jammu & Kashmir, we had the Ranbir Penal Code that was in existence. With this Act, and with the abrogation of the article 370, the BNS will be applicable to all the States including the State of Jammu & Kashmir. This is another very historic step that Parliament has taken with this enactment.

While these are some of the important changes that have been made to the BNS, the Criminal Procedure Code was also crying for reform.

Many committees, the mention of which have been made earlier, made reports on reports. Committees gave voluminous suggestions, but none of that was implemented by earlier Governments because the Criminal Procedure Code is that procedural law which is the foundational law on which criminal justice system is adjudicated, delivers justice. But it was the discrepancies inherent in the CrPC that

led to the vast number of under-trials that we have, pendency of cases that we have, the complexity of criminal justice system that we have, and the whole `justice delayed is justice denied? kind of a feeling that a large number of people in this country felt that going to court was itself a punishment. It was a vexatious issue. Many major changes are made under the CrPC to address the complexity of the procedure and make it more simple, keeping the citizen's interest and protecting the interests of both victim as well as the informant. For example, it has been provided that no arrest shall be made in any case of an offence punishable for a term less than three years, and if the person has infirmity or is above the age of 60 years, he cannot be arrested without prior permission of the officer not below the rank of DSP. We are aware that how in many cases, especially in Section 498 dowry cases, senior citizens are harassed even at the cost of false cases that are registered. Even though the Supreme court in multiple instances, even in Lalita Kumari and many other judgments, has enumerated that arrest should not be made whimsically or arbitrarily, experience is such that this was not followed. For the first time, by codifying this as a principle, interests of those people who are weak, senior citizens are protected from arbitrary arrests. The provision on mandatory video-conferencing during search and seizure also tries to balance harmoniously the interest of the victim as well as the need for transparent and fair judicial system. We have also come across, in our own experience, people coming to MPs, people coming to MLAs with complaints that they went to the police station, but the police did not file an FIR saying that it does not come under their jurisdiction. वो भागते रहते हैं, यहां ? वहां, इधर -उधर । By the time he finds out which police station comes under his jurisdiction, time would have lapsed and the FIR and its sanctity would have lost meaning and in multiple instances cases have gotten quashed at courts because of the delay in filing of FIRs. For the first time, through zero FIRs and e-FIR, this paradigm change has been brought in our criminal justice system where an individual can report a case, file an FIR of a cognizable offence in any part of the country and it is mandated on the part of the police to register the case and then forward the complaint to the police station concerned for investigation. This is again a very, very welcome step.

In addition to that, it has come to our experience that when a complainant or an informant goes to a police station, files a case, after filing of the FIR, he is not aware as to what is the status of the case or what is happening with it, he will have to repeatedly meet the Station House Officer. He is not aware, and he goes to the DCP office, standing for hours together. He is not aware of the status of the case or status of the investigation. But in this Sanhita, it has been made mandatory,

provided that the police officer in 90 days shall inform the progress of investigation to the informant or victim by digital means. This is again an attempt at making the citizen the center of criminal justice system and not the crown. In addition to that, one of the biggest challenges that our criminal jurisprudence or criminal justice system faced was the abysmally low conviction rates.

If you compare our conviction rate to more advanced jurisdictions like Israel or Australia, our conviction rate is abysmally low. One of the reasons for this low conviction rate is the quality of evidence that is submitted before our courts. To address that, especially in serious offences, it has been made mandatory for forensic science experts to visit the crime scene to collect forensic evidence in all cases that are prescribing punishment for seven years or more. This is a truly revolutionary provision because not only is it going to enhance our conviction rate, it is also going to protect those innocents but those who are facing false allegations and false charges. This is because one of the foundational principles of an effective functioning criminal justice system is to punish the guilty and to protect the innocent. That can be done if the quality of evidence submitted before the court is increased. This is a very important provision in that regard.

The other big affliction, ailment of India's criminal courts is the delay in dispensation of justice. The moment a case is filed, you never know when the justice is finally dispensed. Going to the courts itself is a vexation, is a punishment for both the victim, his family as well as the accused. For the first time, investigation, submission of charge-sheet, investigation pursuant to filing of charge-sheet, pronouncement of judgement, all of these have been made time-bound by the statute itself.

Even seeking of adjournments was a common practice for all. Many lawyers in the House who have practised in the criminal courts are aware that seeking of adjournments as a matter of right is a practice seen in our sessions courts, in our trial courts. Every delayed date creates a burden not just on the exchequer but also on the families of the victim as well as the accused. For the first time, even this arbitrary adjournment has also been dealt with under the Sanhita where it has been provided that where the circumstances are beyond the control of a party, not more than two adjournments may be granted by the Court after hearing the objections of the other party and for the special reasons to be recorded in writing. In a sense, this provision will make sure that there is a *mukti* from unlimited and arbitrary adjournments, which is a big ailment of this system.

We have also seen that in many cases, even in serious cases which have a political colour, if there is a change in dispensation, the new Government drops the prosecution of these cases. In Karnataka, the previous edition of the Siddaramaiah Government dropped more than 1600 cases belonging to the now banned and declared terrorist organisation like PFI to meet their vote bank politics. In many instances, these were very serious cases of murder, culpable homicide, organised crimes, terrorist activities. More than 1600 cases were dropped. In many instances, even the victims were not heard. For the first time, under the new Sanhita, it is mandated that where prosecution is supposed to be withdrawn, especially in cases where the punishment is seven years or more, the victim side shall be given an opportunity of being heard. This is again a very important step in not only diluting political interferences in criminal justice system and prosecution, but also placing the interest of the citizen, the victim over and above the interest of the State.

One of the points that Ravi Shankar Prasad ji made was about the condition of our undertrials. Hon. Chairperson, Sir, I remember when you had made an intervention earlier when the Bill was proposed four months ago and had drawn the attention of this House to the condition of our undertrials. Lakhs of people who may be otherwise innocent are languishing in our country's jails because the wheels of justice are moving so slowly and painfully slowly. In many of these instances, rather in most of these instances, the undertrials are young people. Any third-year or a fourth-year law student who had visited a jail will understand that 80 per cent of our undertrials are young people who are staring at a bleak future just because their cases are not being heard properly. In many instances, they would have completed more time as an undertrial than what they would have faced had they been convicted of that offence. To address that issue, a new provision has been made that if a person is a first-time offender, he shall be released on bail by the court if he has undergone detention for the period extending up to one-third of the maximum period of imprisonment specified for that offence. It has also been made mandatory that where the undertrial completes one half or one-third of the period, it will be the duty of the Jail Superintendent to forthwith make an application in writing to the court in this regard.

Hon. Chairperson, Sir, I want to take a couple of minutes at the end to only highlight some monumental changes that have been made in the Indian Evidence Act. One of the biggest challenges that our courts would face in evaluating and appreciating evidence in today's day and age where digital, IT, electronic evidence, play such a vital part of our everyday communications, was that our Evidence Act

was not equipped to handle and appreciate the quality of electronic evidence. The thrust of the changes that have been made in the Evidence Act, which is now going to be replaced by the Sakshya Bill, is the importance placed on electronic evidence, digital evidence, and new age mediums of communication and presentation of evidence before the court.

HON. CHAIRPERSON: It is used as primary evidence. Earlier, some electronic equipment was used as secondary evidence. Now, it is primary.

SHRI TEJASVI SURYA: Hon. Chairperson, Sir, I am coming to this point. I want to explain this with an example.

Hon. Chairperson, Sir, you must be aware and the House must be aware that very recently, in the famous case of ?, he was acquitted.

HON. CHAIRPERSON: Do not mention the name. That name should not go on record.

SHRI TEJASVI SURYA: Hon. Chairperson, Sir, he was acquitted on the premise that the person who recorded the speech did not provide the original DVD to the Investigating Officer. But the speech was broadcast live, and millions of people all over the country and all over the world were witness to it. But the court ruled that the digital evidence that was submitted before it was not admissible because the person who recorded the original DVD, did not provide it to the Investigating Officer. So, all other copies which were available online and which were available at the time of making of the speech were not considered either as primary evidence or secondary evidence, and were rejected. This was a major lacuna in our Evidence Act. That has been addressed by expanding the definition of primary evidence.

In the new Section 59, in the definition of primary document, new explanation has been added. A video recording which is simultaneously stored in an electronic form and transmitted or broadcast to another, in such a case, each of the stored recording is considered as original.

So, had this Bill got enacted a few years ago, the fate of that person who made hate speech would have been very different than what it is today, Chairman, Sir.

In addition to that, provision has also been made to make available evidence through appearance of witness, accused, victims through electronic means. We have seen how in many instances cases have gone on forever because either the

witness or the expert witness or any other person could not appear before the court physically.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude

SHRI TEJASVI SURYA: So, all of these are important changes that have been brought to the criminal justice system by the enactment or the introduction of these three important legislations.

Sir, I must place on record the gratitude of millions of young Indians today because I represent the demography in this House for bringing this monumental reform. It is because this is a philosophical change in the way we are approaching our citizens. This is a philosophical difference in the way the country and the country's criminal justice system is viewing our own people. This marks a departure from the colonial era legislations.

Chairman, Sir, the United Kingdom and its press were aware that Narendra Modi Government will herald and usher in such reforms and they knew this on the very first day that the people of this country gave Narendra Modi ji the mandate in 2014.

I want to conclude by reading four lines from the Editorial of the Guardian newspaper of 18th May, 2014. On 18th May, 2014, just after the election results were declared and the country's people had elected Modi ji to be the Prime Minister of the country with an overwhelming mandate, the Guardian wrote in its Editorial.

‘Today, 18th May, 2014, may well go down in history as the day when Britain finally left India. Narendra Modi's victory in the election marks the end of a long era in which the structures of power did not differ greatly from those through which Britain ruled the sub-continent. India under Congress was in many ways a continuation of the British Raj by other means.’

This was an observation made not by an Indian newspaper. This was not an observation made by the *Panchjanya* or the Organiser of RSS. This was the observation that was recorded by Britain's foremost newspaper the Guardian, on the day the people of this country voted Narendra Modi ji to office in 2014. And what has followed since then is a conscious effort towards decolonisation of this country through the education policy and now through these historic *sanhitas* which are going to overhaul the delivery of the criminal justice system in India.

Finally, the meaning of the word Swarajya has attained the true meaning because the country is moving towards respecting *swabhasha*, *swadharma* and *swadesha*.

Thank you so much, Chairman Sir, for giving me this opportunity.

HON. CHAIRPERSON: Thank you, Tejasvi ji.

Now, we will hear another former police officer who practiced IPC, CrPC and Indian Evidence Act, Dr. Satya Pal Singh ji.

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : आदरणीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर और समय देने के लिए, मैं आपका तथा अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ।?(व्यवधान) मैं इन तीनों बिलों ? भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

सभापति महोदय, मेरे लिए ये एक ऐतिहासिक दिन भी है और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात भी है कि मैं इन बिलों पर बोल रहा हूँ।?(व्यवधान)

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Mr. Chairman I have been waiting since 2 pm. This is very unfortunate. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I restrain you. Do not utter such words inside the House.

? (*Interruptions*)

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: I will not utter ...

HON. CHAIRPERSON: This is going beyond limit.

? (*Interruptions*)

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: I am equal to you.

HON. CHAIRPERSON: So am I and everyone.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: But you are a single Member in the House. You will speak when your turn comes.

? (*Interruptions*)

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: When will my turn come? I have been waiting since 2 pm.

HON. CHAIRPERSON: You have to wait for the direction of the hon. Speaker and accordingly, it will be decided.

? (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: You take your seat. You will be allowed to speak. But you have to take your seat. As a Member of the House, you will be allowed to speak. I have been saying this repeatedly. Stop casting aspersion on the Chair.

? (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: That you have done. That you have done. I do not want to quarrel with you inside this House.

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: I am wating.

HON. CHAIRPERSON: Everybody is waiting. I have a long list with me.

? (Interruptions)

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: So what? You should have allowed me much earlier.

HON. CHAIRPERSON: I am not sitting here to answer your questions.

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: Is there any difference between you and me?

HON. CHAIRPERSON: Dr. Satya Pal Singh.

डॉ. सत्यपाल सिंह : सभापति महोदय, इन बिलों पर बोलने के लिए मेरे लिए एक ऐतिहासिक दिन भी है और सौभाग्य का समय भी है। इसके दो कारण हैं। पुराने कानूनों को लागू करने के लिए और करवाने के लिए मैंने 33-34 वर्ष इस देश की सर्वोत्कृष्ट पुलिस सेवा में बिताए। मैंने बहुत बार देखा कि जब कोर्ट्स से फैसले आए तो मैंने पुलिस, राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार की इन एजेंसीज को असहाय पाते हुए देखा, क्योंकि मैंने सीबीआई में भी काम किया है। मैंने पीड़ितों, विक्टिम्स को कराहते हुए देखा, मैंने अपराधियों और गुनाहगारों को कानूनों की खिल्ली उड़ाते हुए और हसते हुए देखा। जब से हमने सर्विस ज्वॉइन, तब से हम लोग यह बार-बार सुनते थे कि इस देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की व्यवस्था चरमरा गई है और जैसे आदरणीय रवि शंकर प्रसाद जी कह रहे थे। मैंने मुंबई जैसे शहरों में काम किया। कई बार हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल होता दिखता था, इसलिए पब्लिक के प्रेशर और सरकार के प्रेशर में बहुत बार पुलिस एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल मैथड्स को भी अपनाती थी, जिनको लोग एनकाउंटर और पुलिस एक्शन कहते हैं। अगर समय मिलेगा तो मैं उसके कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। महोदय, मेरे बोलने का दूसरा सौभाग्य इसलिए भी है कि इस हाउस में आने से पहले, इन बिलों के पेश होने से पहले गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये बिल आए तो मुझे होम अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य होने का सौभाग्य मिला और इन बिलों पर चर्चा करने तथा अपने विचार रखने का मौका मिला। हम लोग

एक सत्य, सनातन संस्कृति पर विश्वास करते हैं। इस सत्य, सनातन संस्कृति के मूल और सार्वभौम ज्ञान के मूल वेद में एक बहुत सुंदर मंत्र आया। वह मंत्र है ?

?ॐ इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् । अपघ्नन्तो अरावणः॥?

महोदय, यह मंत्र मैं इसलिए भी कोट कर रहा हूँ कि वर्ष 2011 में मुझे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाने का मौका मिला। वहाँ हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स का एक ग्रुप था। वहाँ पर अंग्रेज लोग आए और उनके प्रोफेसर्स यह बात बड़े गर्व के साथ कह रहे थे कि सारी दुनिया के अंदर पुलिसिंग सिस्टम हमने दिया है।

फिर वह चाहे इंडिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, सभी जगह हम लोगों ने पुलिसिंग सिस्टम दिया। मैंने उस समय भी उन अंग्रेजों के सामने, प्रोफेसर लोगों के सामने इस मंत्र को कोट किया था और यह मंत्र यह कहता है कि अगर हम जीवन में, समाज में, राष्ट्र में सुख-समृद्धि और शांति चाहते हैं। अगर हम सम्मान चाहते हैं, सतत् प्रगति करना चाहते हैं तो देश में कानून का राज चाहिए, रूल ऑफ लॉ चाहिए। सबकी सुरक्षा, सबको न्याय, सबको आजादी। इस मंत्र के अंदर यह कहा गया- अच्छे विचारों, परम्पराओं, रीतियों, व्यक्तियों और संस्थाओं का संरक्षण करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, ?इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः?। दूसरा, अबोध, अज्ञानी, दुर्व्यसनीय, अपराधिक प्रवृत्ति वालों को समझाओ, उनको शिक्षा दो, कानून बनाओ और कानून का प्रचार और प्रसार करो। तीसरा, यह भी कहते हैं कि ?अपघ्नन्तो अरावणः?, जिनको सुधारा नहीं जा सकता, जो सुधरना नहीं चाहते, अंग्रेजी में इसको इनकोरिजिबल बोलते हैं, ऐसे दुष्टों का, शांतिर हाईकोर अपराधियों का, आतंकवादी-जिहादियों का, चरमपंथियों का दमन भी होना चाहिए, शमन भी होना चाहिए, दफन भी होना चाहिए और जरूरत पड़े तो उनका वध भी होना चाहिए। मैंने कहा था कि इस देश और दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति सबसे प्रथमः संस्कृति विश्ववारा। सारी दुनिया को कानून सिखाने वाली, सारी दुनिया को संस्कृति सिखाने वाली इस देश की संस्कृति रही है। इन तीनों उद्देश्यों को लेकर ही आज के यह विधेयक आए हैं। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे संगठन और सरकार में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। हम यह भी कहते हैं कि इंसान और न्याय से बढ़कर के दूसरा कोई अमृत नहीं है, दूसरी कोई दवाई नहीं है। इस अमृतकाल के अंदर ये तीनों विधेयक, तीनों बिल इस अमृतकाल का आधार बनेंगे।

सभापति महोदय, जैसा मैंने कहा था कि इस पुरानी आपराधिक न्याय व्यवस्था जो अभी तक चालू है, उसमें बहुत कमियाँ थीं और कई बार, हम लोगों ने जब से सर्विस जॉइन की, हमने जजों को भी सुना, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी सुना, इस देश के चीफ जस्टिसेस को भी सुना और सब लोग यह बोलते थे कि इसमें सुधार होना चाहिए। बहुत कमियाँ थीं। आदरणीय रवि शंकर प्रसाद जी भी कह रहे थे कि एक प्रकार की जटिल व्यवस्था थी। इस जटिल व्यवस्था के अंदर गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता था। बहुत खर्चीली और वर्षों तक केस पेंडिंग रहता था। कुछ में तो कई-कई पीढ़ियों तक चलता था। मैंने सीबीआई में काम करते हुए देखा कि 30-30 और 40-40 वर्षों तक क्रिमिनल केस हाई कोर्टों में पेंडिंग रहे। उसमें इनवेस्टिगेशन के प्रमाण की भी आज्ञा नहीं दी गयी। ऐसे बहुत सारे केस मैंने देखे हैं। जिसको हम न्याय का मंदिर मानते हों, वहाँ अगर न्याय मिलता भी है तो देरी से मिलता है। जैसा आप भी कह रहे थे कि "Justice delayed is justice denied" हमारे देश के एक पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं श्री के.आर. नारायणन जी, उन्होंने एक बार चीफ जस्टिस की कांफ्रेंस में एड्रेस करते हुए कुछ बातें कही थीं। उन्होंने कहा था- ?The law court is not a cathedral but a casino where so much depends on the throw of the dice.? Judges do not give justice, they give judgements. They pronounce judgements according to the

evidence put up before them. Here the accused is more protected than the victim. हम लोगों को केस मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी रात के अंधेरे में, रात के दो बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुल जाता है। पहले ऐसा हुआ है। पहले ऐसे केसेस हुए हैं। और वह भी आतंकवादियों के लिए, जो लोग आतंकवाद में और बड़े-बड़े बम ब्लास्ट में लिप्त थे। उनके लिए रात के अंधेरे में, रात दो बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुल जाता है।

गरीब लोगों को सुनने की जब बारी आती है तो दशकों लग जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे जो कोर्ट्स हैं, हमारा जो पुराना सिस्टम था, उसके लिए यह बात पहले भी आई है कि कोर्ट्स में 5 करोड़ केसेस अभी भी पेंडिंग हैं, जिनमें से लगभग 4.3 करोड़ केसेस जिला कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। इसमें लॉ कन्विकशन रेट की बात आती है। इवन रेप केसेस में तथा मर्डर केसेस में हमें मालूम है, जज भी समझते थे कि मर्डर इसने किया है, रेप इसने किया है, लेकिन कन्विकशन नहीं होता था। कमियां बहुत थीं। कोर्ट्स पुलिस की कमियां निकालते हैं। पुलिस वाले कोर्ट की कमियां निकालते हैं। विटनेस होस्टाइल हो जाते हैं, इसलिए कमियां बहुत थीं।

पहले कुछ अपराधों में दंड की राशि बहुत कम थी। 10 रुपये का भी दंड था, 100 रुपये का भी दंड था और 500 रुपये का भी दंड था, जिसकी आज कोई कीमत नहीं है। यहां पर अंडर ट्रायल की बात पहले आ चुकी है कि 77 से 80 परसेंट केसेस अंडर ट्रायल हैं। पहले आधुनिक तरीके का इस्तेमाल नहीं होता था तथा पुलिस इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट ट्रायल की कोई सीमा नहीं थी। यह बात आदरणीय रवि शंकर प्रसाद जी ने पहले भी कही है, इसलिए मैं उस विषय में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जब हमने सर्विस जॉइन की तो सन् 1978 में इस देश में जो चल रहा था, उसके लिए नेशनल पुलिस कमीशन बना था। वहां से लेकर उसके बाद लॉ कमीशन बना, बेजबरूआ कमेटी बनी, विश्वनाथन कमेटी बनी। मलिमथ कमेटी की वर्ष 2003 में रिपोर्ट आई। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए वह बहुत बड़ी रिपोर्ट थी, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बोलते हैं, लेकिन वह धूल खाती रही। उसके बाद माधव मेनन कमेटी आई। उसमें सभी ने इन क्रिमिनल कानूनों में संशोधन करने के लिए और इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार करने की बात की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारी होम अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी ने तीन बार वर्ष 2005 में, 2006 में और 2010 में अपनी 111 वीं, 128 वीं तथा 146 वीं रिपोर्ट में कहा कि पूरे के पूरे इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधारना चाहिए तथा इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। इन कानूनों को बदलने का श्रेय भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को ही जाता है। इसलिए आप चाहे यह मोदी जी का भाग्य कहिए या हम सबका सौभाग्य कहिए कि हम सब इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बन रहे हैं। यह काम भी मोदी जी के हाथों से हो रहा है। चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे इस नए संसद भवन का निर्माण हो, चाहे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करना हो, तीन तलाक खत्म करना हो, महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो या ओबीसी आयोग बनाने की बात हो, इन सबका श्रेय आदरणीय मोदी जी को जाता है। सभापति महोदय, इन सब बातों से मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में जो 140 करोड़ लोग हैं, केवल यही नहीं, आगे आने वाले 100-150 वर्षों तक लोगों को न्याय देने का काम ये कानून करेंगे। इसलिए मैं इन कानूनों के लिए कहता हूँ कि मोदी जी की सरकार का सबसे बड़ा योगदान इस देश की जनता के लिए इन तीन कानूनों को देने से होगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हम कहते हैं कि दासता के सारे चिह्न खत्म होने चाहिए। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि गुलामी के सारे चिह्न खत्म हो जाएंगे। मेरे मित्र तेजस्वी सूर्या जी ने भी एक बात कही थी। उन्होंने गार्जियन पेपर को कोट किया था। मैं उसे कोट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब से मोदी जी आए हैं, तब से एक के बाद एक दासता के जो चिह्न थे, उन्हें खत्म किया जा रहा है। इसलिए सन् 1562 के अंग्रेजों के जमाने के जो कानून थे, जिनको रिडन्डेंट या ऑब्सलीट बोलते थे, उनको हमारी सरकार ने आकर खत्म किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ष 2019 में गृह मंत्रालय को यह निर्देश दिया कि पुराने सारे आपराधिक कानूनों को बदलकर

नए कानून लाए जाए। उसी दिशा में आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने बड़ी तत्परता के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ यह काम आरंभ किया। मैं कुछ डेट्स के साथ कुछ बताना चाहता हूँ। वैसे तो मोटी-मोटी बातें आ गई हैं कि 7 सितम्बर, 2019 को आदरणीय गृह मंत्री जी ने देश के सभी प्रदेशों को, यूनियन टेरिटरीज़ के गवर्नर्स को, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को, मुख्य मंत्रियों को, यूनियन टेरिटरीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको पत्र भेजे कि इस पर आप अपने-अपने सुझाव दीजिए।

इन्होंने 6 जनवरी और 7 जनवरी 2020 को भी अपने मुख्य न्यायाधीश, सभी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसेज, बार काउंसिल्स, लॉ यूनिवर्सिटीज, लॉ इंस्टीट्यूट्स को पत्र लिखे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के नेतृत्व में 2 मार्च, 2020 में एक कमेटी बनाई गई। 31.12.2021 को दोनों हाउसेज, लोक सभा और राज्य सभा के सभी माननीय सदस्यों को पत्र लिखे कि अगर उनके पास कोई सुझाव है, तो सुझाव देना चाहिए। इन्होंने इस कमेटी के अंदर में सभी लोगों से सुझाव मांगे। पूरे देश में जितने एक्सपर्ट्स, डोमेन एक्सपर्ट्स थे, जजेज, विधायक, लॉयर्स, सिविल सोसायटीज, लॉ यूनिवर्सिटीज, सभी से सजेशंस मांगे गए। इन सभी के सजेशंस आने के बाद सीबीआई, आईबी, बीपीआर एंड डी, जो पुलिस के ऑर्गनाइजेशंस हैं, लगभग एक हजार से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स ने अपने सुझाव एमएचए को भेजे। कमेटी ने एमएचए को फरवरी, 2020 में रिपोर्ट दी। पहले भी यह बात आ चुकी है। मुझे नहीं लगता है कि इस देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में कोई भी गृह मंत्री, कोई भी मंत्री नए कानून बनाने के लिए 158 टाइम्स, उस मीटिंग में शामिल रहा हो और उस मीटिंग की उन्होंने अध्यक्षता की हो। मुझे नहीं लगता है कि हमें कहीं ऐसा उदाहरण मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा था कि 11 अगस्त को ये कानून पेश किए गए और तभी हमारे संसदीय कमेटी को ये सौंपे गए। मैं स्टैंडिंग कमेटी के सभी माननीय सदस्यों और चेयरमैन बृजलाल जी को धन्यवाद देता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ कि सभी लोगों ने बहुत गंभीरता के साथ इन तीनों बिलों पर चर्चा की और अपने विचार इन पर दिए। उनमें कुछ सुझाव भी थे, भाषाओं में कुछ गलतियाँ भी थीं, उसी के परिणामस्वरूप सरकार ने पुराने बिलों को वापस लिए और 12 दिसम्बर को दोबारा इन्हें प्रस्तुत किया गया। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य देश की कानून व्यवस्था को बहुत अधिक मजबूत करना है। न्यायिक प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाना है, ताकि एक गरीब आदमी उसका फायदा उठा सके। सामान्य गरीब आदमी को त्वरित न्याय मिल सके। एक नागरिक केन्द्रित, जिसको सिटीजन सेंट्रिक कहते हैं, एक न्यायिक व्यवस्था प्रदान करना। लोगों का जीवन आसान बनाना, जिसको हम ईज ऑफ लीविंग कहते हैं।

सभापति महोदय, आपने भी कहा था कि ब्रिटिश जमाने में इसका उद्देश्य केवल न्याय के बजाय लोगों को दंड देना था। मुख्य बदलाव की काफी बात यहां आ चुकी है। मैं अपने कुछ विचार यहां रखना चाहता हूँ। स्टैंडिंग कमेटी में हमारे कुछ सामान्य सदस्य थे। उनका एक बड़ा आक्षेप था। विशेष रूप से तमिलनाडु के सदस्य दुर्भाग्य से यहां पर आज उपस्थित नहीं हैं। उनका सबसे बड़ा आक्षेप था कि इन कानूनों के अंदर भारतीय नाम क्यों रखे गये, भारतीय नहीं होना चाहिए था, भारत नहीं आना चाहिए था। यह इंडियन होना चाहिए था। मैंने तब भी कहा था और आज भी उस बात को दोहराना चाहता हूँ कि ?इंडिया? दासता, गुलामी का चिन्ह है। भारत हमारा गौरव है। इसलिए भारत रखा गया है।

19.00 hrs

(Shri Rajendra Agrawal in the Chair)

जैसा मैंने कहा कि भारत सरकार का मोटो ?सत्यमेव जयते? संस्कृत में है । आर्मी का मोटो ?सेवा अस्माकमः धर्म?, संस्कृत में है । नेवी का मोटो 'शं नो वरुणः? है, एयरफोर्स का मोटो 'नभः स्पृशं दीप्तम? है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मोटो 'य एष सुप्तेषु जागर्ति? है, आईबी का 'जागृतं अहर्निशं? है, इनकम टैक्स का मोटो 'कोष मूलो दंडः? है । हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का मोटो ?यतो धर्मस्ततो जयः? है । वह भी संस्कृत में है । आपको ये जानकर आश्चर्य होगा । अगर वे सामने होते तो मैं उनको बताता, जो लोग इस बात का विरोध कर रहे थे, हमारे तमिलनाडु के फ्रेंड्स, ज्यादातर उनके नाम, उनके परिवार के सदस्यों के नाम ज्यादातर संस्कृत में है । I think that they should not be apologetic about it. They should be proud of it. I appreciate this that the core culture of Tamil Nadu is intrinsically linked to the *bhartiyata*.

हमको इस बात पर गर्व होना चाहिए, एक तो मैं यह कहना चाहता हूं । उन्होंने कहा कि नहीं, कॉन्स्टीट्यूशन का जो आर्टिकल 348 है, वह यह कहता है कि authoritative texts of all Bills and Acts should be in English unless otherwise decided by the Parliament. इसमें कहा कि इंगलिश में होना चाहिए । मैं कहता हूं कि अब समय आ गया है और मैं भारत सरकार से, माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस आर्टिकल को भी आज बदलने की जरूरत है । हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर सारी की सारी प्रोसीडिंग्स इंगलिश के अंदर होगी, यह भी आर्टिकल 348 बोलता है । हमारे जितने टेक्स्ट हैं, जितने बिल्स हैं, उनको इंगलिश में होना चाहिए । इसको आज बदलने की जरूरत है । यह भी एक दासता का निशान है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर सारी का सारी जो हेयरिंग होगी, जजमेंट आएंगे, वे सब इंगलिश के अंदर होंगे । मैं एक बात तो यह कहना चाहता हूं ।

महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं और जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं । मेरा पहला सुझाव यह है कि इस देश के अंदर सब के लिए एक ही कानून होना चाहिए । हम इक्वेलिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं । कानून की निगाह में सब लोग बराबर हैं । एक आदमी अपने घर में बिजली का बल्ब लगाने के लिए, बिजली का बल्ब जलाने के लिए बिजली की चोरी करता है और एक आदमी जो इल्लीगल रूप से, अवैध रूप से चौबीसों घंटे करोड़ों की फैक्ट्री चलाता है, दोनों के लिए दंड बराबर है । एक आदमी जो अपने पेट के लिए चोरी करता है और एक बड़ा उद्योगपति जो सैकड़ों व हजारों करोड़ रुपये की चोरी करता है, उसके लिए भी दण्ड एक है । यह ऐसा है कि किसी किसान के खेत में अगर घास किसी खरगोश ने खा ली, राम कृपाल जी, किसी खरगोश ने अगर किसी के खेत में थोड़ी सी घास खा ली और एक हाथी ने खा ली, तो दोनों को एक-एक डंडा मारो, क्योंकि दंड एक ही है । दोनों को एक-एक डंडा मारो । एक डंडा मारने से खरगोश बेचारा मर जाएगा और हाथी को कुछ होगा नहीं, इसलिए इस कानून को बदलने की जरूरत है ।

दूसरा, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम लोग कहते हैं कि दुनिया के अंदर जिसने कानून दिया, उसको मनु महाराज बोलते हैं । मनु महाराज ने मनुस्मृति के अंदर और आचार्य चाणक्य ने कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंदर यह लिखा है? जो व्यक्ति जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा अपराध करेगा, जितने बड़े पद पर होगा, जितनी ऊंची प्रतिष्ठा का होगा, उसको दंड भी इतने ही गुना मिलना चाहिए । इसलिए हमारे कानूनों के अंदर यह बदलाव भी आना चाहिए ।

आदरणीय सभापति महोदय, हमारे एक साथी ने इस बात का जिक्र किया था कि मोदी जी जिस श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना चाहते हैं? (व्यवधान)

माननीय सभापति: मान साहब, बैठ जाइये ।

सरदार सिमरन जीत सिंह मान: अग्रवाल साहब, आप सुनिये !? (व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह : हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी जिस श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि हमारे बच्चों में नैतिकता आए । इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, ताकि हमारे बच्चों को स्कूल-कॉलेजों के अंदर मोरल एजुकेशन दी जा सके, नैतिक शिक्षा दी जा सके और हम अपनी विरासत पर गर्व कर सकें । विरासत किसी ईट-पत्थरों का नाम नहीं है । विरासत विचारों का नाम है, सदाचार और संस्कृति का नाम है । इसलिए श्रेष्ठ भारत के परिवारों में अच्छा चरित्र हो, श्रेष्ठ चरित्र हो, वहां स्वतंत्रता भी हो । वहां स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए । वहां फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन लिमिटेड लैस लिबर्टीज नहीं होनी चाहिए । इसी के तहत हम जानते हैं कि जब नदी किनारों के बीच में बहती है तो जीवन देती है और जब किनारे तोड़ कर बहती है तो विनाश करती है । इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दो बातों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ । हमारे इन बिलों के अंदर और हमारी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी यह बात डिस्कस हुई है कि सेक्शन 377 ? जिसको हम अननेचुरल सेक्स बोलते हैं, अप्राकृतिक मैथुन बोलते हैं और सेक्शन 497 ? जिसको एडल्टरी या बेवफाई कहते हैं, इन दोनों सेक्शंस को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट वर्ष 2018 में आया था, उसमें यह कहा गया कि ये दोनों के दोनों जो कानून हैं, ये नागरिक के मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं । इसलिए इनको खत्म किया जाता है ।

मैं एक बात कहना चाहता हूँ । यह बात कही गई कि व्यक्ति को सेक्सुअल चॉइस की फ्रीडम देनी चाहिए । जब हम सेक्शन 497 की बात करते हैं, जहाँ हम एडल्टरी खत्म करने की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आदमी को स्वायत्तता है, तो महिला को, उसकी पत्नी को भी स्वायत्तता है । क्या हम अपने परिवारों को बर्बाद करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं? कौन चाहेगा, हम में से कौन सम्माननीय सदस्य चाहेगा कि मेरे परिवार में इसके बारे में आज्ञा दी जाए, बच्चों को आज्ञा दी जाए कि जहाँ मन करे, वहाँ यौन संबंध बनाओ, सेक्सुअल रिलेशंस बनाओ । कौन जज इस बात को चाहेगा कि उनके बच्चों के साथ ऐसा हो । इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए क्योंकि जहाँ भी ऐसा होगा, तो परिवार टूटेंगे । जब परिवार टूटेंगे, तो तलाक के मामले बढ़ेंगे, परिवार टूटेंगे तो जुवेनाइल क्राइम बढ़ेगा, जिसे हम कहते हैं, ? children in conflict with the law?. जब यह होगा, तो वे बाद में जाकर एक संगीन अपराधी बनेंगे । इसलिए मैं इस बात के लिए रिक्वेस्ट करूँगा ।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभी रिसेंटली, 1 सितम्बर, 2023 को, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने बहुत अच्छी बात कही । मैं उसको कोट करना चाहता हूँ :

Repealing Sections 377 and 497 of IPC appears to be wrong. Where will morality exist?

Sir, I would like to congratulate Justice Siddharth, Allahabad High Court who recently stated categorically in a judgement that there is a systematic design to destroy the institution of marriage in India. The western concept of changing partners every season cannot be considered to be a hallmark of a stable and healthy society, and youth get attracted to such philosophy.

हम तो एक अच्छा देश बनाना चाहते हैं, एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं, जो दुनिया का सिरमौर बने, जो दुनिया में विश्वगुरु बने । इसलिए मैं यह रिक्वेस्ट करूँगा कि सेक्शन 377 को, इसमें तो यह भी हो गया कि यदि एडल्ट

मेल के साथ किसी ने ज़बरदस्ती की, then he has no recourse to go, न वह कहीं कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि ये सब खत्म हो गए हैं। इसलिए सेक्शन 377 और सेक्शन 497 को हमारे इन कानूनों में जगह देनी चाहिए।

मैं एक और बात जरूर कहना चाहूंगा। श्री वी.डी. राम साहब ने इसके बारे में कुछ बातें कही थीं। पहले अंग्रेजों ने कहा कि पुलिस के ऊपर भरोसा मत करो, पुलिस ने जो स्टेटमेंट रेकॉर्ड किया है, उस पर भरोसा मत करो। अभी भी वही बात है, यह भी एक दासता का चिह्न है, एक गुलामी की निशानी है। ऐसा क्यों है? क्या हम पुलिस पर भरोसा नहीं करते हैं? हम अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस पर भरोसा करते हैं। इस देश में सारी चीजों की बंदोबस्ती के लिए, जितने पर्व-त्योहार होते हैं, सब कुछ के लिए हम पुलिस पर भरोसा करते हैं। हम इनकम टैक्स में काम करने वाले एक क्लर्क पर भरोसा करते हैं, कस्टम, ईडी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आदि के अन्दर काम करने वाले जो भी जवान हैं, हम उन पर भरोसा करते हैं, लेकिन हमें पुलिस वाले पर भरोसा नहीं करना है, यह कहाँ का न्याय है? हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ कुछ मामले आए हों, कुछ लोगों ने कुछ गलतियाँ की होंगी, कुछ लोगों ने कुछ बेईमानी की होगी, मगर कौन-सा ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट है, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि उसके किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी ने कोई बेईमानी नहीं की होगी? हम लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं, मगर पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के 140 करोड़ लोगों को आज़ादी दी। उन्होंने उनसे कहा कि जिन नौज़वानों को रोजगार चाहिए, तो जितने भी सर्टिफिकेट्स और डिग्रियाँ हैं, उनको सेल्फ अटेस्ट करो, उस पर खुद सिग्नेचर करो। हम उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन, हम अपनी ही बनाई पुलिस पर, इस देश के पार्लियामेंट द्वारा अपने ही बनाये हुए कानूनों पर विश्वास नहीं करेंगे। यदि हम लोग ही विश्वास नहीं करेंगे, तो विदेशी लोग कैसे विश्वास करेंगे? आज हम इस देश की इज्जत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यदि हम लोग अपने कोर्ट्स पर विश्वास नहीं करेंगे, तो विदेशी लोग हमारे कोर्ट्स और पुलिस के डॉक्यूमेंट्स पर क्या विश्वास करेंगे? इसलिए आज इस बात पर विचार करने की जरूरत है। आईपीसी पर चर्चा के दौरान यह बात आई है, एविडेंस एक्ट के अन्दर यह बात आई है। अभी तेजस्वी सूर्या जी बोल भी रहे थे कि यदि आपको किसी का स्टेटमेंट रेकॉर्ड करना है, अगर वह इलेक्ट्रॉनिकली रेकॉर्ड हो रहा है, अगर पुलिस इलेक्ट्रॉनिकली रेकॉर्ड कर रही है, तब भी उस पर भरोसा नहीं करना है, यह कहाँ का न्याय है? मुझे लगता है कि अगर हम इस बात को खत्म नहीं करेंगे, तो हमें कोई भी माफ नहीं करेगा। आज लगभग 50 लाख पुलिस परिवार हम सब लोगों की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं, इस सदन की तरफ देख रहे हैं। हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए जिन पर भरोसा करते हैं, क्या हम उनको न्याय नहीं देंगे?

यह सब देख रहे हैं, क्या उन पर हम विश्वास नहीं करेंगे? आज जरूरत है कि हम पुलिस पर विश्वास करना सीखें और इसको चेंज करें।

सभापति महोदय, मैं एक और बात जरूर कहना चाहता हूँ। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप कृपया अपनी बात समाप्त करें।

? (व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह : हां, सर, मैं जल्दी अपनी बात समाप्त कर देता हूँ।

दुनिया के जितने विकसित देश हैं, हम लोग अंग्रेजों की नकल उतारते थे। अंग्रेजों ने हमारे देश के लिए कानून बनाए कि पुलिस पर विश्वास नहीं करना। अंग्रेजों ने अपने देश के अंदर कानून बनाए कि पुलिस पर विश्वास

करना । यहां तक कि Test Identification Parade भी हमारे यहां मेजिस्ट्रेट कन्डक्ट करता है, जबकि खुद लंदन में मैंने देखा है, मुझे वहां कोर्ट्स में जाने का मौका मिला था, आज भी इंग्लैंड के अंदर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन, कौन एक्ज्यूज्ड है, कौन आरोपी है, यह काम वहां पुलिस वाले करते हैं । कोई मेजिस्ट्रेट नहीं आता, कोई जज नहीं आता । दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, सब जगह पुलिस पर भरोसा करते हैं ।

मोदी जी इस देश को वर्ष 2047 तक पूर्ण विकसित देश बनाना चाहते हैं । ये कानून तो बहुत लंबे समय तक काम करेंगे । इस देश को पूर्ण विकसित देश बनाने के लिए क्या हम पुलिस पर विश्वास नहीं करेंगे? मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं । मेरा इस बात के बारे में विनम्र अनुरोध है कि हमें इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है ।

फूड एडल्ट्रेशन के बारे में बात आई है । यह बात सही है कि छः महीने की सजा बहुत कम है । आज यह बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है । आज बहुत ज्यादा मिलावट होती है । सुबह के दूध से लेकर चाय तक, हर एक चीज के अंदर आज मिलावट है । हम लोग उसमें छः महीने का दंड देते हैं । मुझे लगता है कि इसमें कम से कम सात वर्ष की सजा जरूर होनी चाहिए, ताकि हर एक केस के अंदर फॉरेंसिक साइंटिस्ट्स को बुला सकें, जिससे यह कार्य करने वालों को सही दंड मिल सके ।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया । मैं कुछ और मोटी-मोटी बातें बताना चाह रहा था । यदि आप मुझे अनुमति देंगे, तो मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा । मैं विशेष रूप से सीआरपीसी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपने यह कहा था कि मुझे एक बात और कहनी है । मैं यह समझ रहा था कि शायद वह आपकी आखिरी बात है । आपने ?एक बात? कई बार कही न, तो मैं समझा कि शायद आप कनक्लूड कर रहे हैं ।

? (व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह : यह कई बार होता है । ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No, I am not asking to do that. Please conclude.

? (Interruptions)

डॉ. सत्यपाल सिंह : सभापति महोदय, हमारे सीआरपीसी में एक बात अभी आई है । एविडेंस एक्ट के अंदर एक नया प्रोविजन किया गया है । प्रोविजन यह है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको कोर्ट के अंदर नहीं बुलाया जाएगा । उनके डॉक्युमेंट्स के ऊपर विश्वास किया जाएगा । लंदन में हमारा केस चल रहा है । हमारे देश के कई केसेज चल रहे हैं, हमारे लोग वहां जाते हैं । हम जो डॉक्युमेंट्स वहां पेश करते हैं, उन पर विश्वास नहीं करते हैं । क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमने ऐसा कानून यहां बनाया है । अतः मेरा निवेदन यह है क्या हम लोग एक्सपर्ट्स के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे? क्या पुलिस एक्सपर्ट नहीं है? पुलिस भी तो क्रिमिनल सिस्टम की एक्सपर्ट है । उसने जो डॉक्युमेंट्स दिए हैं, they should be considered as exhibits. This should also be considered. इसके बाद एक निवेदन यह है कि ट्रायल शुरू होने से पहले एक्ज्यूज्ड लोगों को बुलाकर, डिफेंस काउंसिल को बुलाकर पूछो कि कौन से डॉक्युमेंट्स आपको एक्सेप्टेबिल हैं? कौन से डॉक्युमेंट्स आपको एक्सेप्टेबिल नहीं हैं? जो डॉक्युमेंट्स वे कहते हैं कि मुझे

एक्सेप्टेबिल हैं, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। मैं एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ। पुराने कानून में, सीआरपीसी में एक सेक्शन 162 है। सेक्शन 162 के तहत अगर पुलिस किसी का बयान लेती है, किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, तो उस पर उसके साइन नहीं लेती। लेकिन दुनिया में सब जगह साइन लिए जाते हैं। आज भी उसको सेक्शन 162 के तहत ऐसे ही रखा गया है। आज पूरी दुनिया के अंदर बयान पर साक्ष्यदार के साइन लिए जाते हैं, नहीं तो जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत से कनविक्षन हम इसलिए नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जो विटनेस हैं, जो साक्ष्यदार हैं, वे कल को होस्टाइल हो जाते हैं, इसलिए उनके साइन करवाने चाहिए। सेक्शन 162 में हमको यह चेंज लाना चाहिए कि जितने भी स्टेटमेंट्स पुलिस रिकॉर्ड करेगी, they must be signed by the concerned witness. यह मेरा निवेदन है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का बहुत समय दिया। वैसे तो मैं दो-चार बातें और कहना चाहता था। मैं मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में कहना चाहता था। ? (व्यवधान) आपको बोलना है? ? (व्यवधान) जो मैं बोल रहा हूँ, वह आप नहीं बोलेंगे। ? (व्यवधान) मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डी. के. बसु जजमेंट दिया। यह डी. के. बसु जजमेंट कहता है कि एक्ज्यूज्ड को पकड़ोगे, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करोगे। हर 48 घंटे के अंदर पुलिस कस्टडी में उसको एग्जामिन करो।

सवेरे से लेकर शाम तक पुलिस वाले अस्पताल के अंदर बैठे रहते हैं। कोई मेडिकल एग्जामिन नहीं करता है। पुलिस वालों का सारा दिन बर्बाद हो जाता है। उसकी रिपोर्ट मिलती नहीं है। इस बारे में भी, मैं कहता हूँ कि अभी जो यह आया है, अब इस कानून में बहुत अच्छी बात आयी है कि डॉक्टर को तुरन्त रिपोर्ट देनी पड़ेगी। हथकड़ी लगाने के लिए, कितना ही बड़ा गुंडा या बदमाश हो, हर बार कोर्ट से पूछना पड़ता था। कई बार हम पुलिस वाले कहते थे, यह मैं आपको सच बता रहा हूँ, कई बार पुलिस वाले जज से बोलते थे कि सर यह आरोपी ऐसा है कि अगर इसको हथकड़ी नहीं लगायी तो यह आपकी कुर्सी पर चप्पल फेंककर मारेगा। एकदम से जज कहते थे कि ऐसा है तो इसे हथकड़ी लगा लीजिए। हर बार उसको हथकड़ी लगाकर लाने के लिए कोर्ट की परमीशन लेनी पड़ती थी। अभी जो यह प्रोविजन किया गया है, यह बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अभिनन्दनीय है। हथकड़ी लगाने का प्रावोजिन पुलिस को दिया गया है। ? (व्यवधान) सर्विस ऑफ समंस एंड वारंट। कितनी बार हम लोग उसमें जाते हैं, हमारे पुलिस वाले जाते हैं। कितना पुलिस बल लगता है। सर, एक मिनट का समय दे दीजिए। सर्विस ऑफ समंस और वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत पुलिस वाले लगाये जाते हैं। कितना पुलिस बल उसमें लगता था। अभी यह बहुत अच्छा प्रोविजन आया है कि इलेक्ट्रॉनिकली व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिए, आप ई-मेल भेज दीजिए, यह सब उसमें माना जाएगा, इससे पुलिस को बहुत बड़ा फायदा होगा। सैंक्शनिंग अथॉरिटी का 120 दिन के अंदर प्रोविजन आ गया। अगर सैंक्शन नहीं दिया तो इट वुड बी डीम्ड टू हैव बीन गिविन। एक और धारा 156(3), अगर पुलिस केस रजिस्टर नहीं करती तो लोग कोर्ट में जाते हैं और आजकल आपको मालूम है कि नीचे के कोर्ट में कैसे काम होता है। आपके खिलाफ धारा 156(3) में केस रजिस्टर हो जायेगा। अब इसमें प्रोविजन किया गया है कि जब तक आपको नहीं सुना जाएगा, जिसे आरोपी बनाया गया है, जब तक उसे नहीं सुना जाएगा तब तक केस रजिस्टर नहीं हो सकता। यह बहुत अभिनन्दनीय प्रोविजन भारत सरकार ने किया है। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ।

माननीय सभापति : मैं सोचता हूँ कि काफी चीजें हो गई हैं।

डॉ. सत्यपाल सिंह : मैं आपके लिए कह रहा हूँ। मैं यह सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ। यह आप लोगों के फायदे में है कि कोर्ट में पुलिस पर विश्वास किया जाए। यह हम सब लोगों के फायदे में है। मैं आधी बात कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि पहले हमें न्याय क्यों नहीं मिलता था, एडजॉर्नमेंट

ऑफ्टर एड्जॉर्नमेंट इन कोर्ट्स के अंदर होता था । लोग तो यह बोलते थे, अभी हमारे कुछ लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए कि काले कोर्टों के चक्कर में न्याया बेचारा रोता था ।

माननीय सभापति : अभी काले कोर्ट वाले भी बोलने वाले हैं ।

डॉ. सत्यपाल सिंह : मैं इसलिए बोल रहा हूँ । केवल दो ही अड्जॉर्नमेंट होंगे । दो अड्जॉर्नमेंट से ज्यादा नहीं होगा । यह बहुत अच्छा प्रावधान किया है । महोदय, आपने मुझे इतना समय दिया है, मैं अपने सभी मित्रों का, अपनी पार्टी का, सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ । धन्यवाद

माननीय सभापति : श्री पी.पी. चौधरी जी ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी स्लिप भिजवाइए, देखते हैं ।

सरदार सिमरन जीत सिंह मान : स्लिप तो मैंने भिजवाई हुई है । स्लिप तो सबसे नीचे दबी हुई है ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : जी-जी, बैठिए । आप बहुत सीनियर व्यक्ति हैं । आप बहुत माननीय व्यक्ति हैं । कृपया बैठ जाइए ।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण तीन बिलों पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

भारतीय न्याय संहिता बिल, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल, 2023 पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ ।

सभापति जी, ये तीनों बिल इतिहास कायम कर रहे हैं । हम देखते हैं कि इंडियन पीनल कोड 160 साल पुराना है और एक्ट 130 साल पुराना और सीआरपीसी करीब 51 साल पुराना है । आज क्रिमिनल जस्टिस में एक बहुत बड़ा इतिहास प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है । जिस हिसाब से इन कानूनों को नाम दिया गया है? उसके बारे में भी जानने की जरूरत है । कई बार बात हुई कि इनका हिंदी में इस तरह का नाम क्यों दिया गया है । भारतीय न्याय संहिता के पहले अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाया गया था, वह इंडियन पीनल कोड था यानी ?भारतीय दंड संहिता ।? कानून का परपज पनिशमेंट था । उस कानून का ऐम एंड ऑब्जेक्ट पनिशमेंट देने का था और अब इस कानून का ऐम एंड ऑब्जेक्ट भारतीय न्याय संहिता यानी ?न्याय? देने का है, ?जस्टिस? करने का है । यह डिपार्चर बहुत बड़ा फर्क है और अपने आप में पहली बार हम देख रहे हैं कि देश के नागरिकों के साथ न्याय करने के लिए यह बिल लाया गया है जिसका ऑब्जेक्ट पहले दंड देने का था, लेकिन अब ऑब्जेक्ट और ऐम न्याय देने का है ।

सभापति जी, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसिजर कोर्ट, यानी पहले से ही व्यक्ति को क्रिमिनल माना जाता है । व्यक्ति के लिए जो ट्रॉयल होता था, उसका जो प्रोसिजर था, वह क्रिमिनल मानकर किया जाता था लेकिन अब जो बिल माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पेश किया है, वह नागरिक संहिता सुरक्षा है । आप डिपार्चर देखें कि हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसमें जो

प्रावधान किए हैं, उसमें नागरिकों के साथ अन्याय नहीं होगा। इस ऑब्जेक्ट के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह बिल लाया गया है। नागरिक असुरक्षित महसूस न करें, इस सोच में और ब्रिटिश कोलोनियल सोच में बहुत बड़ा फर्क है। पहले क्रिमिनल प्रोसिजर कोर्ट था, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। पहले कानून लोगों को कंट्रोल में करने के लिए बनाते थे क्योंकि उन्हें अपना राज चलाना था और कोलोनियल रूल को मजबूत करना था,, लेकिन अब ये कानून सिविल और क्रिमिनल केसेज के लिए काम में आएंगे। यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसके लिए कई कमेटियां बैठीं, पब्लिक कंसल्टेशन हुआ और माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत समय दिया और एक-एक प्रावधान इस प्रकार से बनाए गए कि देश के नागरिकों के लिए सही तरह का कानून बने। होम अफेयर्स की जो संसदीय स्थायी समिति थी, उसने अपनी 146 वीं रिपोर्ट में इन सारे कानूनों के लिए कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कोलोनियल रूल का है और इसका रिव्यू होना बहुत जरूरी है। उस रिपोर्ट के बाद भी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स की 111 वीं और 128 वीं रिपोर्ट में भी साफ लिखा है कि इन कानूनों का रिफार्म और रेशनलाइजेशन होना बहुत जरूरी है और एक कम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन लाया जाना चाहिए। पीसमील में थोड़ा बहुत अमेंडमेंट कर देते थे लेकिन उसे टच करने की कोशिश नहीं करते थे। किसी ने टच करने की हिम्मत नहीं की और यह सोच लिया था कि लार्ड मैकाले ने वर्ष 1860 में जो कानून बनाया, वर्ष 1872 में जो कानून बनाया, उसे वैसे ही रहने दिया जाए और उन्हें टच करने की किसी ने हिम्मत नहीं की। लेकिन प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपने देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने केवल अपने राज को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाए। तीनों कानूनों में इंडियन इथोज रिफ्लेक्ट हो रहा है। इन कानूनों का ऐम, ऑब्जेक्ट और स्पिरिट जस्टिस ओरिएण्टेड अप्रोच है कि नागरिकों को कैसे न्याय मिले।

चाहे विक्टिम हों, चाहे अपराधी हों, दोनों को न्याय कैसे मिले? ऐसा न हो कि किसी निर्दोष को सजा मिले। पहले हमारा जस्टिस सिस्टम पनिशमेंट देने का था। अब आप वहां से डिपार्चर देखिए। पहले यह एप्रोच थी कि पनिशमेंट कैसे दी जाए, लेकिन अब यह एप्रोच है कि लोगों को न्याय कैसे दिया जाए और अब कानून को रिफॉर्मेटिव रखा गया है।

महोदय, हम देखते हैं कि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक थ्योरी डेटेरेंट की होती है और एक थ्योरी रिफॉर्मेटिव की होती है। दुनिया भर में समय-समय पर इस पर लम्बी बहस चली। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स को देखें तो हम देखेंगे कि कई जजेज रिफॉर्मेटिव थ्योरी में विश्वास करते थे। इसके कई जजमेंट्स हुए कि यह सिस्टम रिफॉर्मेटिव होना चाहिए। डेटेरेंट की थ्योरी पुराने जमाने की बात थी। वह मुगल शासकों की और अंग्रेजों की बात है। अगर हमें रिफॉर्मेटिव को देखना है तो इन कानूनों की स्पिरिट और ऑब्जेक्ट रिफॉर्मेटिव है, जैसे छोटे-छोटे अपराधों के लिए कम्युनिटी सर्विस का भी प्रावधान रखा गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि नेशनल पॉलिसी ऑन क्रिमिनल जस्टिस की रिपोर्ट वर्ष 2007 में आई। उस रिपोर्ट के अलावा वर्ष 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने विष्णु दयाल वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में यह साफ लिखा कि हमारा इंडियन इथोज रिफॉर्मेशन और रिहैबिलिटेशन का है, हमें थ्योरी ऑफ डेटेरेंट को एडैप्ट नहीं करना चाहिए, और जहां पर संभव हो सके, वहां पर कम्युनिटी सर्विस का भी प्रावधान होना चाहिए। इस तरह से बार-बार, चाहे रिपोर्ट्स हों, चाहे स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के डायरेक्शंस हों, सबमें इसे कहा गया है क्योंकि तब लॉ में बहुत बड़ा गैप था, यह कोडिफाइड नहीं था। वर्ष 1860 में कोलोनियल टाइम में जो कानून बना, वह कानून जब आज के परिप्रेक्ष्य में फिट नहीं होता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने कई केसेज में अपना इंटरप्रेटेशन देकर 'फिल-इन-द-गैप' का काम किया।

चूंकि वे मल्टीपल जजमेंट्स थे, अलग-अलग इंटरप्रेटेशन थे, तो हमने देखा है कि उस जजमेंट को समझना एक आम जनता के लिए बहुत मुश्किल का काम था, पुलिस और इन्वेस्टीगेटिंग ऑफिसर के लिए मुश्किल का काम था, क्योंकि कानून कोडिफाइड नहीं था, हम बस इंटरप्रेटेशन के बेस पर चल रहे थे। इसका उदाहरण विशाखा जजमेंट है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन्स दी गयी। अगर कानून अपने आप में पूरा होता तो फिर विशाखा जजमेंट नहीं आता। उसके बाद संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 2013 में उस गैप को भरने की कोशिश की गयी।

महोदय, जहां तक विटनेस की प्रोटेक्शन की बात है तो हम देखते हैं कि आज सबसे ज्यादा वल्लरेबल विटनेस हैं क्योंकि कोई भी आदमी अपनी गवाही देने के लिए दस बार सोचता है कि मुझे क्या सुरक्षा मिलेगी? वर्ष 2018 में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत आई। हम देखते हैं कि उतने पुराने कानून को हम आज के परिप्रेक्ष्य में कम्पैटिबल नहीं मानते हैं, तो उस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने बार-बार कई जजमेंट्स में 'फिल-इन-द-ब्लैंक?' का काम किया है।

महोदय, अभी प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ये तीनों बिल लेकर आए हैं। तीनों को रिप्लेस करके नए कानून लेकर आए हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश रूल के रेमैन्ट्स हैं और उनका लक्ष्य सिर्फ इंडियन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को कंट्रोल करना था। जैसा कि मैंने बताया, पुराने कानून का फोकस सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट पर था। उसमें नागरिकों के न्याय के लिए किसी तरह के प्रावधान नहीं थे। अगर हम देखें तो पहले के तीनों कानून आज की तारीख में मॉडर्न सोशल नॉर्म्स, तकनीक, जस्टिस रिकवायरमेंट, इन तीनों के साथ एलाइन नहीं करते हैं। इनमें ये तीनों कानून फिट नहीं बैठते हैं। यही कारण है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध हुए, बच्चों के खिलाफ अपराध हुए। इन मामलों में ये तीनों पुराने कानून इंसेंसिटिव हैं।

महिलाओं और बच्चों के मामलों में पूरी तरह से जो प्रावधान होना चाहिए था, वह प्रावधान नहीं होने की वजह से आज हम देखते हैं कि उनके साथ लंबे समय तक अन्याय हुआ है और न्याय नहीं हुआ है। सर, आउटडेटेड और कोलोनिअल लॉ की वजह से लो कनविक्शन रेट रहा है। यह सबसे बड़ी समस्या है। पता चलता है कि 83 पर्सेंट रेट एक्विटल का है या कहीं देखते हैं कि मात्र 10 पर्सेंट कनविक्शन रेट है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लॉज सन् 1860 में बने हैं, वे आज के मॉडर्न सोसाइटील नॉर्म्स में, आज की तकनीकी के मामले में, आज के जस्टिस रिकवायरमेंट के मामले में फिट नहीं होते हैं। इसीलिए आम जन का विश्वास क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में पूरा का पूरा खत्म हो रहा है। हम कभी एक्यूज करते हैं, ज्यूडिशियरी को करते हैं या किसी अन्य संस्थान को करते हैं, लेकिन हमने अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखा कि इसका क्या कारण है। पार्लियामेंट की प्राइमरी ड्यूटी कानून बनाने की है तो इन चीजों को बहुत पहले देखा जाना चाहिए था। यह बहुत ही अच्छा निर्णय है, जो माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने लिया है। यह बहुत ही ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। पूरे देश में आम नागरिक यह महसूस करेगा कि मुझे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। इन तीनों कानूनों की मेन स्ट्रिप और ऑब्जेक्टिव जस्टिस ऑरिएंटेड और न्याय करने से संबंधित है। यह एक कम्बरसम प्रोसेस है। महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि किस हिसाब से यह एक कम्बरसम प्रोसिजर है। आप क्रिमिनल प्रोसिजर कोड देखें, एविडेंस एक्ट देखें, एक लंबा कम्बरसम प्रोसिजर है और पेपर वर्क भी उसका इतना बड़ा हो जाता है कि लगातार फाइल के ऊपर फाइल और उसके बाद डॉक्यूमेंट के ऊपर डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं। उसी वजह से जो हम कहते हैं कि न्यायालय में डिले क्यों होता है, उसका यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। अगर कानून क्लियर नहीं है, कानून साफ नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उसमें डिले होने की बहुत संभावना रहती है। हम देखते हैं कि क्रिमिनल केसेज़ बहुत लंबे समय तक चलते हैं, उनका कल्मिनेशन नहीं होता है, फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचते हैं। जहाँ तक लीगल टैक्नीकैलिटीज़ हैं, हम हमेशा कोर्ट में देखते हैं कि एक तरफ

तो लीगल टैक्नीकैलिटीज़ हैं और दूसरी तरफ जस्टिस है। In case of a conflict between technicality and justice, आज की तारीख में इन तीनों पुराने कानूनों के तहत टैक्नीकैलिटी का ओवराइडिंग इफेक्ट होता था और न्याय एक तरफ रह जाता था। न्याय नहीं मिलता था। अब उस चीज़ को हटा कर इन तीनों नए बिलों में टैक्नीकैलिटीज़ के ऊपर न्याय रखा गया है। न्याय सबसे पहले आएगा और टैक्नीकैलिटी बाद में आएगी। इस तरह से कोर्ट के लिए गाइडेंस इन तीनों बिलों के द्वारा होगी कि वे पहले न्याय करें और टैक्नीकैलिटी की सुप्रीमसी नहीं होगी।

सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में तीनों पुराने कानूनों में ऐसा किसी तरह का प्रावधान नहीं था कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कैसे यूटिलाइज़ करें। जब कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, उसका यूटिलाइज़ेशन जरूरी है, चाहे एविडेंस एक्ट में हो, चाहे क्रिमिनल प्रोसिजर कोड में हो। इन पुराने कानूनों में कहीं भी इसको यूटिलाइज़ करने के सही तरह के प्रावधान नहीं थे। लेकिन अब तीनों नए बिलों में यह प्रावधान देने की वजह से आने वाले समय में कोर्ट केसेज़ की पेंडेंसी भी घटेगी, जो हम आज कहते हैं कि 5 करोड़ केसेज़ पेंडिंग है। सबसे पहले तो देश का इतना बड़ा क्रिमिनल जस्टिस डिलिवरी सिस्टम जो है, जिसमें सबसे ज्यादा केसेज़ पेंडिंग हैं, इन तीनों कानूनों से कम हो जाएंगे। हमने कई बार देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की, वकीलों ने कोशिश की, बार एसोसिएशन ने कोशिश की, सरकार ने कोशिश की और पार्लियामेंट ने भी कोशिश लेकिन पेंडेंसी हमेशा रही है।

सभापति महोदय, चूंकि मैं भी इसी फील्ड से हूँ, इसलिए यह बताना चाहूंगा कि इन तीनों कानूनों को पढ़ने के बाद हम यह कह सकते हैं कि आने वाले समय में सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पहला तो केसेज़ में डिले नहीं होगा।

दूसरा, जो एरियर्स हैं, वे भी खत्म होंगे। पुराने कानूनों की अभी जो सबसे बड़ी हिंड्रेंस थी, उसमें एफिसिएन्ट इन्वेस्टिगेशन की बात थी। हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के मामले में बड़ा समय लग जाता था। उसमें तकनीकी का उपयोग नहीं हो पाता था।

आज कई मॉडर्न इश्यूज़ हैं। आज की तारीख में पुराने कानून और नए कानून को देखें और तीनों बिल को देखें, तो साइबर क्राइम को एट्रेस करने के लिए पुराने कानूनों में सही तरह के प्रावधान नहीं थे। हम कभी कोई कानून काम में लेते हैं, कभी कोई दूसरा कानून काम में लेते हैं, लेकिन हमें एक जगह कोडिफाइड नहीं मिल रहा था। जिस हिसाब से टेररिज्म का एक्स्पेंशन हुआ है, उसको भी सही तरीके से डील नहीं किया जा रहा था। जिस हिसाब से ऑर्गनाइज्ड क्राइम होते हैं, जैसे मॉब लिंग है, यह पहले नहीं था। वर्ष 1860 के कानून को डील करने के लिए हम अलग-अलग जगह से देख कर करते थे। अब इन सारे तीनों बिलों में इसका प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा कि जिस हिसाब से मोदी गवर्नमेंट ने वर्ष 2014 से पुराने कानूनों को, जो कानून हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हर्डल क्रिएट करते थे, उन कानूनों की वजह से देश आगे नहीं बढ़ रहा था, जिस स्पीड से बढ़ना था, वह नहीं बढ़ रहा था। इस तरह के करीब 1500 कानूनों को वर्ष 2022 तक रिपील किया गया। उसके साथ-साथ इन कानूनों में करीब 32,000 कम्प्लेएन्सेस थे। उनकी जगह-जगह पालना करनी पड़ती थी। कोई बिजनेस लगाने के लिए नहीं तैयार था। जिस हिसाब से उन क्राइम्स के मामले में इतने कानून थे कि उन कानूनों को रिपील करके बहुत बड़ा काम किया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी बहुत बड़ा काम हुआ है।

महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जिस हिसाब से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से काम हो रहा है, इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी काम बहुत आगे बढ़ा है। मैं कह सकता हूँ कि इन तीनों बिलों से एन्टायर लीगल प्रोसेस और एफआईआर रजिस्ट्रेशन से लगाकर जजमेंट तक पूरा का पूरा डिजिटाइज किया गया है।

सभापति महोदय, सिर्फ इसी बात से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, एरियर को रिड्यूस करने का, क्विक जस्टिस के लिए और जो पेंडेंसी है, वह भी खत्म होगी। जिस हिसाब से हम वुमेन के मामले में देखते हैं, हार्मिंग वुमैन व मेंटल हेल्थ के लिए पहले कोई पनिशमेंट नहीं था। इसको भी अब नए कानूनों में एक क्यूएल्टी माना है। सबसे ट्रांसपेरेंसी का जो काम है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। पूरा का पूरा वीडियोग्राफी का प्रावधान किया जा रहा है। सेक्सुअल क्राइम विक्टिम के लिए, ट्रांसपेरेंसी मेन्टेन करने के लिए, विक्टिम के प्रोटेक्शन के लिए वीडियोग्राफी का पूरा प्रोविज़न देना और नई टेक्नोलॉजी का काम लेकर, इन सब को जोड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है।

महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंट की जो परिभाषा थी, यह पहले बहुत लिमिटेड थी। कई चीजों डॉक्यूमेंट में नहीं आती थीं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लोगो, कम्प्यूटर्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, वेबसाइट और लोकेशनल एविडेन्स, मेल-मैसेजेज ऑन डिवाइसेस, इन सबको अब प्राइमरी एविडेन्स के रूप में कोर्ट यूज कर सकती है।

माननीय सभापति : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पी. पी. चौधरी : इन सारे के सारे एन्टायर प्रोसेसेज को डिजिटाइज करना, एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सहित एन्टायर ट्रायल के लिए बहुत बड़ी बात है।? (व्यवधान)

माननीय सभापति: चर्चा कल तक चलेगी।

श्री पी. पी. चौधरी : सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जैसे पुराने कानून में समन इश्यू करते थे। समन डाक से जाते थे, क्योंकि उसमें वही प्रावधान था। उसमें इतनी डिले होती थी कि चार-चार, पाँच-पाँच सालों तक समन सर्व नहीं होते थे। आज इलेक्ट्रॉनिकली समन सर्व हो सकते हैं। उसमें किसी तरह की पेंडेंसी नहीं होगी और डिले भी नहीं होगा। आप ई-एफआईआर कहीं भी फाइल कर सकते हैं। जरूरत नहीं है कि आप उस क्षेत्र में करें, जहां क्राइम कमिट हुआ है। इसे आप कहीं भी कर सकते हैं।

जहां तक मेडिकल एग्जामिनेशन की बात है, पहले मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ सब-इंस्पेक्टर जा सकता था, लेकिन अब कोई भी पुलिस ऑफिसर जा सकता है। इन चीजों को लचीला बनाना है और जस्टिस ओरिएंटेड एप्रोच होना है। इसमें डिले नहीं होना है। यह इन कानूनों का स्पिरिट ऑब्जेक्ट है।

फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर सात साल से ऊपर की सजा है, यह बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है, तो वहां पर एक्सपर्ट साइट पर विजिट करेगा, क्राइम सीन पर विजिट करेगा और अपने मोबाइल से सारा प्रोसेस रिकार्ड करेगा। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एवीडेंस के लिए फिंगर इम्प्रेशन के साथ-साथ, अब वाइस सैंपल को भी उसमें शामिल किया है।

जहां तक टाइम लाइन की बात है, अब मेडिकल प्रैक्टीशनर को सात दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी और बीस दिनों के अंदर जजमेंट देना पड़ेगा। जो एग्जंशन है, वह कंप्लीशन ऑफ जजमेंट 45 डेज तक मैक्सिमम एक्सपेंडेबल है। चार्जेंज़ फ्रेम करने के लिए 60 दिन के अंदर-अंदर यह सारा करना पड़ेगा।

जहां तक पनिशमेंट की बात है, छोटे-छोटे क्राइम की पनिशमेंट में जेल भेजने की बजाए कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान रखा गया। जैसे अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, छोटा चोरी का कोई मामला हो, डीफॉर्मेशन का मामला हो, इसमें कम्युनिटी सर्विसेज़ का प्रावधान रखा है। मॉब लिंग का पहले पनिशमेंट नहीं था। अब इसको इंकलूड किया गया है। पुलिस द्वारा 90 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल करनी पड़ती थी और कोर्ट परमीशन 90 दिन के अंदर दे सकता था। (व्यवधान) सबसे ज्यादा फोकस आर्गनाइज्ड क्राइम पर है।

माननीय सभापति : बिल के प्रत्येक पहलू पर बोलना जरूरी नहीं होता है।

श्री पी. पी. चौधरी : डॉक्यूमेंट्स चाहे भारतीय साक्ष्य बिल में हों, चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हों, उनमें सारे डॉक्यूमेंट्स को लिया गया है। जो पहले एविडेंस थी, उसको चेंज करके इन्फॉर्मेशन गिवेन इलेक्ट्रॉनिकली, उसको भी शामिल किया गया है। एपीयरेंसेज़ ऑफ विटनेस, एक्ज्यूज्ड, एक्सपर्ट एंड विक्टिम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी कर सकते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन एविडेंस में नहीं था। यह होने से ट्रॉयल और भी फास्ट होगा।

माननीय सभापति : आपने बोल दिया है, सब चीजें एविडेंस में जोड़ दी गई हैं।

श्री पी. पी. चौधरी : लास्ट में, एक फियर आम जन में था कि तीनों बिल जब पास हो जाएंगे, तो क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव लागू होंगे? सभापति जी, मैं क्लियर कर दूं कि सब जगह यह संशय फैला हुआ है, कहीं मीडिया भी पूछती है, आम जन भी पूछते हैं, कोर्ट में एडवोकेट्स वगैरह भी पूछते हैं, सारे लोग एक ही बात पूछते हैं। मैं आपके माध्यम से इस बात को क्लियर कर दूं कि ये तीनों बिल आने के बाद उसमें किसी तरह की कोई पेंडेंसी है, किसी तरह एप्लीकेशन, किसी तरह की प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो चाहे नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसमें धारा? (व्यवधान) और साक्ष्य बिल में धारा 170 है, उसके तहत में जितनी भी पेंडिंग प्रोसीडिंग हैं, उन पर ये कानून लागू नहीं होंगे। आने वाले जो? (व्यवधान) एक्टिविटीज़ हैं, उन पर लागू होंगे। आपने मुझे परमीशन दी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री दिलीप शङ्कीया।

आप अपना विषय संक्षेप में रखने की कोशिश करिए।

? (व्यवधान)

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: Mr. Chairman, Sir, please allow me to speak.

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए।

? (व्यवधान)

श्री दिलीप शङ्कीया (मंगलदोई): सभापति जी, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक, जो तीनों बिल माननीय गृह मंत्री जी ने पेश किए हैं, इन तीनों बिल्स के सपोर्ट में बोलने के लिए

मैं खड़ा हुआ हूँ और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। करीब डेढ़ सौ साल बाद कानून में यह संशोधन लाया गया है। भारत के संस्कारों के अनुरूप एक प्रक्रिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। हजारों कानून ब्रिटिश यहां पर चालू करके गये थे और वे अभी भी चल रहे थे, ये कानून भारत की संस्कृति और जनता के हित में नहीं थे। ऐसे हजारों कानून रद्द किए गए और उसके साथ जो यह संशोधन लाया गया है, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह बहुत ही इंपोर्टेंट मूव है।

गृहमंत्री जी ने जिस हिसाब से इस कानून को बारीकी से अध्ययन करके इसमें सुधार किया है, इसमें भारत के न्याय व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन करके इसके भारतीयकरण करने के मकसद को भी निश्चित रूप से पूरा किया है।

तीनों बिल्स में जो विधान लाये गये हैं, इस विधान के माध्यम से जो क्रिमिनल्स हैं, जो समाज विरोधी घटनाएं करते हैं, उनको न्याय देने का विषय नहीं है, जो एक्ज्यूज्ड है, उसको जल्दी से जल्दी पनिशमेंट मिले, इसका प्रावधान इस बिल में किया गया है।

मैं इस बिल के सपोर्ट में बोलना चाहता हूँ। मैं इस ऐतिहासिक कदम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और माननीय गृहमंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं तीनों बिल्स का सपोर्ट करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री राम कृपाल यादव जी ? उपस्थिति नहीं।

श्री गणेश सिंह जी।

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को देश के सामने पांच प्रण की बात की थी। उन पांच प्रणों में गुलामी की सभी निशानदेही को समाप्त करना था। आज के तीनों विधेयक मोदी जी के उसी प्रण के अनुपालन का सबसे बड़ा उदाहरण है।

अंग्रेजों द्वारा बनाए गए और अंग्रेजी संसद द्वारा पारित किए गए इंडियन पीनल कोड, 1860, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड 1898 और 1973, इंडियन एक्ट्स एक्ट, 1872 कानूनों को समाप्त करना। आज माननीय गृहमंत्री जी ने तीन कानून यहां विचार के लिए रखा है, उसका मैं हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

इंडियन पीनल कोड, 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 स्थापित होगा, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और इंडियन एक्ट्स एक्ट, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 स्थापित किया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, इंडियन एक्ट्स एक्ट, 1872 में अंग्रेजों की गुलामी का सबसे बड़ा उदाहरण था, जिन्होंने लिखा था, ?Parliament of the United Kingdom?, ?Provincial Act?, ?notification by the Crown Representative?, ?London Gazette?, ?any Dominion, colony or possession of his Majesty?, ?Jury?, ?Lahore?, ?United Kingdom of Great Britain and Ireland?, ?Commonwealth?, ?Her Majesty or by the Privy Council,? ?Her Majesty's Government,? ?copies or extracts contained in the London Gazette, or purporting

to be printed by the Queen's Printer.? ?possession of the British Crown,??? ये तमाम चीजें उन्होंने लिखी थी, गुलामी की दास्तान से मुक्ति दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया है, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, कम है। समाप्त होने वाले तीनों कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। इसका उद्देश्य न्याय देने का नहीं बल्कि दंड देने का न्याय था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच का अभिनंदन करता हूँ। ये तीनों नये कानूनों की आत्मा होगी, भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना, इनका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना होगा। इन कानूनों में संशोधन की लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। इनके लिए समय-समय पर भारत विधि आयोग, बेज़बरूआ समिति, विश्वनाथन समिति, मल्लिकार्जुन समिति, माधव मेनन समिति और गृह मामलों की संसदीय साहित्य जैसे निकायों ने कई बार सिफारिशें दी लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने इसे ठंडे बस्ते में डालकर रखा।

सभापति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2019 में कहा था कि अंग्रेजों के समय के बनाए हुए जितने भी कानून जिस भी विभाग में हैं, उन पर पर्याप्त चर्चा और विचार कर आज के समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में बनाना है। 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट्स, 5 न्यायिक एकेडमियों, 22 विधि विश्वविद्यालयों, 142 सांसदों और लगभग 270 विधायकों ने इस कानून के बारे में अपने विचार भेजे थे। माननीय गृह मंत्री जी ने इस नए विधेयक को लगातार चार साल विचार के लिए रखा और स्वयं 198 बैठकों में उपस्थित हुए, जो कि अब के इतिहास का सबसे अद्भुत प्रमाण है।

सभापति जी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी को रिप्लेस करेगी। इसमें अब 533 धाराएं होंगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को रिप्लेस करेगी। इसमें 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय साक्ष्य विधेयक एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। इसमें 168 के स्थान पर 170 धाराएं होंगी, 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की गई हैं। ये तीनों पुराने कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे। इन्हें ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था। माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में 475 जगह गुलामी की इन निशानियों को समाप्त कर नया विधेयक प्रस्तुत किया है।

सभापति जी, कानून में दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल रिकॉर्ड्स, ई-मेल, सर्वर लॉक्स, कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल सर्च, डिवाइस पर उपलब्ध मेल, मैसेजर्स को कानूनी वैधता दी गई है। अभी तक साक्ष्य में ये सब चीजें जोड़ी नहीं जाती थीं, लेकिन अब इससे कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। एफआईआर के केस की डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइजेशन करने का प्रावधान किया गया है। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को कम्पलसरी कर दिया गया है और यह केस का हिस्सा होगा। इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा और पुलिस द्वारा इस तरह की रिकॉर्डिंग के बिना कोई चार्जशीट दर्ज नहीं मानी जाएगी।

सभापति जी, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने नेशनल फॉरेन्सिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे दोष सिद्धी के प्रमाण के लिए फॉरेन्सिक साइंस में बढ़ावा दिया जा सकेगा। इससे तीन साल बाद हर साल 33,000 फॉरेन्सिक साइंस एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट्स देश को मिलेंगे। कानून में दोष सिद्धी के प्रमाण को 90 परसेंट से ऊपर ले जाने का प्रावधान किया गया है। सात वर्ष से अधिक सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन्स पर फॉरेन्सिक टीम की विजिट को कम्पलसरी किया जा रहा है। इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा और इसके बाद कोर्ट में दोषियों के बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।

सभापति जी, माननीय मोदी जी की सरकार नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आजादी के 75 सालों बाद पहली बार ?जीरो एफआईआर? शुरू करने जा रही है। अपराध कहीं भी हुआ हो, इसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। अभी तक इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। पहली बार ई-एफआईआर का प्रावधान जोड़ा जा रहा है। हर जिले और पुलिस थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचना देगा। यह शायद पहली बार हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं होता था।

सभापति जी, यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान कम्पलसरी कर दिया गया है। यौन उत्पीड़न के मामले में वीडियो रिकॉर्डिंग कम्पलसरी कर दी गई है। पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिनों में फरियादी को स्टेटस देना आवश्यक हो गया है। अभी तक यह होता था कि जब अपने लोगों का मुकदमा वापस लेना होता था तो बिना किसी आधार के मुकदमे वापस हो जाते थे, लेकिन अब इसमें नया प्रावधान किया गया है, पीड़ित को सुने बिना कोई भी सात वर्ष या इससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगा, इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी।

छोटे मामलों में समरी ट्रॉयल का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब तीन साल तक की सजा वाले अपराध समरी ट्रॉयल में शामिल हो जाएंगे। इस अकेले प्रावधान से ही सेशन कोर्ट में 40 प्रतिशत से अधिक केसेज समाप्त हो जाएंगे। आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय-सीमा तय कर दी गई है और विशेष परिस्थितियों में इसे 90 दिनों तक और बढ़ाया जा सकता है 180 दिनों के अंदर जांच समाप्त कर ट्रॉयल के लिए भेज देना होगा। कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होगी। बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर माननीय न्यायालय को फैसला सुनाना होगा। इससे सालों तक पेंडिंग पड़े केस जल्दी समाप्त हो जाएंगे। सिविल सर्वेंट या पुलिस अधिकारी के विरुद्ध ट्रॉयल के लिए सरकार को 120 दिनों के अंदर अनुमति अगर प्राप्त नहीं होगी, तो वह उनकी अनुमति मान ली जाएगी और उस पर मुकद्दा कायम हो जाएगा। घोषित अपराधियों की सम्पत्ति की कुर्की का प्रावधान भी लाया गया है। अंतर्राज्यीय गिरोह, संगठित अपराधों के विरुद्ध अलग प्रकार की कठोर सजा का नया प्रावधान भी इस कानून में जोड़ा गया है। सजा माफी को राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग करने के कई मामले देखे जा चुके हैं। अब मृत्यु दंड को आजीवन कारावास, आजीवन कारावास को कम से कम 7 साल की सजा और 7 साल की सजा को कम से कम 3 साल तक की सजा में भी बदला जा सकेगा और किसी भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। मोदी सरकार राजद्रोह को पूरी तरह से समाप्त करने जा रही है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, इसलिए सबको बोलने का पूरा अधिकार है। राजद्रोह का मुकद्दा पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। पहले आतंकवाद की कोई व्याख्या नहीं थी। अब सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, सम्प्रभुता एवं अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों की पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई है। अनुपस्थिति में ट्रॉयल के बारे में फैसला किया गया है। सेशन कोर्ट के जज द्वारा भगोड़ा घोषित किए गए व्यक्ति की अनुपस्थिति में ट्रॉयल होगा और उसे सजा भी सुनाई जाएगी, चाहे वह दुनिया में कहीं भी छिपा हुआ हो, उसे सजा के खिलाफ अपील करने के लिए भारतीय कानून और अदालत की शरण में आना ही होगा। कानून में कुल 313 बदलाव किए गए हैं। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक आमूल-चूल परिवर्तन लाया जाएगा और किसी को भी अधिकतम 3 वर्षों में न्याय मिल जाएगा। इस कानून में महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है। अपराधियों को सजा मिले, यह सुनिश्चित किया गया है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके, ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं। मैं इस ऐतिहासिक बिल का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): माननीय सभापति जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने भारतीय इतिहास में न्याय के क्षेत्र में होने जा रहे सबसे बड़े बदलाव के अवसर पर बोलने का मुझे मौका दिया है ।

महोदय, मैं इसके साथ ही साथ अपने हिंदुस्तान के दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और सचमुच में गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपनी सूझ-बूझ के साथ कानून में इतना बड़ा बदलाव करके शोषित, पीड़ित एवं वंचित लोगों को न्याय प्रदान करने की कोशिश की है । महोदय, आज का यह सदन और यहां बैठे हुए लोग इस ऐतिहासिक पल को हमेशा याद रखेंगे । यह सदन और हम सब लोग इसके साक्षी रहेंगे । पिछले 100 वर्षों से अधिक, जो कानून था, जो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था, अंग्रेजियत उस पर साफ तौर से दिख रही थी, आज आजाद भारत में 75 वर्षों के बाद इस ऐतिहासिक कदम को उठाने का अगर किसी ने निर्णय लिया, तो वह हमारे प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी ने लिया है । निश्चित तौर पर इतिहास में उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे । मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर जो वंचित और गरीब, शोषित तबके के लोग थे, उनके साथ न्याय करने का काम इस संशोधन के माध्यम से किया जाएगा ।

महोदय, मैं समझता हूँ कि ये जो तीन विधेयक हैं, ये भारतीय दंड संहिता, 1860 की जगह पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 लाए गए हैं ।

20.00 hrs

माननीय सभापति : यदि सदन की अनुमति हो तो सदन का समय एक घंटे के लिए यानी नौ बजे तक के लिए बढ़ा देते हैं ।

कुछ माननीय सदस्य: जी हाँ ।

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, दंड की जगह न्याय शब्द इशारा करता है कि हमारी सरकार का लक्ष्य क्या है । हम देश में न्याय का वातावरण बनाने आए हैं । साथ ही साथ जो दूसरा विधेयक अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 है, उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 लाया गया है, जिसके द्वारा न्यायिक प्रक्रिया, जांच के आरोप आदि के नियम भी तय किए जाएंगे । तीसरा विधेयक, भारतीय साक्ष्य संहिता, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 स्थापित होगा, जहां जांच के नये तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे तथा नई तकनीकी व्यवस्था का भी इस्तेमाल किया जाएगा । मैं समझता हूँ कि इस पर ही ज्यादा बल देने का काम किया गया है । महोदय, ये तीनों कानून गुलामी की निशानी थे । हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहल करके कई परिवर्तन करने का काम किया है और गुलामी के उस चिह्न को मिटाने की कोशिश करने का भी काम किया है । उसी कड़ी में यह कानून है, जिसमें बदलाव आज माननीय गृह मंत्री जी के माध्यम से सदन में लाने की कोशिश की गई है । मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे खूबसूरत बात भारतीयता है । हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है, हमने उसको भी इस कानून के माध्यम से एडॉप्ट किया है । हमारी जो लोकप्रिय और ऐतिहासिक संस्कृत भाषा है, उसको भी इस कानून में समाहित करने की कोशिश की गई है । यह सरकार के लिए बहुत बड़ा कदम है । मैं समझता हूँ कि भारतीय न्याय संहिता में पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब मात्र 336 धाराएं होंगी । 175 धाराओं में बदलाव किये गये हैं । 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त करने का काम किया गया है । यही नहीं भारतीय साक्ष्य विधेयक में पहले की 167 धाराओं के स्थान पर 170 धाराएं होंगी तथा 23

धाराओं में बदलाव करने का काम किया गया है। इसमें एक नई धारा जोड़ी गई है तथा पाँच धाराओं को निरस्त करने का काम किया गया है।

महोदय, मैं इस कानून के कुछ प्रावधानों को आपके माध्यम से देश के समक्ष रखना चाहता हूँ। पहली बार इस कानून में ई-एफआईआर का प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा है। पहला, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार से उसकी गिरफ्तारी के बारे में सूचना देना जरूरी होगा। दूसरा, एफआईआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने का प्रावधान किया गया है। यह बहुत ही उत्तम कदम है। यही नहीं सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी जरूरी होगा। सरकार ने न्याय प्रक्रिया में यह बहुत सार्थक कदम उठाने का काम इस कानून के माध्यम से किया है। इससे निर्दोष नागरिकों को नहीं फंसाया जा सकेगा। सात वर्ष या उससे अधिक सजा वाले अपराधों की घटना पर फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच की जाएगी। पुलिस की मनमानी पर अंकुश लगेगा। अभी लोगों का मानना है कि पुलिस बड़े मामलों में झूठा सबूत इकट्ठा करके, मैं समझता हूँ कि इकट्ठा करने की जगह मिटाने के लिए ज्यादा काम करती थी, उससे हम अपने-आप को बचाएंगे। इससे कोर्ट के सामने वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध होगा। इस कदम से कोर्ट में दोषियों को बरी होने की बहुत कम संभावना रहेगी। तीन साल के बाद हर साल 33 हजार फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट और साइंटिस्ट देश को मिलेंगे। उससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ अपराध के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान रखा गया है।

मॉब लिंचिंग के केस में सात साल का आजीवन कारावास और मृत्यु दंड के भी तीन प्रावधान रखे गए हैं। मोबाइल फोन या महिलाओं की चैन स्नैचिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इस नए कानून के तहत यह प्रावधान रखा गया है। बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को सात साल से बढ़ाकर दस साल करने का काम किया गया है। अनेक अपराधों में जुर्मानी की राशि को भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।

पहली बार शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी में लाया गया है। आम तौर पर ऐसे केस बहुत ज्यादा होने लगे थे। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का भी प्रावधान किया गया है, जो कि बहुत ही उत्तम कदम है। पहली बार न्याय देने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। पहली बार छोटे-मोटे अपराधों के निपटारे के लिए पूरे देश में समरी ट्रॉयल का स्थायी प्रावधान करने का काम किया गया है। चोरी, चोरी की संपत्ति रखना, शांति भंग करना, धमकी देने जैसे मामलों में अब समरी ट्रॉयल होगा और एक ही सुनवाई में जुर्माना या छोटे दंड के साथ इसका निपटारा किया जाएगा।

महोदय, माना यह जा रहा है कि इससे अदालतों पर 40 प्रतिशत केसेज़ का बोझ कम पड़ेगा। यही नहीं, ट्रॉयल के दौरान बार-बार तारीख पर तारीख लेने के सिस्टम को भी बंद करने का काम किया जाएगा। किसी भी आरोपी का वकील दो बार से अधिक तारीख नहीं ले सकता है। अधिकांश केस इसी कारण से वर्षों तक लटके रहते थे।

सुनवाई पूरी नहीं होने के बाद, अब अदालत को भी 30 दिनों के अंदर फैसला सुनाना ही पड़ेगा, इसलिए इसे अनिश्चित काल के लिए नहीं टाला जा सकेगा। यह बहुत ही उत्तम कदम है। लोगों को इससे बहुत सहूलियत मिलने वाली है। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय-सीमा तय कर दी गई है और अदालत परिस्थिति देखकर अन्य 90 दिनों की परमीशन दे सकेगी। इस प्रकार कुल मिलाकर 180 दिनों के अंदर जांच समाप्त कर ट्रॉयल की व्यवस्था करने का काम किया गया है। अब कोर्ट आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होंगे। बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर ही न्यायाधीशों को फैसला

देना होगा। इससे सालों तक जो निर्णय पेंडिंग रहा करते थे, अब उससे निजात मिलेगी। अब सात दिनों के भीतर फैसला ऑनलाइन डालना होगा और उसे लोगों के बीच में लाने की बाध्यता होगी।

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, यही नहीं, पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी। इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी।

माननीय मोदी जी की सरकार राजद्रोह को पूरी तरह से समाप्त करने जा रही है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और सबको बोलने का अधिकार है। यह एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। मैं समझता हूँ कि इस कदम से देश की जनता को बहुत राहत मिलने वाली है।

माननीय सभापति : प्लीज, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, अभी तक सिर्फ आरोपियों के लिए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी का प्रावधान है। अग्रिम एफआईआर, चार्जशीट और अदालत के लिए? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप प्लीज अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, फैसले पूरी तरह से डिजिटल होंगे। गवाहों और पीड़ितों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जा सकेगा। गवाहों और आरोपियों को समन या नोटिस एसएमएस के माध्यम से भी भेजने का प्रावधान है।

महोदय, मैं इस ई-गवर्नेंस के माध्यम से देश में न्याय और सुरक्षा का वातावरण बनाने के प्रयास के लिए सरकार का आभारी हूँ। इस सरकार ने लोगों की तकलीफों को समझने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर पुलिस, कोर्ट-कचहरी में फंसने का मतलब बर्बाद होना है। मैं समझता हूँ कि जो ये अंग्रेजी कानून का वातावरण था, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। हम न्यायिक कामकाज को विस्तारित तरीके से कम करने की कोशिश करेंगे।

महोदय, मैं दो-तीन बातें कहकर अपनी बात को समाप्त करूँगा। सरकार ने बहुत काम किया है। मैंने बताया है कि गरीबों के लिए न्याय प्रक्रिया में सहजता करके न्याय देने का काम किया है। एक बड़ा सवाल यह है और आप भी आमतौर पर महसूस करते होंगे कि कोर्ट्स में जो केसेज़ जाते हैं, मैं समझता हूँ कि उनमें न्याय मिलने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे कई लोग हैं, जो ट्रायल कोर्ट्स में हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, जमानत करने वाला भी नहीं है। सरकार को उनकी तरफ भी एक नीतिगत सोच के तहत निर्णय लेना चाहिए, जिनको देखने वाला कोई नहीं है। सरकार उनके लिए विचार करे कि क्या उपाय हो सकता है। न्यायालय में जाने के बाद जब नीचे न्याय नहीं मिलता है तो वह आगे की कोर्ट में जाता है। वहां वकीलों की फीस इतनी अधिक है कि वह देने में असमर्थ होता है। जब उसको नीचे की कोर्ट में न्याय नहीं मिला तो वह उच्च कोर्ट में जाएगा और वह सुप्रीम कोर्ट तक आता है। सुप्रीम कोर्ट में एक-एक वकील की लाखों रुपये फीस होती है और वह देने में असमर्थ होता है। क्या हम इस पर विचार नहीं कर सकते हैं? निश्चित तौर पर ऐसे गरीब लोगों के लिए हम सहजता के साथ कानून में प्रावधान करें और ऐसी व्यवस्था करें, ताकि गरीब को, जो सामर्थ्यवान नहीं है, उसको आसानी से न्याय मिल सके। वह उच्च स्तर पर न्यायालय में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनकी औकात नहीं है। निश्चित तौर पर उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए।

महोदय, मैं आपके प्रति, माननीय प्रधान मंत्री जी और गृहमंत्री जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक ऐतिहासिक कानून लाकर परिवर्तन करने का काम किया है। सौ वर्ष के बाद ऐसा हुआ और अगले सौ वर्ष तक यह कानून लागू रहेगा और न्याय मिलता रहेगा। इससे गरीब और वंचित लोगों को न्याय मिलेगा। यह साहस करने का काम कोई कर सकता है तो मोदी गवर्नमेंट कर सकती है। मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आज आपने मुझे भारत के गृहमंत्री द्वारा लाए गए विधेयकों पर बोलने का अवसर दिया है। इंडियन क्रिमिनल जस्टिस कानून, जो ब्रिटिश कोलोनाइजर्स का कानून था, उसको बदलने और एक आमूलचूल परिवर्तन करने के संबंध में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक, इन तीनों विधेयकों को माननीय गृह मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। आपने मुझे इनके समर्थन में बोलने का अवसर दिया है। महोदय, मैं उस दिन भी सदन में मौजूद था, जब माननीय गृहमंत्री जी इन तीनों विधेयकों को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। आज विपक्ष के बहुत साथी नहीं हैं, लेकिन उस दिन सदन के समक्ष विधेयकों को प्रस्तुत करते समय विपक्ष के कई साथियों ने इस बात का उल्लेख किया था कि क्या भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय साक्ष्य विधेयक के नाम बदले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इससे पूरे देश के पैन इंडिया के, परिप्रेक्ष्य में कठिनाई होगी। उन्होंने इस तरह का सवाल उठाया था। आज शायद वे इस चर्चा में भाग लेते तो इस सदन के माध्यम से इन तीनों विधेयकों के संबंध में पूरे देश में संदेश जाता कि आज भी विपक्ष की यह मानसिकता है। जिसका नाम ही भारतीय दंड संहिता या इंडियन पीनल कोड था, उस भारतीय दंड संहिता को समाप्त करके भारतीय न्याय संहिता लाने का काम भारत के गृहमंत्री कर रहे हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि आज दंड की जगह पर इस कानून से देश को न्याय मिलेगा। यह स्वाभाविक है कि आज इस कानून में बदलाव हुआ है। महोदय, जैसा हमारे साथियों ने भी कहा है कि आज इस कानून को बदलने के पीछे आखिर क्या कारण हैं और इन कानूनों का क्या इतिहास है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें कही हैं तो मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ और जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि जो आईपीसी या सीआरपीसी लाए गए थे, ये ब्रिटिश के लॉ थे और ब्रिटिशर्स के द्वारा ही बनाए गए थे, लेकिन उससे पहले भी कानून था। जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, उस समय हमारे यहां मुफस्सिल कोर्ट्स हुआ करती थीं।

उन मुफस्सिल कोर्टों में मोहम्मडन लॉ के माध्यम से, क्योंकि मुगलों की सल्तनत थी, तो मुगलों की सल्तनत में जो उनके अपने इस्लामिक आधार पर कानून थे, वे उन मुफस्सिल कोर्टों से लोगों को न्याय देने का काम करते थे। प्री-ब्रिटिशर्स अराईवल के समय में एक तरह से मुफस्सिल कोर्ट के जो कानून थे और फिर जब उसके बाद इस देश में अंग्रेज आए और उन्होंने आकर के इंग्लिश क्रिमिनल लॉ इंट्रोड्यूस किया तो एक कंप्यूजन होना शुरू हुआ और वह कंप्यूजन यह हुआ कि मुफस्सिल कोर्ट वाले कानून चलेंगे या ब्रिटिशर्स के कानून चलेंगे। फिर वर्ष 1831 में उस समय इंडियन लॉ कमिशन बनाया गया। जिस लॉर्ड मैकाले की बात करते हैं, आज भी उसकी शिक्षा पद्धति लागू थी, लेकिन यह देश इस बात के लिए आभारी रहेगा और शायद 17 वीं लोक सभा कई चीजों के लिए इतिहास में साक्षी बनेगी कि लॉर्ड मैकाले की बाबू बनाने की जो शिक्षा पद्धति थी, उसको भी बदलने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है और आज वह एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं। मैं इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ लेकिन आज उसी का परिणाम है कि हम दुनिया में ज्ञान के मामले में, एक्सिलेंस के मामले में, आईटी के मामले में और बाकी सारी चीजों के मामले में आगे जा रहे हैं। उसी लॉर्ड मैकाले ने वर्ष 1831 में आईपीसी और सीआरपीसी को स्ट्रीम लाइन देने के लिए इंडिया में लीगल सिस्टम किस तरह का हो, इसके लिए उसने वर्ष 1833 में अपनी रिपोर्ट दी थी। उसका केवल यह ऐम था कि

उन बिलों के माध्यम से इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कोलोनाइज किया जा सके ताकि वह ब्रिटिश प्रभाव में रह सके। उसका नतीजा यह हुआ, जैसा कि आज हमारे साथियों ने कहा कि 163 वर्षों के बाद आईपीसी चेंज होने जा रहा है। 151 सालों के बाद सीआरपीसी चेंज होने जा रहा है। 151 सालों के बाद एविडेंस एक्ट चेंज होने जा रहा है। ये तो 163 साल पुराने ब्रिटिशर्स के बनाए हुए कानून हैं। उसके पहले के भी मुफ़्सिल कोर्टों के भी कानून थे और वे भी सैंकड़ों साल तक चले थे। मुझे लगता है कि देश को आजादी वर्ष 1947 में मिली और हम निश्चित तौर से ब्रिटिशर्स से आजाद हुए और भारत को आजादी मिली, लेकिन उनके कानूनों से आज तक भी आजादी नहीं मिली थी। आज तक भी हमारे लीगल ज्यूरिसप्रूडेंस में और लीगल सिस्टम में आईपीसी और सीआरपीसी चला आ रहा था। मुझे लगता है कि एक आजादी अगर वर्ष 1947 में मिली तो आज उनके बनाए हुए कानून जो केवल दंड के लिए थे, ब्रिटिश रूल को और अपने एम्पायर को बनाए रखने के लिए थे, लोगों के मन में टैरर कायम करके ब्रिटिशर्स की गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए थे। आज का यह वर्ष 2023 इतिहास में इस बात का गवाह होगा कि 19 और 20 दिसम्बर को इस देश में उन ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए उपनिवेशवादी कानूनों से अब भारत को श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत तीन कानूनों के माध्यम से देश को आजादी मिलने जा रही है। इसका विचार कहाँ से आया? मुझे लगता है कि इसका विचार, 15 अगस्त को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से पंच प्रण की बात कही थी, तो पंच प्रण उन्होंने किस संदर्भ में कहे थे? पंच प्रण का विचार भारत माँ के किसी सपूत के मन में ही आ सकता है कि हम इस बात का संकल्प लें कि हम इस देश को गुलामी के हर अंश से मुक्ति दिलाएंगे। गुलामी के हर अंश से मुक्ति की जो बात थी या अपनी विरासत पर गर्व करने की जो बात थी या विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर एकता और एकजुटता और नागरिकों में कर्तव्य की भावना पैदा करने की बात थी। इस चीज को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण को लेकर के लाल किले से देश की जनता का आह्वान किया था। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा प्रस्तुत ये तीनों विधेयक उस पंच प्रण की भावना को पूरा करने का काम करते हैं। Today, these three Bills are going to fulfil this goal of Shri Narendra Modi. मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम इसका इतिहास देखें तो आप इसे महत्वपूर्ण ढंग से देखेंगे।

इस कानून को बनाने के पीछे, जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें कौन-कौन सी चीजें आवश्यक हैं, उन्हें हम इसमें लेकर आए हैं। आज हम जो भारतीय न्याय संहिता ला रहे हैं, उसके काफी सैंक्शन्स की बात हुई, लेकिन मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ। हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि डिटेक्शन ऑफ़ दी क्राइम हो। अगर कोई अपराध होता है तो उसको वास्तविक रूप से डिटेक्ट किया जा सके और उसको एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जा सके। कलेक्शन ऑफ़ एविडेंस, जिस पर काफी बातें कही गई हैं कि हमारा डिजिटल सिस्टम होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा और एविडेंसेज होंगे। Determination of guilt or innocence मतलब, वह व्यक्ति अपराधी है या इनोसेंट है, ये भारतीय न्याय संहिता की इस संबंध में प्रमुख बातें हैं। इस संबंध में माननीय गृह मंत्री जी ने खुद 158 बार बैठकें की थीं। सभी हाई कोर्ट के जजेस से तथा सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ चार साल तक कंसल्टेशन किया गया। उसके पीछे इस तरीके से मंथन हुआ कि अगर कोई दोषी है तो उसको निश्चित तौर से दोषी सिद्ध करके सजा दिलाई जाए और अगर कोई दोषी नहीं है, बेगुनाह है तो उसको दोषमुक्त किया जाए। इस तरीके से भारतीय न्याय संहिता के द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है, वह नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करेगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, ?Empty threats do not deter? अर्थात् ठोस आपराधिक कानून स्वयं संचालित नहीं हो सकते हैं। उन्हें प्रशासन और परिवर्तन के लिए तंत्र की आवश्यकता होती है। वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में समान रूप से महत्वपूर्ण है। हमारे काफी साथियों ने काफी कुछ कहा है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री जगदम्बिका पाल : सभापति महोदय, आपने सभी को 20 से 25 मिनट्स दिए हैं तो मुझे पांच मिनट और दीजिए । मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज इसके पीछे जो हमारे आइडियाज हैं, चाहे आज कम्युनिटी सर्विस की बात हो, चाहे सिटीजन्स के राइट्स की बात हो, आज introducing community service as a form of punishment is a step towards reformative justice. This is in consonance with the idea of Gandhi ji of serving the community. इस तरीके से हमारे जो की फीचर्स हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । भारतीय न्याय संहिता में आज बहुत सी चीजों का उल्लेख हुआ है । आईपीसी क्लॉज 109, 110 में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन हमने उसको भारतीय न्याय संहिता में स्पष्ट तौर से क्राइम के रूप में रखा है । मॉब लिचिंग के लिए कोई प्रोविजन नहीं था, उसे क्लॉज 101 में रखा कि murder by group of five or more people based on caste, region or race. इसी तरह से फेक न्यूज के बारे में किया है । मैंने एक दिन इस पर सवाल उठाया था । जैसे डीपफेक की बात भी है तो यह आज समाज में बहुत बड़ा तनाव पैदा कर सकता है । इसी तरह से टेररिस्ट एक्ट के लिए डिफाइन करने की बात हुई । मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से जो आज स्थिति बनी है, वह बहुत अच्छी है ।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी हमारा मेनडेट निश्चित है । हमारे कई साथियों ने कहा है कि जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है, उसको भी निश्चित तौर से यूज किया जाएगा । इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रायल्स को एलाउ किया जाएगा । डिजिटल वर्ल्ड के साथ जो बदलाव हो रहा है और आज सिग्नेचर के साथ-साथ फिंगर इंप्रेशन को भी मान्य किया जाएगा । इसी तरह से जो भारतीय साक्ष्य संहिता है, उसमें भी हमने इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है । मैं कनक्लूड कर रहा हूँ ।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, सभी बातें कही जा चुकी हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल : सभापति महोदय, जो बातें कही जा चुकी हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ । मैं केवल नई बातें कहूंगा । चाहे होम अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी, चाहे 110 वीं, 111 वीं या 146 वीं रिपोर्ट्स हो, इन सभी में ये संशोधन थे । जिस तरीके से हमारे तमाम कमीशन बने और उन कमीशन के बनने के बाद क्या हल निकला? पहले क्या था? आज इस कानून को बनाने के पीछे गृह मंत्री जी का या हमारी सरकार का यह उद्देश्य है कि अगर यह ह्यूमन सेंट्रिक नहीं होता, चूँकि हमने भारतीय न्याय संहिता के फर्स्ट चैप्टर में किसको लिया है, पहले सैक्शन 376 जो सबसे नीचे था, उसको आज हमने फर्स्ट चैप्टर में लिया है । महिलाओं और बालिकाओं के लिए जो कहा गया है, उस तरीके से हमने इसमें संशोधन किए हैं ।

माननीय सभापति : श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव जी, कृपया आप पांच मिनट में अपनी बात कहिए, क्योंकि वक्ताओं की बहुत लंबी सूची है । कृपया आप संक्षेप में बोलिए ।

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलंगीर): सर, मैं पहली महिला सदस्य बोल रही हूँ । कृपया मुझे बोलने के लिए 10 मिनट का समय दीजिए ।

माननीय सभापति : नहीं, आप बोलिए ।

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Thank you, Sir. I rise to welcome and support this visionary Bill which seeks to do away with the last

remanent of the British raj by replacing the archaic and redundant laws of the colonial era with utilitarian and pragmatic laws which are more relevant in today's context whilst keeping constitutional morality in mind.

We as a people are litigant by nature with great faith in the criminal justice system and retributive justice. Our hon. Prime Minister and our hon. Home Minister in the last four years have brought in path-breaking legislations whether it be on triple talaq or abrogation of Article 370 or more recently the reorganisation and reservation in Jammu and Kashmir. This Bill is just going to add to their tally of path-breaking legislations. They are leaders who have the will and the courage of their convictions to bring in revolutionary legislations for the betterment of the country. There are several interesting aspects of the Bill like, for the first time, community service has been introduced, abetment to an offence committed in India by a person outside India has been made an offence. After that, a new offence, which is particularly significant, has been added which is mob lynching since the Supreme Court has been requesting the Centre to bring in legislation to control mob lynching. After that, there is another very interesting new provision which strengthens the clutches of the law on proclaimed offenders and absconders. This is a problem which we are facing currently. As per Section 356 (6), absence of the accused would not prevent the court from proceeding with a trial including pronouncement of judgement. No appeal by a proclaimed offender would lie until he or she appears before the court. This is a very interesting provision which has been added to this Bill.

What has really impressed me the most and which I appreciate as a woman is Chapter V wherein detailed provisions have been made for offences against women and children. A new offence has been added for having sexual intercourse on false promises of marriage, employment or promotion by suppressing one's identity. There are instances which are on the rise where women are also involved in cases of assault or use of criminal force against other women to disrobe or engage in acts of voyeurism. These two criminal acts have also been made gender neutral which is a very important point to note here. Apart from that, a new section has been added to make hiring, employing or engaging a child to commit an offence a punishable offence which is also very important. Besides these, there are certain other important issues. The Bill emphasises on increased use of forensics and technology. Under the Indian Evidence Act, more emphasis has been placed on forensics and technology. The definition of primary document, secondary evidence

has been changed to be more relevant with all the internet usage and things like that.

Sir, I would like to say here that the Section which deals with women is very welcome because right from cyberbullying to stalking or causing a woman to abort or miscarry a foetus without her consent, or buying and selling children for the purpose of prostitution, all these aspects have been paid considerable attention to. I do not want to take too much time of the House. I just want to add here that I agree wholeheartedly with the hon. Member Satya Pal ji when he talked about the year 2018 when the hon. Supreme Court decriminalised adultery. This has had a very disturbing effect on the fabric of Indian society. Women are treated as broodmares only to give children and thereafter, men go on with their life as they feel fit. And in rural India, women are being beaten by drunken husbands. There are far-reaching ramifications. I would like to request the hon. Home Minister to please look into this matter and review this Act which had been decriminalised.

Lastly, I would just like to say in conclusion that I particularly compliment and thank the hon. Prime Minister and hon. Home Minister for this transformative and progressive Bill which addresses the concerns of today, and especially for putting the interest of the unborn child and his mother in the forefront.

Once again, I would like to thank you very much.

माननीय सभापति: सुश्री सुनीता दुग्गल जी, कृपया समय का ध्यान रखियेगा ।

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सबसे पहले तो मैं इस ऐतिहासिक बिल पर आज मुझे जो मौका मिला है, मैं पार्टी संगठन को भी इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लिए मौका दिया है । यह बहुत ही ऐतिहासिक पल है । मैं इस बात के लिए भी अपने आपको बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि हम आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आज इस 17 वीं लोक सभा के सदस्य हैं । आदरणीय गृह मंत्री जी इससे पहले आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का बिल लेकर आए थे, हम उसके भी साक्षी बने । इसके साथ-साथ आज जो ऐतिहासिक बिल्स यहां पर लाए जा रहे हैं, इसके भी हम साक्षी बन रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ ।

सभापति महोदय, इंडियन पीनल कोड, 1860 को भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023 कहा जा रहा है । सीआरपीसी, 1973 को भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 कहा जा रहा है । इंडियन एविर्डेस एक्ट, 1872 को भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 कहा जा रहा है । मुझे लगता है कि यह इंडिया से भारत तक की यात्रा है और हम धीरे-धीरे विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं ।

सभापति महोदय, ये बिल्स आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा 11 अगस्त, 2023 को इंट्रोड्यूस किए गए थे और 11 अगस्त को ही ये स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिए गए थे। 10 नवंबर, 2023 को स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई। उसके बाद 12 दिसंबर को इनको विद्वद्ध किया गया, क्योंकि कमेटी की जो भी रिकमेंडेशंस आई थीं, उनको उसके अंदर डालने के बाद, उसमें अमेंड करने के बाद फिर 12 दिसंबर, 2023 को वापस इनको इंट्रोड्यूस किया गया। आज इनको पास करने के लिए यहां पर चर्चा चल रही है। अब चूंकि ये दोबारा से यहां पर आए हैं, तो इनके नाम बदल कर भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 किया गया है।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि अभी हमारे एक वक्ता कह रहे थे कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने जब लाल किले की प्राचीर से यह कहा कि हम अमृत काल में हैं और इस अमृत काल के अंदर हम पंच प्रण करते हैं, to make India a developed nation. पंच प्रण ये थे: भारत को विकसित भारत बनाना, दूसरा कोलोनियल माइंडसेट को पूरी तरह से समाप्त करना, तीसरा अपनी संस्कृति पर, अपनी जड़ों पर गर्व करना, मान करना, चौथा एकता, एकजुटता, पांचवां आम नागरिक के अंदर कर्तव्य बोध का होना।

सभापति महोदय, मुझे लगता है कि ये पांच प्रण नहीं हैं, बल्कि ये भारत के पांच प्राण हैं। इसी के तहत यह लगता है कि भारत की जो यह विकसित भारत की यात्रा है, इस विकसित भारत की यात्रा के अंदर सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का रहता है तो महिलाएं, युवा, किसान और गरीब का रहता है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं चारों के बारे में कहा है कि वे इन चार जातियों में ही विश्वास रखते हैं और इनकी तरक्की ही हमारे देश को विकसित भारत की ओर लेकर जाएगी। इसके अन्दर सबसे ज्यादा प्रेफरेंस महिलाओं और बच्चों को दिया गया है। इसलिए सेक्शन 63 और 64 को रखा गया है। यह प्रावधान एफआईआर को डिजिटलाइज करने के लिए रखा गया है। इसके साथ-साथ, यह भी बताया गया है कि विक्टिम महिला की स्टेटमेंट को बंद कमरे में रेकॉर्ड किया जाएगा। यह सब कुछ बहुत ही विस्तार से बताया गया है। मैं इसमें कहना चाहती हूँ कि अभी पिछले दिनों नये आईपीएस ऑफिसर्स आए थे। वे पूछ रहे थे कि आपको इसमें सेक्शंस को चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी? तब मैंने उनको बताया कि हमारी सोच है, आदरणीय गृह मंत्री जी की सोच है कि बच्चों और महिलाओं को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। अगर उनसे संबंधित धाराएं पीछे जा रही हैं, वह 376 में जा रही हैं, तो फिर उसका फायदा क्या है? अगर हम महिलाओं को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो हमें इसको आगे रखना चाहिए। इसलिए इन सेक्शंस के अन्दर चेंज किये गये हैं। मुझे यह लगता है कि भारत के जो युवा हैं, अब धीरे-धीरे उनकी समझ में आएगा कि ये सेक्शंस क्यों चेंज किये गये हैं, इसके पीछे हमारी क्या मंशा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि आदरणीय रविशंकर जी ने जब यह बात कही कि हमारा जो कोलोनियल सिस्टम है, उसको चेंज करने के लिए एक ही काल के अन्दर हमारी यूनिवर्सिटीज को बदला गया और उसी काल के अन्दर आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट आए। यह बिल्कुल सही है। जब मैंने इसका पूरा विश्लेषण किया, तो मुझे पता चला कि 10 जून, 1834 को थॉमस बैबिंग्टन मैकॉले भारत आया था। वर्ष 1834 में, चार्टर एक्ट, 1833 के तहत फर्स्ट लॉ कमीशन आया और उसके तहत इसका ड्राफ्ट बनाया गया, जो एविडेंस एक्ट है। इसका ड्राफ्ट बनाया गया। कमाल की बात देखिए कि वर्ष 1835 में ही इंडियन एजुकेशन एक्ट आया और उसके मिनिट्स में थॉमस बैबिंग्टन मैकॉले कहता है कि only fund western education, not any other type of education. सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन को फंड करो, इसके सिवाय किसी भी एजुकेशन सिस्टम को फंड नहीं करना है।

दूसरी बात उसने कही कि Close all universities that only offer courses in Eastern philosophy. उन सब यूनिवर्सिटीज को बंद किया जाए । आपने देखा होगा कि धीरे-धीरे हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्या हुआ ।

तीसरी बात उसने कही कि just a small number of Indians should receive Government's education. These Indians would then instruct the rest of the populace. थोड़े-से लोगों को पढ़ाओ, जैसा कि उन्होंने सिस्टम बताया कि जो हुकूमत का सिस्टम है, उसको करो और वे सबके ऊपर राज करेंगे । The Downward Filtration Theory.

इसके बाद, उसने कहा है कि Indian by blood and colour and British by taste, likes, beliefs, morality and intellect. आप इनको ऐसा बना दो ।

अभी दो माननीय सदस्यों, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, ने बहुत ही विस्तार में इसके बारे में बताया था । इसलिए मैं गहराई में नहीं जाऊँगी । उन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया कि किसमें किस-किस सेक्शंस को चेंज किया गया है । लेकिन इसके साथ-साथ मैं कहना चाहती हूँ कि मैं स्टैंडिंग कमेटी को बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी, उन्होंने बहुत ही बारीकी से इसके अन्दर जो चेंजेज आने चाहिए, वो उन्होंने करके बताया । माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं इसकी 158 बैठकें अटेंड कीं । इसके साथ ही, 12 स्टेट्स, 6 यूटीज, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट्स, 5 जुडिशियल एकेडेमीज से सलाह ली गई ।

माननीय सभापति : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए ।

सुश्री सुनीता दुग्गल : महिलाओं में मेरे से पहले केवल एक ही महिला सदस्य बोली हैं, उसके बाद मैं दूसरे नम्बर पर बोल रही हूँ । इसलिए मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए ।

माननीय सभापति : इसमें समानता है, कोई विशेष अधिकार नहीं है ।

सुश्री सुनीता दुग्गल : इसमें 22 लॉ यूनिवर्सिटीज से सलाह ली गई, 142 एमपीज और 270 एमएलएज से भी सलाह ली गई । इसके अन्दर 511 सेक्शंस थे, उनको अब घटाकर 358 सेक्शंस कर दिये गये हैं । पहले टेररिज्म नहीं था ।

वर्ष 1834 में, जब इसको कमीशन के द्वारा लेकर आया गया, तो जब उस समय उन्होंने इसका ड्राफ्ट बनाया, तब कोई मोबाइल फोन नहीं था, कोई कम्प्यूटर नहीं था, कितनी ऐसी चीजें हैं, जो अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से आ रही हैं । इसलिए भी इसकी सख्त जरूरत थी । इसलिए अब इसके अन्दर टेररिज्म को भी रखा गया है । सेक्शन 113 में करप्शन को रखा गया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पेट्टी क्राइम्स को सेक्शन 111 और 112 में रखा गया है । सेक्शन 103(2) में मॉब लिंग है । हम लोगों ने मॉब लिंग की बहुत-सी घटनाएं देखी हैं । इसके अन्दर यह कहा गया है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग, रेस के बेस पर, कास्ट के बेस पर, कम्युनिटी के बेस पर, सेक्स के बेस पर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर, पर्सनल बिलीव्स के बेस पर और किसी अदर बेस पर अगर कोई किसी को मार देता है और अगर उसका कंविक्शन इस क्राइम में होता है, तो उसको डेथ पेनल्टी होगी ।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि ?हैवानों और कातिलों को मजहब से न जोड़ा जाए, मुजरिम जो भी हो, उसे किसी कीमत पर छोड़ा न जाए ।?

सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रही हूँ। मैं इसके साथ-साथ यह कहना चाह रही हूँ कि यह बहुत ही सुनहरा मौका हमारे विपक्षी दलों के पास था। गृह मंत्री जी ने यह बात बिलकुल साफ कही थी कि हम इस बिल को हड़बड़ी के साथ पास नहीं करना चाहते हैं। अगर सभी विपक्षी दल इसके अंदर भागीदारी करते ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी जी ।

? (व्यवधान)

सुश्री सुनीता दुग्गल : सभापति महोदय, मुझे सिर्फ दो मिनट दे दीजिए। अगर इसके अंदर सभी विपक्षी दल भागीदारी करते, तो उनके लिए यह बहुत सुनहरा मौका था, क्योंकि आज माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उन्होंने आज जिस तरह से, आपने देखा होगा कि राजपथ को हमने कर्तव्य पथ में बदला है। उनके घर 7, रेसकोर्स रोड को हमने कल्याण मार्ग के रूप में बदला है। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी जी ।

? (व्यवधान)

सुश्री सुनीता दुग्गल : सभापति महोदय, बस एक मिनट दीजिए। अब मैं दो मिनट से एक मिनट की मांग कर रही हूँ। मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी जी, आप अपनी बात प्रारंभ करें।

? (व्यवधान)

सुश्री सुनीता दुग्गल : सभापति महोदय, अंत में मैं कहना चाहूंगी कि ?ये राहें ले ही जाएंगी ? (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी जी, आप बोलिए, आपका माइक ऑन हो गया है।

? (व्यवधान)

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी (बालासोर) : मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस विषय पर हो रही चर्चा में बोलने देने के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। सर, वास्तव में यह जो कानून लाया गया है, यह हिन्दुस्तान में एक क्रांतिकारी अध्याय जोड़ रहा है। भारत में जो अंग्रेजियत की दास्ता करते हैं, वे इसको बर्दाशत नहीं करते हैं। आजादी के इतने सालों के बाद भी हम अंग्रेजियत की दास्ता, मानसिकता छोड़ नहीं सके। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। सर, भारत में अंग्रेज शासकों के द्वारा उनके साम्राज्यवादी लिप्सा को चरितार्थ करने के लिए जो दंड संहिता, जो बिलकुल गुलामी की निशानी थी, उसको हटाकर एक स्वतंत्र राष्ट्र का स्वाभिमानी जनता को न्याय देने के लिए, एक नई व्यवस्था बनाने के लिए ये तीन कानून - Indian Penal Code, Code of Criminal Procedure and Indian Evidence Act को रिपील करके इन तीनों कानूनों में परिवर्तन करने का मोदी सरकार का निर्णय अत्यंत साहसिक, ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। सर, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 70 सालों तक इस विषय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अंग्रेजों के जमाने में और कांग्रेस के

जमाने में जब कोई युवा विप्लव करता था, तब उसको कानून का डर दिखाकर, पुलिस का डर दिखाकर दबाया जाता था। परंतु, आज आजाद भारत में कानून का डर दिखाकर देश के नव-निर्माता, तरुण शक्ति को दबाने की कोई परंपरा नहीं चल सकती है। मान्यवर मोदी जी ने इस पर विराम दे दिया और एक नई व्यवस्था चालू की। सर, हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी मैकाले भक्तों को बहुत चोट पहुंचा रही है। कानून में जो यह परिवर्तन हो रहा है, पराधीनता की जो भयंकर निशानी थी, उनको हटाने की जब कोशिश की जाती है, तो उनको बड़ी पीड़ा होती है। कांग्रेस का निर्माण तो एक अंग्रेज, Allan Octavian Hume के द्वारा ही हुआ था। बाद में बहुत देशभक्त आए, लेकिन यह अंग्रेजी स्वाभाव छोड़ा नहीं है। सर, इसलिए यह नया कानून बहुत जरूरी था। अंग्रेजों के लिए हिन्दुस्तान के लोगों को मानव अधिकार की सुरक्षा से बढ़कर अंग्रेज शासन को भारत में स्थाई बनाना और मानववाद और महिलाओं पर अत्याचार से बढ़कर राजद्रोह और खजाने की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी। सर, उधम सिंह को अंग्रेजों के द्वारा अपराधी माना गया, उनको फांसी की सजा दी गई, लेकिन जनरल डायर, जिसने हजारों लोगों को मार दिया, उसको तो अपराधी नहीं माना गया? अगर हम इसे अंग्रेजों की परिभाषा में अपराध मानेंगे, तो श्री अरबिंदो, नेताजी सुभाष को उन्होंने अपराधी माना। हमारे परमप्रिय देशभक्त, महावीर को अंग्रेजों की दृष्टि से देखना, कांग्रेस को इस चाल को छोड़ना पड़ेगा। सर, इन तीनों कानूनों के दुरुपयोग के कारण जन-साधारण बहुत अत्याचारित हो रहा था। कोर्ट में मामला परिलंबित था, जेल ओवरलोडेड थे। गरीब और पिछड़ा वर्ग अत्याचारित था। कनविक्षन रेट कम था, अंडर-ट्रायल कैदियों की संख्या ज्यादा थी। विधि आयोग ने इसमें परिवर्तन के लिए सिफारिश की थी। बेजबरुआ, मलिमथ और विश्वनाथन समिति की सिफारिश भी थी। होम मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी की भी सिफारिश थी। गृह मंत्रालय, राज्यपाल, मुख्य मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, बार काउंसिल, लॉ यूनिवर्सिटी और सांसदों से सुझाव लिए गए थे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। व्यापक परामर्श के बाद माननीय गृह मंत्री जी ने लगभग 58 औपचारिक और 100 अनौपचारिक मीटिंग्स करके यह निर्णय लिया। सर, जो गुलामी की निशानी है, जो कोलोनियल लैंग्वेज है, उसमें परिवर्तन किया गया। उसको काटकर फेंक दिया गया, इससे कांग्रेस की हार्टबीट बढ़ जाती है। United Kingdom, Provincial Act, London Gazette, Jury, Barrister, Lahore, Commonwealth, United Kingdom of Great Britain and Ireland, Her majesty's Government, Court of Justice in England, Her majesty's Dominions.

जब ये सब शब्द चले जाते हैं तो कांग्रेस की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और इसीलिए वे रोते हैं। सबको तो आजादी नहीं चाहिए, जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को अपने शरीर में जकड़ लिया, उनको आजादी नहीं चाहिए। सर, गुलामी की निशानी को हटाकर स्वाभिमान के ढांचे को खड़ा करने के लिए यह व्यवस्था हुई है। प्रलंबित न्याय का त्वरित न्याय में परिवर्तन करना, ऐसा कहा गया है कि ?Justice delayed is justice denied.? सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, मानव अधिकार को सुनिश्चित करना, यह हमारे लिए ध्येय है। अंग्रेजों के गुलामी के निशान को छोड़ते ही कांग्रेसी अंग्रेजियत को सुरक्षा देने के लिए हाउस छोड़कर भाग गए। हमें तो आनन्द रहता, अगर वे यहाँ रहकर विचार में अंश ग्रहण करते। सर, कांग्रेस के एक नेता ने बोला था कि he was Hindu by accident. अंग्रेज पद्धति में खाना-पीना, नाचना, बोलना, राम सेतु को तोड़ने वाले, गौ हत्या वध को प्रोत्साहन देने वाले, वंदे मातरम का बहिष्कार करने वाले, भारत को खंडित करने वाले, अंग्रेजों के सामने झुकने वाले, पूजनीय शंकराचार्य को गिरफ्तार करने वाले, पूजनीय स्वामी रामदेव को गिरफ्तार करने वाले, सनातन धर्म को गाली देने वाले सब लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए एकजुट हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में इधर देशभक्त एकत्रित हुए हैं। अपने स्वार्थ को राष्ट्रहित में समर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सर, मैं कहता हूँ कि नए संशोधन में सर्वत्र राष्ट्रीय छाप है। संगठित अपराध से संबंधित

तथा छोटे-मोटे संगठित अपराध से संबंधित सारे विषयों को पुनः प्रस्तुत किया गया है। आतंकवादी कृत्यों के लिए भी कानून का पुनः प्रस्थापन किया गया है। भारतीय दंड संहिता को निरस्त करके एक नया भारतीय न्याय संहिता को प्रतिस्थापित करने का निर्णय वास्तविक रूप से साहसपूर्ण है। महिला और बच्चों के प्रति अपराध को और राष्ट्र के प्रति अपराध को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के प्रति जो बलात्कार होता है, इसमें मृत्युदंड की व्यवस्था की गई है, उम्रकैद की व्यवस्था की गई है। आज कांग्रेसी लोगों, विरोधी पक्ष ने इसका विरोध किया। 5 हजार साल पहले, 10 हजार साल पहले हमारे देश में महिलाओं के प्रति अत्याचार के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था थी। द्रोपदी का अपमान करने के लिए कीचक को तुरन्त भीम ने मृत्युदंड दिया। कौरवों को मृत्युदंड दिया गया। सीता माता के अपमान के लिए रावण सहित सारे असुरों को मृत्युदंड दिया गया। झूठा वादा करके जो यौन संबंध रखते हैं, उनके लिए भी कड़ी सजा की व्यवस्था है।

माननीय सभापति : आप अंतिम वाक्य बोलकर अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी : सर, नया प्रोविजन है।? (व्यवधान) नई व्यवस्था की गई है।

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद के साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगी कि यदि हम भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत बात करें तो महिलाओं को सुनना बहुत जरूरी है। मेरे से पहले बहन सुनीता दुग्गल जी बोलीं, पर पूरी बात नहीं कह पाईं।

माननीय सभापति : आप प्लीज अपनी बात कहिए।

श्रीमती जसकौर मीना : महोदय, केन्द्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से जो ये तीन बिल आए हैं, मैं इनका तहे-दिल से समर्थन करती हूँ। मैं इन बिलों के साथ-साथ एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 का जो बिल है, यह महिलाओं से संबंधित है। महिलाओं के लिए सुविधायें होनी चाहिए, कानून की प्रक्रिया को बदलते हुए आपने यह बात कही। इसका प्रारम्भ 15 अगस्त को हुआ था, जिस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री पांच प्रण लेकर लाल किले की प्राचीर से बोले। उनमें एक प्रण यही है कि गुलामी की जितनी निशानियाँ हैं, उन सबको मिटाया जाए। यह भी गुलामी की निशानी थी, जो वर्ष 1860 से हमारे ऊपर यह कानूनी जामा लागू था। मैं आपके माध्यम यह कहना चाहूंगी कि इंडियन पीनल कोड, 1860 की जगह यह भारतीय न्याय संहिता, 2023 बिल आया है। इसी तरह से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बना और ठीक इसी प्रकार इंडियन एवीडेंस एक्ट, 1872 की जगह हमने भारतीय साक्ष्य विधेयक की कल्पना की है।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती कि ये कानून केवल अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए थे, हमारे देश के लोगों के न्याय के लिए नहीं थे।

सभापति जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं के लिए जो कानून आपने स्थापित किए हैं और जिनमें परिवर्तन करते हुए सारी व्यवस्था की है, लेकिन कब कौन-सा कृत्य अपराध में बदल जाए और उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए, यह व्यवस्था आपने करने की कोशिश की है। मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि पहचान छिपाकर शादी करवाने के लिए दंड की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। रेप के मामले में 16 साल से कम उम्र की बेटी जो नाबालिग है, उन्हें मृत्यु दंड देना तो आसान है लेकिन जो प्रस्तावित धाराएं लिखी हैं,

उनमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। मैं तो यह भी कहूंगी कि यौन उत्पीड़न या महिला का पीछा करने वाले के लिए भी इसमें बहुत न्यून सजा का प्रावधान है।

सभापति जी, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ जो इसमें छूटी हुई है। जनजाति समाज के बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं। वहाँ केवल उनका ही कानून लागू होता है। वहाँ हमारी भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं से संबंधित कानून लागू नहीं होंगे। उनके अपने सामाजिक कानून होते हैं। वहाँ यदि पढ़ी लिखी महिला सरकारी नौकरी में है तो कानून की रक्षा उसे मिलेगी और यदि वह पढ़ी लिखी नहीं है तो उसे कानून रक्षा नहीं देगा। ऐसी परिस्थिति में जनजाति की महिलाओं के बारे में कानून में सुधार करना पड़ेगा। जनजाति के लोगों में बचपन में शादी तय करके सगाई कर देते हैं। यदि बड़े होने पर वह उस घर में शादी नहीं करना चाहती है तो उसे उठाकर ले जाते हैं। वहाँ कानून की दृष्टि से वह बिलकुल अपाहिज हो जाती है। यदि शादी होने के बाद बेटा नहीं हुआ और बेटी पैदा होती है तो पैतृक सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में वह मजदूरी करके दुखी जीवन व्यतीत करती है। जनजाति समुदायों के लिए इस कानून में कोई बात उद्धृत होनी चाहिए थी।

सभापति जी, महिलाओं के लिए समानता का दर्जा। समानता का दर्जा तो आप लोग भी नहीं दे रहे हैं। हम आज सुबह से सदन में हैं और हमेशा रहते हैं। इसके बावजूद सबके बाद हमें बोलने का मौका दिया जाता है। डॉ. सत्यपाल जी ने और बिहार के माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से विस्तार से बात कही, तो क्या हमें बोलने का मौका नहीं मिलेगा? हम भी बोल सकते हैं और आपको हमें उचित समय देना चाहिए। मैं चीफ व्हीप से भी कहूंगी।

माननीय सभापति : आप उन्हीं से कहिए।

श्रीमती जसकौर मीना : मैं उनसे कहूंगी कि आप सुनिश्चित कीजिए कि कम से कम दो या तीन वक्ताओं के बाद हमें बोलने का मौका दिया जाए। हम तीन दिन से पूरी तैयारी कर रहे हैं लेकिन हम अपनी पूरी बात नहीं कह पा रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगी कि:

?अन्याय सहकर बैठ जाना ये बड़ा दुष्कर्म है

न्यायार्थ अपने बांधुओं को दंड देना धर्म है।?

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी (इलाहाबाद): माननीय सभापति जी, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण न्याय संहिताओं पर बोलने का मौका दिया है। मैं यहां भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य नीति विधेयक, 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। हमारे देश में भारतीय इतिहास और संस्कृति में लगातार अपराध और अन्याय के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है और जो भी लिखा गया है, वह मानव के मूलभूत अधिकारों और व्यवस्था के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है। अपराध को हमेशा दुष्कृत माना गया है। आज 150 साल बाद हमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि दो सौ साल तक अंग्रेजों ने हम पर राज किया। उन्होंने पूरा एक भ्रम पैदा किया। भ्रम यह पैदा किया कि सबसे अच्छा इतिहास लिखने वाले अंग्रेज हैं, सबसे अच्छी भाषा अंग्रेजी है, सबसे अच्छी शिक्षा पद्धति अंग्रेजी है और सबसे अच्छी औषधि पद्धति, साइंस और विज्ञान इंग्लैंड की है।

लेकिन, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2014 के बाद यह निर्णय लिया कि हमें इस चिंतन में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक सम्प्रभु राष्ट्र हैं, हम एक वेलफेयर स्टेट हैं। अगर भारत लोकतंत्र की जननी है और एक लोकतांत्रिक देश है तो एक सम्प्रभु राष्ट्र और कल्याणकारी व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार का जो दायित्व बनता है, वह यह है कि वह पूर्ण और त्वरित न्याय देने की व्यवस्था करे और विधि नियम नागरिक केन्द्रित हों। जिस तरह से हमारा संविधान हर प्रावधान और अनुच्छेद पर गम्भीर विचार के बाद स्थापित किया गया और तब यह विश्व का सबसे सुन्दर और विस्तृत संविधान बना। उसी तरह से आज जो न्याय संहिताएं लायी गयी हैं, ये बहुत ही लम्बे विचार-विमर्श के बाद, माननीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में हमारे गृह मंत्री जी ने इसको प्रस्तुत किया है। इसमें स्पष्ट है कि हमें दंड नहीं देना है, बल्कि हमें न्याय देना है। लेकिन, अगर वह अपराध ऐसा है, जो जनमानस को नुकसान पहुंचाता है, तो उसमें दंड देने की अच्छी व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है। महोदय, जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि वर्ष 1993 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2007 में कई कमेटियां बिठाई गयीं, जैसे वोहरा समिति, मलिमथ समिति, माधव मेनन समिति इत्यादि। इन लोगों ने यह बताया कि हम अपराध को कैसे कम करें, आर्थिक अपराधों को कैसे कम करें, राजनीति में अपराध को कैसे कम करें, नौकरशाही में अपराध को कैसे कम करें, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। 65 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार कुछ कर सकती थी, मगर उन्होंने नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने दस वर्षों के अन्दर केवल उस उपनिवेशवादी संस्कृति से मुक्ति नहीं दिलाई, बल्कि उसके चिंतन से, सोच से मुक्ति दिलाई। उसकी हर धारा में परिवर्तन करने का काम उन्होंने किया है। मैं उपनिवेशवादी प्रतीकों की क्या बात करूं? उन्होंने कहा कि? मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस? होना चाहिए। 1500 कानूनों को रद्द करने के साथ-साथ करीब 25,000 ऐसे नियम, जो विभिन्न कार्यों में बाधक होते थे, उन्हें भी उन्होंने समाप्त या संशोधित किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने यह स्पष्ट किया कि हमारे लिए कानून व्यवस्था या न्याय आवश्यक रूप से एक सरल व्यवस्था होनी चाहिए और इसका लक्ष्य दंड देना नहीं, बल्कि न्याय देना है। जनता की आशाओं-आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप हमें अपनी न्याय व्यवस्था बनानी चाहिए। इसीलिए, ये सारी संहिताएं लायी गयी हैं, जो कि भारतीय सोच से संबंधित हैं। हम मानते हैं कि मानव के मौलिक अधिकार हैं, लेकिन व्यवस्था भी होनी चाहिए।

महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपके समक्ष यह भी रखना चाहती हूं कि जो विभिन्न सेवशंस हैं, जिन्हें समाप्त किया गया, बदला गया या निरस्त किया गया, यह भी बहुत आवश्यक था। 150 साल बाद हमें इस व्यवस्था को लाने की क्या जरूरत पड़ी? आज के समय में अपराध की परिभाषा, तौर-तरीके, जांच, गवाहों और सबूतों के परीक्षण में व्यापक परिवर्तन आया है। आज इस मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। यही कारण है कि आज हमने आतंकवाद की, अलगाववाद की एक सुनिश्चित परिभाषा दी है। संगीन अपराध, साइबर अपराध जैसी चुनौतियों का मुकाबला इन संहिताओं के माध्यम से कर सकेंगे। आज जब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सुविधाएं, जैसे सीसीटीवी कैमरा, वॉयस रिकॉर्डिंग, कैमरा रिकॉर्डिंग, फॉरेंसिक जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो ये वर्तमान आवश्यकताएं हैं। जल्दबाजी में कुछ नहीं किया गया है, बहुत सोच-समझ कर किया जा रहा है।

राजद्रोह को हटाकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की व्याख्या की गयी है। मॉब लिंगिंग के साथ-साथ भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों के खिलाफ भी कानून बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए विशेषकर, छेड़खानी और सामूहिक बलात्कार से लेकर महिलाओं से संबंधित जितने भी अपराध हैं, सबके खिलाफ जो कानून बनाए गए हैं, वे हमारे लिए बहुत ही सुरक्षा देने वाले होंगे। आज 5 करोड़ से ज्यादा केसेज लम्बित हैं। महोदय, जो जेल की ऑक्जूपैसी है, वह उसकी क्षमता का 131 प्रतिशत हो चुका है। मैं कहना चाहती हूं, जैसा कि कहा गया है कि ?जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड?, और एक और कहावत है कि

every accused is innocent until proven guilty, इन दोनों बातों को रखते हुए हमारी सीआरपीसी, आईपीसी और हमारी ज्यूरिस्प्रूडेंस में और हमारे एविडेंस एक्ट में जो चेंजेज किए गए हैं, वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अच्छे हैं। सेकन्दरी एविडेंस से लेकर एफआईआर, बयान, चार्जशीट को फाइल करना, उसको डिजिटाइज्ड करना और एक निश्चित समय पर न्यायालय से उसका जजमेंट आ जाना, इन सबकी व्यवस्था की गयी है।

महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले नौ वर्षों में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। 21 वीं सदी के भारत को उन्होंने एक नई दिशा दी है और सैकड़ों सालों से लंबित ऐसे विवादित विषयों को समाप्त किया है। आज हम आज़ादी के 75 वें वर्ष से 100 वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। यह यात्रा प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए पंच प्रण को निभाते हुए भारत के इतिहास में नया अध्याय लिखेगी। नए भारत के निर्माण एवं राष्ट्रहित के साथ-साथ महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों और संवेदनशील समूहों को भी मध्य में रखा गया है। महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

21.00 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on

Wednesday, December 20, 2023/Agrahayana 29, 1945 (Saka).

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

www.sansad.in/ls

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business

in Lok Sabha (Sixteenth Edition)

* Not recorded as ordered by the Chair.

** Expunged as ordered by the Chair.

* Expunged as ordered by the Chair.

** Moved with the recommendation of the President.